लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation 24-8-90 30-7-85 Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

52 LSS/73—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27, मंगलवार, 18 दिसम्बर, 1973/27 अग्रहायण, 1895 (शक)

No 27, Tuesday, December 18, 1973/Agrahayana 27, 1895 (Saka)

ता०प्र०सं० S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक ऊत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	
527	औषध निर्माता फर्मों द्वारा सी०ओ० बी० लाइसेंसों के माध्यम से क्षमता का विनियमन	Consolodiation of capacities by drug firms through COB Licences . .	1
528	तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अशोधित तेल का उत्पादन	Production of Crude by O&NGC to meet the oil needs	4
529	नवम्बर, 1973 में खुर्दा रोड पर लोको संगचल कर्मचारियों द्वारा अचानक गैर-कानूनी हड़ताल	Wild Cat Strike by Loco running staff at Khurda Road in November, 1973 .	7
531	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों की स्थापना के लिये सहायता का अनुरोध	Assistance sought by Andhra Pradesh for setting up rural electrification Co-operatives	8
532	इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के मंसूख होने के कारण हावडा रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भारी भीड़ की आवश्यकता-पूर्ति के लिये किये गये उपाय	Steps taken to meet the great rush of passengers at Howrah Railway Station due to Cancellation of Indian Airlines Flights	9
533	यूनियन कार्बाईड को कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन में वृद्धि के लिये अनुमति	Permission to Union Carbide for expansion in pesticides production . .	11
534	उकाई एक्सटेंशन के लिये गुजरात सरकार द्वारा भेजा गया परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of Gujarat for the Ukai Extension	13
535	मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुसार रेल कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Railway Employees as recommended by Miabhai Tribunal	14
536	वर्ष 1973 के दौरान समवाय अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Companies Act during 1973	15
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
525	मंत्रियों तथा उनके व्यक्तिक कर्मचारी वर्ग को पैट्रोल का कोटा	Petrol quotas for Ministers and their personal staff	16

ता०प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
526	उड़ीसा के देवगढ़ नगर में विद्युत् की सप्लाई में सप्ताह में दो बार कटौती	Bi-weekly cut in supply of power to Deogarh Town in Orissa . . .	16
530	देश में बाल विवाह	Child marriage in the Country . .	17
537	धनबाद डिविजन में चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities in Dhanbad Division	17
538	डीजल का मूल्य मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य के बराबर कर दिये जाने के कारण उनकी संभावित कमी	Expected Shortage of Diesel due to equating its Prices with Kerosene and HSD Oil	17
539	उर्वरक योजनाओं के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन और भारतीय उर्वरक निगम में सहयोग	Collaboration between FAO and FCI for Fertilizer Plans	18
540	पैट्रोल पम्प वालों द्वारा पैट्रोल में मिलावट	Adulteration of Petrol by Filling Stations	19
541	नवम्बर, 1973 में त्रिवेंद्रम यात्री गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident of Trivandrum Passenger Train in November, 1973	19
542	कानपुर और बान्दा (मध्य रेलवे) के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को बन्द करना	Withdrawal of a Passenger Train running between Kanpur and Banda (Central Railway)	19
543	दिल्ली/नई दिल्ली को कोयला ले जाने के लिये मालडिब्बों की कमी	Shortage of Wagons for Transportation of Coal to Delhi/New Delhi . .	20
544	भेषज तथा रसायनों के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of prices of Medicines and Chemicals	20

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
5108	कोचीन में अमोनिया कारखाने की स्थापना	Setting up of an Amonia Project at Cochin	20
5109	आसनसोल में एक एकाधिकार कंपनी द्वारा दामोदर घाटी निगम के साथ धोखाधड़ी	DVC cheated of dues by a Monopoly concern in Asansol	21
5110	तलाक सम्बन्धी कानून का संशोधन	Amendment of Law Relating to Divorce	21
5111	जिला कचहरियों में सप्ताह में पांच दिन काम करने की मांग	Demand for Five Days' Week in District Courts	22
5112	त्रिवेंद्रम—मद्रास लाईन की गाड़ियों को अधिक हाल्ट देने के लिये उठाये गये कदम	Steps taken to give more Halts to the Trains on Trivandrum—Madras Line	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5113	कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय को तामिल नाडु राज्य में कुझीथरा में स्थानांतरित करना	Shifting of Executive Engineers—Office to Kuzhithura in Tamil Nadu State	22
5114	192 एरणाकुलम-त्रिवेंद्रम]एक्सप्रैस के चलने के समय में परिवर्तन	Changes in the Running Time of 192 Ernakulam—Trivandrum Express .	23
5115	मध्य प्रदेश के लिये नई रेलवे लाइनों की मांग	Demand for New Railway Lines in Madhya Pradesh	23
5116	रतलाम धार, झागुआ और खरगौम आदि स्थानों के लिये रेलवे लाइनें	New Railway Lines to cover Ratlam Dhar, Jhagua and Khargom . .	24
5117	संघ लोक सेवा आयोग/आई०एस०टी०एम० के माध्यम से चुने गये निम्न श्रेणी लिपिकों के हितों की रक्षा	Safeguarding of Interests of Lower Division Clerks selected through UPSC/ISTM	24
5118	मई, 1973 के दौरान दादरा और नगर हवेली की बिजली की मांग एवं उसकी सप्लाई	Demand and Supply of Power to Dadra and Nagar Haveli in May, 1973 . .	25
5119	पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण इस की खपत में कमी	Reduction in Petrol Consumption due to increase in its prices	25
5120	पैट्रोलियम पम्पों को नगर पालिका के अधिकार में करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका की योजना	NDMC Plan to Municipalise Petrol Pumps	26
5121	मुरैना तथा अन्य स्टेशनों पर माल की बुकिंग	Booking of Goods at Morena and other Stations	26
5122	मुरैना स्टेशन पर इंडियन आयल कारपोरेशन का डिपो का खोला जाना	Opening of an IOC Depot at Morena Station	27
5123	सतना-रेवा-बैओहारी रेल लिंक का सर्वेक्षण	Survey of Satna-Rewa-Beohari Rail Link	27
5124	न्यूकटनी-मुरैना लाइन (मध्य रेलवे) पर यात्री गाड़ी	Passenger Train on New Katnimorena Line (Central Railway) . . .	27
5125	औषधियों के मूल्यों का अनुमोदन करने सम्बन्धी कार्य का औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को हस्तांतरण	Transfer of work relating to approval of prices of drugs to the Bureau of Industrial costs and prices . . .	28
5126	औषधियों के मूल्यों की मंजूरी के लिये लंबित आवेदनपत्र	Applications pending for approval of prices of drugs	28
5127	अरुणाचल प्रदेशमें गैस की खोज	Oil exploration in Arunachal Pradesh	29

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5128	कर्नाटक द्वारा पन बिजली परियोजना के लिये सहायता की मांग	Assistance sought by Karnataka Hydel Project	29
5129	मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले की बुरहानपुर तहसील को सिंचाई के लिये जल की सप्लाई	Supply of Water for Irrigation to Burhanpur Tahsil in East Nimar Districts of Madhya Pradesh	30
5130	कर्नाटक द्वारा गांवों के विद्युतीकरण के लिये मांगी गई सहायता	Assistance sought by Karnataka for Electrification of villages . . .	30
5131	पैट्रोलियम एवं मिट्टी के तेल का आयात और उनके मूल्यों में वृद्धि	Import of petrol and Kerosene and Increase in their Prices	30
5132	27 जुलाई, 1973 को माधोपुर स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर हुई रेल दुर्घटना	Train accident at Madhopur Station (Eastern Railway) on 27th July, 1973	31
5133	रेलवे पर्यवेक्षी कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता	Night Duty Allowance to Railway supervisory Staff	31
5134	दहेज प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी कानून का प्रस्तावित संशोधन	Proposed amendment to Law relating to prohibition of dowry system . .	32
5135	पश्चिम रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्कों से उच्च वेतन-मान में पदोन्नति के लिये अभ्यावेदन	Representation from Lower Division Clerks and for Promotion to higher grades (Western Railway) . .	32
5136	विदेश यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के प्रवेश द्वार तथा भीतर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by employees at the Office of Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway) . .	32
5137	लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये उच्च वेतन-मान के पद	Higher Grade Posts for Staff working in Accounts Department . . .	33
5138	दूसरे दर्जे के समाप्त होने पर उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रथम दर्जे के पास जारी करने हेतु अभ्यावेदन	Representation for issue of first class pass to employees of Northern and Western Railways on abolition of Second Class	33
5140	सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत सिंचाई के लिये जल का उपयोग	Utilisation of Water for Irrigation under Indus-Waters Treaty . .	33
5141	नदी जल के उपयोग हेतु योजना	Plan for utilisation of river waters . .	34
5142	नवम्बर 1973 में क्विलोन-त्रिवेंद्रम यात्री गाड़ी अत्याधार (एब्टमेंट) धंसने के कारण घायल हुए व्यक्ति	Persons injured in Quilon—Trivandrum Passenger Train due to ramming against abutment in November, 1973 .	34
5143	रूस से साइबेरियाई तेल का आयात	Import of Siberian Oil from USSR .	35

अता०प्र० सख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5144	पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Industries in the Eastern Region	35
5145	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के स्नातकों के लिये आरक्षित पदों के आरक्षण को समाप्त करना	De-reservation of Reserved posts for SC Graduates on Northern Railway .	36
5146	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की क्षमता का सिंचाई और विद्युत् के लिये उपयोग	Utilisation of Potential for Irrigation and Power of West flowing Rivers .	36
5147	कैश विटनेस एलाउन्स बारे में आदेशों को लागू करना	Implementation of orders for payment of cash Witness Allowance . . .	37
5148	उड़ीसा की सालंदी परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Salandi Project in Orissa	38
5149	लघु सिंचाई योजनाओं को निश्चित संभाव्यता को निश्चित करने का आधार	Basis for determining the feasibility for minor Irrigation Schemes . .	38
5150	राज्यों में सिंचाई योजनाओं को जारी रखने के लिये प्रक्कलनों का संशोधन	Revision of Estimates of Continuing Irrigation Schemes in States . .	39
5151	रेलवे ठेकेदार मैसर्स दलाल एंट कम्पनी अहमदाबाद का कार्यकरण	Working of Railway Contractor M/s. Dalal and Co. Ahmedabad. . . .	39
5152	खाद्य तथा कृषि संगठन और भारतीय उर्वरक नियम में सहयोग	Collaboration between FAO and Fertiliser Corporation of India . . .	40
5153	गाजियाबाद में काम कर रहे पार्सल क्लर्कों को छुट्टी वेतन की अदायगी न किया जाना	Non payment of Leave Salary to Parcel Clerks working at Ghaziabad. .	41
5154	कोटा डिवीजन की रेलवे प्रयोक्ता समिति में फर्जी सदस्य	Bogus members in Railway user's committee of Kota Division . . .	41
5155	इंस्पेक्टर आफ वर्क्स (आई) धनबाद की कथित गिरफ्तारी	Alleged arrest of IOW (I) Dhanbad .	41
5156	रेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिये किया गया सर्वेक्षण	Survey for Oil conducted by O&NGC	43
5157	भावनगर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लोको रनिंग स्टाफ की पदोन्नति पर प्रतिबंध	Ban on promotion of Loco Running Staff in Bhavanagar Division (Western Railway)	44

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5158	गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में इलेक्ट्रीकल चार्जमैन का चयन	Selection of Electrical Chargemen Gorakhpur (North Eastern Railway)	44
5159	मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिये ईरान से तेल की सप्लाई	Oil Supplies from Iran for Mathura Refinery	45
5160	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम धारा 31 तथा 44 के अधीन विदेशी स्वामित्व वाली विदेशी कम्पनियों के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति	Appointment of Inspectors for foreign owned companies under sections 31 and 44 of the MRTP Act . .	45
5161	खुर्जा सिटी द्वारा संख्या 5 के निकट रेलवे भूमि पर गैर-कानूनी निर्माण	Illegal construction on Railway land near Gate No. 5 Khurja City . .	45
5162	रेलवे वार्ड (पश्चिमी रेलवे) में कोयला ढोने वाली एक महिला द्वारा अपनी दो पुत्रियों सहित आत्म हत्या	Suicide committed by a women engaged in coal loading work at the Railway Yard (Western Railway) alongwith her two daughters	46
5163	पी०वी०सी० (पोली विनेल क्लोराइट) के निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से आवेदन पत्र	Applications for APIDC for Manufacture of PVC	46
5164	युद्ध विधवाओं को पेट्रोल पम्पो और गैस की एजेंसियों का आवंटन	Allotment of Petrol Pumps and gas agencies to war widows . . .	47
5165	मेघाद्रिगद्धा बांध के निर्माण के लिए ऋण	Loan for construction of Meghadrigadda Dam	47
5166	गोदावरी नदी का बहाव बदलने की योजना के निर्माण के लिये ऋण	Loan for construction of Godavari Diversification Scheme . . .	47
5167	ब्रहमपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के केन्द्रीय ऋण के संबंध में आसाम से शिकायतें	Complaints from Assam regarding Central loan to Brahmaputra Flood Control Commission	48
5168	भारतीय पटसन मिल्स एसोसियेशन की बिजली की सिंचाई के लिये प्राथमिकता हेतु मांग	Demand by Indian Jute Mills Association for priority in Power Supply . .	49
5169	रेलवे में अनियमितताओं के मामलों की सी० बी० आई० द्वारा जांच	CBI Investigation into cases of irregularities in Railways . . .	49
5170	जीवन-रक्षक औषधियों की कमी	Shortage of Life Savings Drugs . .	49

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5171	पैट्रोल बिक्री केन्द्रों के कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of employees of Petrol Filling Stations	50
5172	समस्त मशीनी तेलों के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Increase in prices of lubricants . .	50
5173	झरसुगड़ा तथा सम्बलपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच यात्री गाड़ी को रद्द करना	Cancellation of passenger train running between Jharsuguda and Sambalpur (South Eastern Railway) . . .	50
5174	कावेरी के पानी के वितरण विवाद को हल करने के लिये अध्ययन दल की स्थापना	Setting up of Study group to settle the dispute over sharing of Cauvery Waters	51
5175	कुछ राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी	Shortage of Petroleum products in certain States	51
5176	मिट्टी के तेल के पम्पों की स्थापना	Installation of Kerosene Oil Pumps .	51
5177	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता विदेशी फर्में	Foreign firms with more than 26 per cent Foreign Equity	52
5178	पांचवीं योजना में औषधियों के उत्पादन लक्ष्य	Production targets of drugs in Fifth Plan .	52
5179	भारत द्वारा ईराक में तेल की खोज करने का करार	Agreement for Oil Explorations by India in Iraq	53
5180	थीन बांध परियोजना के लिये अन्त-र्राज्य बोर्ड	Inter State Board for Thein Dam Project	53
5181	पूर्वी रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा नवम्बर 1973 में संसद भवन के निकट आत्मदाह का प्रयास	Immolation by an employee of Railway near Parliament House in November, 1973	53
5182	कुकिंग गैस से टैक्सी चलाया जाना	Running of a taxi on cooking gas . .	55
5183	दिल्ली में रेलवे बोर्ड तथा दोनों अभिस्वीकृत एम्पलाईज के कर्मचारियों की बैठक	Meetings between employees of two recognised employees federations and Railway Board at Delhi . . .	55
5184	गुजरात में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation projects in Gujarat . .	56
5185	कीटाणुनाशक कारखानों का विस्तार	Expansion of Pesticides Units . . .	57
5186	धनबाद के आउटडोर फिटिंग कर्मचारियों को जबरन छुट्टी देना	Laying off of outdoor fitting staff Dhanbad	57

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5187	काशीपुर रोड गुड्सशैड (पूर्व रेलवे) में पटसन का जमा हो जाना	Accumulation of Jute to Cossipore Road goods shed (Eastern Railway) .	57
5188	टैक्सी ड्राईवरों को रियायती दरों पर पेट्रोल की सप्लाई	Supply of Petrol to Taxi drivers at concessional rates	58
5189	बिजली की कमी को दूर करने संबंधी योजना	Scheme to meet power shortage .	58
5190	बड़ौदा में इंडियन पेट्रो-कैमिकल कारपोरेशन के पैराग्जीलीन संयंत्र के कम्प्रैशर का बंद हो जाना	Breakdown of the compressor of Paraxylene plant of Indian Petro-Chemical Corporation at Baroda . . .	59
5191	रेलों में पूंजीकरण की आर्थिक समीक्षा	Economic review of capitalisation in Railways	59
5192	ईराक द्वारा संशोधित तेल की सप्लाई की पेशकश	Offer of supply of Crude by Iraq .	59
5193	उर्वरक संयंत्रों के लिये जापान इटली और फ्रांस से ऋण	Credit from Japan, Italy and France for Fertiliser Plants	60
5194	फारस की खाड़ी स्थित अल्फा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिये खुदाई	Oil drilling by O&NGC at Alpha in Persian Gulf	60
5195	उत्तर रेलवे में बिजली की माल/यात्री गाड़ियों के चलाने का क्षेत्र	Area covered by Electric goods/passenger trains on Northern Railway. . .	61
5196	डी० सी० दिल्ली/ए० डी० एम० साउथ नई दिल्ली के न्यायालयों में अगस्त 1970 में सेक्शन 92 सी० पी० सी० के अधीन दायर मुकदमे	Cases filed under Section 92 CPC in the Courts of DC Delhi/ADM South Delhi in August, 1970 . . .	61
5197	रेल मंत्रालय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of special officer of CBI in Railway Ministry	61
5198	डीजल के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of diesel . .	62
5199	वजीराबाद पंपिग स्टेशन दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by employees of Wazirabad pumping Station, Delhi . . .	62
5200	रासायन उर्वरकों का उत्पादन तथा वितरण	Production of chemical fertilizers and their distribution	63
5201	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा मांग-पत्र पेश किया जाना	Charter of demands submitted by O & NGC Officers	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5202	इंडियन एयरलांइस में तालाबन्दी के कारण यात्रियों की भारी भीड़	Rush of passengers due to lock out in Indian Airlines	63
5203	विद्युत् परियोजनाओं के लिये एक केन्द्रीयकृत अनुश्रवण व्यवस्था बनाना	Creation of a centralised monitoring system for power projects . . .	63
5204	थानिरमुक्कम में खारे पानी के लिए 'बैरियर' का निर्माण	Construction of salt water barrier at Thannirmukkam	64
5205	केरल सोप्स एन्ड ग्रायल लिमिटेड कालीकट को बकरे की चर्बी के आवंटन का अनुरोध	Request for allotment of Mutton Tallow to the Kerala Soaps and Oil Limited, Calicut	64
5206	कावेरी के जल संबंधी तथ्य जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Fact Finding Committee on Cauvery Waters	65
5207	साइलेंट वैली पन-बिजली परियोजना को विदेशी सहयोग से पूरा करने के लिये केरल का अभ्यावेदन	Representation from Kerala for Implementation of Silent Valley Hydro Electric Project with foreign assistance	65
5208	एन्टीबायोटिक्स तथा सिंथेटिक औषधियों के उत्पादन के लिये रूस से वार्ता	Negotiations with USSR for production of Antibiotics and Synthetic Drugs .	65
5209	गन्दी बस्ती के निवासियों को बिजली की सप्लाई के लिये दिल्ली विद्युत् नियंत्रण आदेश में संशोधन	Amendment to Delhi Electric Control Order for supply of Power to Slum Dwellers	66
5210	बाढ़ नियंत्रण के लिये 'राष्ट्रीय ग्रिड'	National Grid for Flood Control .	66
5211	पेट्रोलियम उत्पादों की चोरबाजारी को रोकने और मिट्टी के तेल की कमी दूर करने के लिये किए गए उपाय	Measures adopted to check Blackmarketing in Petroleum products and Shortage of Kerosene Oil . . .	66
5212	वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ट्रेन एग्जामिनरों के वेतन-मानों में परिवर्तन	Modification in Pay Scales of Train Examiners recommended by Pay Commission	67
5213	उड़ीसा स्थित आनन्दपुर बांध परियोजना के जल-निकास डिजाईन की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा समीक्षा	Review of design discharge of Anandapur Barrage Project, Orissa by C W & P C	67
5214	उड़ीसा में भीमकुंड बांध के लिये स्थान	Site for Bhimkund Dam in Orissa .	67

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5215	जे० के० ग्रुप के सहयोग से एक नायलन संयंत्र लगाने की अनुमति के लिये उड़ीसा सरकार से अनुरोध	Request from Government of Orissa for permission to set up a Nylon Plant in collaboration with J.K. Group	68
5216	मध्य प्रदेश में सुक्ता परियोजना का पूरा होना	Completion of Sukta Project in Madhya Pradesh	68
5217	रेल यात्रा में विद्यार्थियों को रियायत	Concession to Students in Rail Travel	68
5218	खाड़ी खम्बात में तट-दूर ड्रिलिंग	Off-Shore Drilling in Gulf of Cambay	69
5219	पटना में गंगा नदी पर रेलवे लाइनों तथा पुल निर्माण के लिये सर्वेक्षण	Survey for Construction of Railway lines and bridge over the Ganga River at Patna	69
5220	गाड़ियों में जंजीर खींचने के मामलों की संख्या में वृद्धि	Increase in Chain Pulling Cases on Trains	69
5221	पैट्रोल के स्थान पर कोयला तथा बिजली का प्रयोग करने के बारे में योजना आयोग का प्रस्ताव	Proposal from Planning Commission regarding Coal and Electricity as Alternative to Petrol	70
5222	तट-दूर रियायतों के संबंध में बर्मा आयल कम्पनी का प्रस्ताव	Proposal from BOC regarding off-shore concessions	70
5223	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के निदेशक हाइड्रोकारबन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अदा की गई राशि	Amount paid by Hydrocarbons India Private Limited to a Director of O & N G C	70
5224	पूर्व रेलवे में गत पांच माह के दौरान तकनीकी दोषों एवं मानविक असफलताओं के कारण हुई दुर्घटनायें	Accidents due to Technical defects and human failures on the Eastern Railway during the last five months .	71
5225	दक्षिण-मध्य रेलवे में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railway due to Employees' Strike on South Central Railway . . .	71
5226	पूर्व रेलवे में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Employees' Strike on Eastern Railway . . .	72
5227	विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन चुनाव याचिकायें	Election Petition pending with various High Courts	72
5228	हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर अगस्त 1973 में रेल-यात्रा टिकटों की बिक्री से प्राप्त औसत राशि	Average sale proceeds of Railway Journey Tickets in August, 1973 at Howrah and Sealdah Railway Stations .	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5229	निर्माणाधीन सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects under construction	73
5230	बाघा-चितौनी क्षेत्र में रेल संचार सुविधायें	Rail communication facilities in Bagaha Chitauni area	73
5231	उत्तरी जोन में रेलवे के लिए विद्युत् केन्द्र	Power Stations for Railways in Northern Zone	74
5232	एडवाइजर एक्सप्लोरेशन का पद बनाया जाना	Creation of post of Adviser, Exploration .	74
5233	ब्रिटेन की आई० एम० ई० जी० कम्पनी को तट-दूर ड्रिलिंग के लिए परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करना	Engaging IMEG of U.K. as consultants for off-shore drilling	75
5234	टकरू आयोग पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Takru Commission	76
5235	नागपुर में कोराडी विद्युत् केन्द्र के लिए ब्राडगेज रेलवे साइडिंग का निर्माण	Construction of Broad gauge Railways Siding for Koradi Power Station in Nagpur	77
5236	आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन द्वारा धमकी	Threat by All India Railwaymen's Federation	77
5237	रेलवे के विभिन्न स्टोरों में जमा की गई सामग्री का मूल्य	Value of Materials stored in different Depots of Railways	78
5238	शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युत्तीकरण कर चुके राज्य	States which have achieved cent per cent Rural Electrification . . .	78
5239	विदेशी तेल कम्पनियों की पुन: जांच करने के लिए योजना आयोग के सुझाव	Suggestions from Planning Commission for Re-Examination of Foreign Oil Companies	79
5240	तट-दूर खुदाई कार्य की प्रगति	Progress of off-shore drilling . .	79
5241	आदिम जातियों की विधियों को संहिताबद्ध करना	Codification of Tribal Laws .	79
5242	विभिन्न न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या	Judges in various High Courts and Supreme Court	80
5243	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक परियोजनायें	Fertilizer Projects in Public and Private Sectors	81
5244	हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड द्वारा खरीदी गई मैथेनाल की चोरी	Pilferage of Methanol purchased by Hindustan Antibiotics Limited . .	82

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5245	विद्युत्त केन्द्रों के कार्यकरण की जांच के लिए बनायी गयी समितियों के प्रतिवेदन	Reports of Committee set up to go into working of Power Stations . . .	82
5246	आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से पोलीप्रोपलिन के निर्माण के लिए आवेदन-पत्र	Application from APIDG for manufacture of Polypropylene . . .	83
5247	मिट्टी के तेल के पम्पों का आबंटन	Allotment of Kerosene Oil Pumps . .	83
5248	पश्चिम बंगाल में डीजल की कमी	Shortage of Diesel in West Bengal . .	84
5249	पैट्रोल के राशन के संबंध में राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा जाना	Communication to Governors and Chief Ministers of States regarding Rationing of Petrol	84
5251	पैट्रोल और कच्चे तेल की स्थिति में सुधार	Improvement in Petrol and Crude Position	84
5253	वर्ष 1973 में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण	Constructions of Staff Quarters for Railway Employees during 1973 . .	85
5254	कैडबरी फ्राई (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के कार्यों की जांच	Inquiry into the affairs of Cadbury Fry (India) Private Limited . .	85
5255	कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कम्पनियों का पंजीकरण	Registration of Companies under the Companies Act	86
5256	पिछड़े क्षेत्रों के विद्युत्तीकरण के लिये विशेष विकास निधि	Special Development Fund for Electrification of backward areas . . .	86
5257	रूस के एक इंजीनियर द्वारा खुदाई रोकेट का आविष्कार	Development of a Drilling Rocket by a Soviet Engineer	87
5258	हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के रेल कर्मचारियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के प्रति शिकायतें	Complaints about Maltreatment meted out to Harijan and Backward class Railway Employees	87
5259	दक्षिण रेलवे, मद्रास की स्टाफ वेलफेयर एसोसियेशन से भवन निर्माण ऋण के लिये अभ्यावेदन	Representations for House Building Advance from Staff Welfare Association of Southern Railway, Madras .	88
5260	केन्द्रीय जल तथा विद्युत्त अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के प्रेक्षकों की पदोन्नति	Promotion to observers of Central Water and Power Research Station, New Delhi	88

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5262	भेषज तथा औषधि उद्योग में पूंजी-निवेश और विदेशी इक्विटी का अंश	Capital Investment in Drugs and Pharmaceuticals Industry and the share of foreign equity	88
5263	रेलवे द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए आयात किए गए सामान का मूल्य	Value of Items imported by Railwsys for its use	89
5264	सिओल बांध के कार्य में प्रगति	Progress of work in Seol Dam . .	90
5265	रेलवे में सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरंभ करने के बारे में वायरलैस आपरेटरों को आश्वासन	Assurance to Wireless Operators on introduction of Microwave on Railways	90
5266	पैट्रो-रसायन यूनिटों को निर्धारित क्षमता का कम उपयोग	Under Utilisation of Installed capacity of Petro Chemical Units . . .	91
5267	वर्ष 1968-69, 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान मुआवजे के रूप में दी गई राशि	Payments made as compensation during 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72	91
5268	गलत भेजे गये या गलत स्थानों पर पहुंचे माल डिब्बों के मामले	Cases of Misdespatched or Unconnected Wagons	91
5269	पेट्रोल के भाव बढ़ने से पेट्रोल पम्पों का बन्द होना	Closing down of Petrol Pumps due to increase in price of Petrol . . .	92
5270	ग्रामों के विद्युत्तीकरण के लिये राजस्थान को आर्थिक सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for Electrification of Villages . . .	92
5271	नंगल तलवाडा रेलवे लाईन का निर्माण	Construction of Nangal Talwara Railway Line	93
5272	सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा भाखड़ा बांध के निष्कासितों को आश्वासन	Assurance to Bhakra Dam Oustees by the Minister of Irrigation and Power	93
5273	हिमाचल प्रदेश में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के कर्मचारियों के लिए रोजगार	Employment to Employees of BSL Project in H.P.	94
5274	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति और नियुक्तियों के बारे में देखभाल करने वाले सेल का गठन और कार्यकरण	Inception and Functioning of Ceil to look after promotions and appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	94

अता०प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5275	नंगल भाखड़ा और तलवाड़ा-मुकेरियां रेलवे लाइनों का अधिग्रहण	Take over of Nangal Bhakra and Talwara-Mukerian Railway Lines . . .	94
5276	नर्मदा जल विवाद पर प्रधानमंत्री का निर्णय	P.M.'s award on Narmada Water Disputes	95
5277	अहमदाबाद से कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए ज्ञापन	Memorandum submitted for Starting a Direct Train from Ahmedabad to Kanpur, Lucknow and Varanasi. .	95
5278	विदेशी की तुलना में भारत में पेट्रोल के मूल्य	Petrol Prices in India as compared to those in Foreign Countries . . .	96
5279	निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव	Proposal to appoint additional Members to Election Commission . . .	96
5280	रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों के विशेष कार्य और उनकी अर्हतायें	Special Functions performed and qualifications of Highly placed Officials of Railway Board	96
5281	दक्षिण पूर्व रेलवे में बंसटाला हाल्ट स्टेशन को एक रैगुलर स्टेशन बनाने और इसका नाम बदलकर बुढ़ाना रखने के बारे में जन-याचिका	Public Petition for Conversion of Banstala Halt Station to a Regular Station and changing the name to Bodhana (S. E. Railway) . . .	97
5282	पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण योजना	Scheme to check Floods in West Bengal	97
5283	पश्चिम बंगाल के ग्रामों का विद्युत्ती-करण	Electrification of Villages of West Bengal	98
5284	रेलवे में प्रयोग के लिए 'बंगाल लैम्प' को बल्ब सप्लाई का आर्डर	Order for supply to bulbs by Bengal Lamp for use in Railways . . .	99
5285	पश्चिम बंगाल में कांगसाबती परि-योजना को कार्यान्वित करना	Execution of Kangsabati Project in West Bengal	99
5286	दून एक्सप्रेस के यात्रियों को अक्तूबर 1973 में लूटने का समाचार	Reported Looting of Passengers of Doon Express during October, 1973	99
5287	मद्रास (दक्षिण रेलवे) के लोको कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representations from Staff of Loco Works, . Madras (Southern Railway)	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5288	विभिन्न रेलवे जोनों के रेलवे भोजनालयों द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की दरों में समानता लाने के लिए प्रस्ताव	Proposal to bring uniformity in the charges for meals served in Railway Restaurants on various Railway Zones	100
5289	अक्तूबर, 1973 के पहले सप्ताह में रेलगाड़ी सेवा में कमी	Train service curtailed in the first week of October, 1973	101
5290	नवम्बर, 1973 में पटना के लोको शेड से कोयले की चोरी का समाचार	Reported theft of coal from the Loco Shed at Patna during November, 1973.	101
5291	धनबाद में नियंत्रित वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के लिए अभ्यावेदन	Representation for supply of adequate quantity of controlled commodities at Dhanbad	102
5292	पूर्व रेलवे में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति	Implementation of rest giver Station Masters on Eastern Railway . .	102
5293	धनबाद में रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Railway Employees at Dhanbad	103
5294	धनबाद की पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति का बंद किया जाना	Closing of Eastern Railway Employees Consumers Co-operative Society Dhanbad	103
5295	मुरादाबाद जिले में गंगा नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam on Ganga River in Moradabad District . . .	103
5296	उत्तर रेलवे के एक्सरे टैक्नीशियनों अथवा रेडियोग्राफरों के वेतनमान तथा पदोन्नति	Scale of Pay and Promotion of X-Ray Technicians or Radiographers of Northern Railway	104
5297	गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री	Re-sale of Tickets at Ghaziabad, Muradnagar and Modinagar (Northern Railway).	104
5298	गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी	Theft of Iron Material from Singal Workshop and coal at Ghaziabad	104
5299	ग्रामों को नगरीय क्षेत्रों के बराबर बिजली की सप्लाई करना	Supply of Electricity to Village equal to Urban areas	105
5300	पेट्रोल में मिलावट के मामले	Cases of Adulteration in Petrol .	105

52 LSS/73—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5301	भारत में अपने तेल शोधक कारखानों के लिए एस्सो, कालटेक्स को कच्चे तेल की सप्लाई करने के साधन	Sources of Crude Oil Supply to Esso and Caltex for their refineries in India	106
5302	पश्चिम बंगाल के कंटाई तटवर्ती क्षेत्र में नमक का उत्पादन	Production of Salt in the Contain Coastal Belt of West Bengal . . .	107
5303	रेल द्वारा डिगाह् को दक्षिण कन्टाई और कन्टाई सब-डिवीजन को खड़गपुर से मिलाना	Connecting Digha with South Contai and Contai sub-division with Kharagpur by Rail	107
5304	नैमित्तिक मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजरी का पुनरीक्षण	Revision of Minimum Wages Fixed for Casual Labourers	108
5305	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में नियमित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को पेंशन तथा भविष्य निधि संबंधी लाभ	Pensionary and provident fund benefit to Persons appointed against regular Posts, Jaipur Division (Western Railway)	108
5306	'अखिल भारतीय नेत्रहीन व्यक्ति सम्मेलन' के प्रतिनिधियों द्वारा पूना स्टेशन पर सत्याग्रह	Satyagraha by the Delegates of 'All India Convention of the Blinds' at Poona Station	109
5307	बम्बई में आई० बी० पी० सी० के इलैक्ट्रोनिक डिवीजन का खोला जाना	Opening Electronic Division of IBPC in Bombay	109
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	110
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	111
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	112
	अध्ययन दलों के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गये	Reports of Study Tours of Study Groups —Laid	112
	सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री ज्योतिर्मय बसु)	Personal Explanation by Member . (Shri Jyotirmoy Bosu)	112
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	114
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	116
	35वां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	Thirty-Fifth Report—Adopted	117

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	118
वस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स कम्पनीज की, जो मानव-रक्त में विश्व-व्यापी षडयंत्र चला रहीं हैं गतिविधियों का भारत में विस्तार	Extension to India of Activities of Western Pharmaceutical Companies running a global racket in Human Blood	118
संविधान (33वां संशोधन) विधेयक और मुल्की नियम (निरसन) विधेयक	Constitution (Thirty-Third Amendment) Bill and Mulki Rules (Repeal Bill) .	119
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	119
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit . . .	119
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy . . .	124
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	126
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	127
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao .	128
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी	Shri Y. Eswar Reddy .	129
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwar Rao .	130
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	131
श्री कृष्णचन्द्र पंत	Shri K. C. Pant .	133
श्री एच० एन० पटेल	Shri H. M. Patel . .	134
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	135
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	135
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy .	136
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kastik Oraon .	136
श्री एस० बी० गिरी	Shri S. B. Giri .	137
खंड 2 से 4 और 1 [संविधान (33 वां) संशोधन विधेयक]	Clauses 2 to 4 and 1 Constitution (Thirty-third) Amendment Bill.	139
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limye	139
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended .	140

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	141
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	144
खंड 2, 3 और 1 [मुल्की नियम (निरसन) विधेयक]	Clauses 2, 3 and 1 Mulki Rules. (Repeal) Bill	145
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy	146
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	146
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	146

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 1973/27 अग्रहायण, 1895 (शक)

Tuesday, 18 December, 1973/Agrahayana 27, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the Chair]

निधन संबंधी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैं श्री मुजफ्फर अहमद के दुखद निधन की अत्यधिक दुख के साथ घोषणा करता हूं। उनका आज सुबह कलकत्ता में निधन हुआ। उनका 85 वर्ष की आयु में देहान्त हुआ।

जैसाकि आप जानते हैं कि वह पुरानी पीढ़ी से सम्बन्धित थे और महान स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने निर्धनों और दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव थे और सभी पार्टियां उनका अत्यधिक सम्मान करती थीं।

जैसा कि मैंने कहा, वह एक महान स्वाधीनता सेनानी थे और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। इसके अलावा वह एक महान सात्यिकार भी थे। वह 'नवयुग' के सम्पादक और अनेक पुस्तकों के लेखक थे। हमारे अनेक नेताओं और समाज सेवियों के लिए वह प्रेरणा स्रोत थे। उनके निधन से हमने एक महान नेता और देश का एक उच्च समाज सेवी खो दिया है।

आप सबकी ओर से मैं शोक सन्तप्त परिवार के प्रति गहराँ शोक और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। जैसाकि मैंने कहा शोक सन्तप्त परिवार के प्रति दुख प्रकट करने में सदन मेरा समर्थन करेगा।

उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अब हम खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

औषध निर्माता फर्मों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंसों के माध्यम से क्षमता का विनियमन

*527. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माता कारखानों को सी० ओ० बी० लाइसेंस देने से यह क्षमता निश्चित हो गई है जो किसी कारखाना विशेष ने पहले ही प्राप्त कर ली थी ;

(ख) यदि हां तो क्या यह जानने के लिये कोई प्रयास अथवा जांच की गई कि यह क्षमता प्राधिकृत है अथवा नहीं; और

(ग) क्या सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करके कुछ फर्मों ने अनुचित लाभ उठाया है और उसे नियमित करा लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । एक औषध निर्माण यूनिट को क्षमता समेकन की अनुमति की गई । इसके लिए इसके उत्पादन को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया :—

(1) 1966 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उत्पादन जिसमें वैविधीकरण की अनुमति है ;

(2) संम्बन्धित पार्टी को जारी किए गए अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र;

(3) 27-5-1969 की अधिसूचना के अन्तर्गत उद्योग को सामान्यतया दी गई छूट के अनुसार सम्बन्धित पार्टी द्वारा किया जाने वाला उत्पादन;

(ख) सी० ओ० बी० लाइसेंस तकनीकी सलाहकारों की सिफारिशों और लाइसेंस समिति के अनुमोदन पर जारी किया गया था।

(ग) जी नहीं।

श्री के० एस० चावड़ा : अनुमति/अनापत्ति पत्र और विविधीकरण के मामले में चार शर्तें हैं अर्थात् उस विशिष्ट विदेशी फर्म को तकनीकी विकास महानिदेशालय को सूचना देनी होती है और मंजूरी प्राप्त करनी होती है। दूसरे छोटे तुलन उपकरणों का उपयोग; तीसरे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त राशि खर्च नहीं होनी चाहिए और चौथे उत्पादन लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। इस फर्म और अन्य विदेशी फर्मों ने इन चारों शर्तों का उल्लंघन किया था जिसके कारण उन्हें भारी लाभ हुआ। इस विदेशी फर्म ने अपने देश को 110 करोड़ रु० की राशि भेजी है; इसकी विशाल अस्तियों की कीमत 98 करोड़ रुपये है। उदाहरणार्थ एक कम्पनी के पास जिसका उत्तर में उल्लेख किया गया है केवल 1.5 करोड़ रुपये साम्य पूंजी है; इस कम्पनी ने 7.5 करोड़ रुपये की साम्य पूंजी बना ली है और 4.5 करोड़ रुपये की रक्षित निधि बना ली है और इसकी आस्तियों का मूल्य 62 करोड़ रुपये है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जबकि हमारी भारतीय कम्पनियों पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रतिक्रियाएं अधिनियम के प्रावधान लागू किये जाते हैं तो इस कम्पनी के ऊपर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम क्यों लागू नहीं किया जाता ? दूसरे क्या सरकार इस विदेशी फर्म को वह सारी धनराशि वापस लाने के लिए आदेश देगी, जिसे, इस फर्म ने सभी प्रकार के कदाचारों को अपनाकर विदेश भेजा था ?

श्री शाहनवाज खां : समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुरूप ही फर्म को अपनी क्षमता में विस्तार करने की मंजूरी दी गई थीं। उन्होंने सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन किया था जिसकी उन्हें मंजूरी दे दी गई थी।

यद्यपि तकनीकी विकास महानिदेशालय और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने उनके लिए काफी अधिक क्षमता के लिए सिफारिश की थी, परन्तु मन्त्रालय और लाइसेंस समिति ने क्षमता को काफी कम कर दिया था।

विदेशों में आस्तियों के भेजे जाने के बारे में वित्त मन्त्रालय के निश्चित आदेश और अनुदेश हैं और जो धनराशि विदेशों में भेजी जाती है वह वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ही भेजी जाती है। जो धनराशि विदेशों में भजी जा चुकी है उसे फिर से वापस यहां मंगाना सम्भव नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने बताया कि मंजूर अनापत्ति पत्र और विविधिकरण के बारे में चार शर्तों का उल्लेख था। इस कम्पनी ने उन शर्तों का पालन नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप इस कम्पनी को भारी मात्रा में लाभ हुआ। मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है। जिन शर्तों का उल्लंघन किया गया था? क्या सरकार ने उनको विनियमित कर दिया था?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन फर्मों ने वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत काम किया। उन्होंने किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया है वह वर्तमान मंजूरी के अधीन किया, जो उन्हें सरकारी अधिसूचनाओं अथवा अन्य आदेशों द्वारा दी गई।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या मैं फिर से यह पूछ सकता हूं कि क्या बम्बई की गलाक्सो कम्पनी लि० ने शर्त का पालन नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने तकनीकी विकास महानिदेशालय की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। क्या उनका उत्पादन 25 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत रहा है? क्या उन्होंने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन नहीं किया? क्या उन्होंने यह अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की मदद के बिना किया है?

श्री शाहनवाज खां : जी हां। उन्होंने ऐसा ही किया है। उन्होंने $2\frac{1}{2}$ पालियों में काम करके अपनी क्षमता में वृद्धि की है। किसी अतिरिक्त मशीनरी अथवा विदेशी मुद्रा की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री के० एस० चावड़ा : लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा किया है और इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया। सरकार ने सी० ओ० वी० लाइसेंस के अधीन इसकी मंजूरी दी है। एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इसी वजह से यह सम्भव हो सका है। कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री शाहनवाज खां : लाइसेंस समिति और मन्त्रालय ने तकनीकी विकास महानिदेशालय और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की सिफारिशों की जाँच की और उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया परन्तु अधिकृत क्षमता तक उनके विस्तार में कमी कर दी। कोई अनियमितता नहीं बरती गई।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी प्रबन्ध वित्त और/अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत कितनी औषध फर्मों को सी० ओ० वी० लाइसेंस दिये गये थे और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने प्रतिशत?

श्री शाहनवाज खां : यही अकेली ऐसी फर्म थी जिसने सी० ओ० वी० लाइसेंसों के माध्यम से औषध फर्मों की क्षमताओं को समेकित करने के लिए आवेदन किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितनी फर्मों को सी० ओ० वी० लाइसेंस दिये गये?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न इसमें से नहीं उठता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उत्पादन में वृद्धि और लाभ की भारी राशि को विदेशों में भेजकर इस विशिष्ट फर्म 'ग्लेक्सो' द्वारा अतिरिक्त फायदा उठाने को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या नियमों में ऐसा कुछ है जिसका पालन किया गया है और फिर भी त्रुटि रह गई हैं और मन्त्रालय ने निदेशालय की सिफारिश में कटौती की, क्या इससे यह आभास नहीं मिलता कि ग्लेक्सो जैसी विदेशी कम्पनियों के प्रति सामान्यतः सरकारी क्षेत्रों में तरजीही व्यवहार किया जाता है और मन्त्रालय ने उनमें कमी करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की ?

श्री शाहनवाज खां : मैं इसका खण्डन करता हूं कि इनमें से किसी भी विदेशी फर्म के प्रति तरजीही व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः हम भारतीय फर्मों की मदद करने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : The hon'ble Minister has just now said that glaxo was allowed to expand its production capacity due to four reasons. I would like to know as to what extent their sale and production has gone up since 1966 ? Is it not a fact that a biscuit of international brand, which is not licenced here, is being manufactured there and you are permitting them to do it and the royalty for it is being repatriated abroad ?

Shri Shahnawaz Khan : The actual production of a firm was one and a half times the licensed capacity. The expansion was allowed in accordance with the various instrutions issued by the Government, because some of the drugs and medicines were in short supply and the country was in dire need of them. It was the demand of the country that their production be increased. They increased their production under that policy and fulfilled the requirements of the country.

Shri Madhu Limaye : What is the production at present as also in 1966 ?

Shri Shahnawaz Khan : I have already said that the production is one and a half times at present.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस फर्म के निर्यात-कार्यकरण के अनुसार उसे कोई आयात लाइसेंस दिया गया है ?

Mr. Speaker : How does export performance come in.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने कहा है कि मशीनरी आदि के आयात के लिए अथवा विस्तार के लिए इस फर्म को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई।

Shrimati Savitri Shayam : It is a very relevant question kindly get it answered.

Shri Shahnawaz Khan : As I said that they increased their capacity by making internal managements. The substantial expansion was achieved not by adding any machinery nor any foreign exchange was involved.

तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अशोधित तेल का उत्पादन

*528. **श्री पी० ए० सामिनाथन** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अनुभव करता है कि ड्रिलिंग-कार्य की सफलता के अनुपात से उसकी अशोधित तेल की उत्पादन दर अब 41.1 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारत में तेल की मांग को पूरा करने में कब तक सफल होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां।

(ख) 41.1 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल प्रति वर्ष उत्पादन दर वास्तव में 1972-73 में प्राप्त हो गई थी, खोजे गए तेल/गैस युक्त क्षेत्रों तथा व्यधन द्वारा परीक्षित संरचनाओं की सफलता का अनुपात 1:3.2 रहा है।

(ग) इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह भावी सफलता के अनुपात तथा भावी तेल सम्बन्धी खोजों के आकार और उत्पादन क्षमता जिसके लिए तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग भूमि पर तथा समुद्र तट से दूर सतत प्रयास कर रहा है, पर निर्भर है।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर और भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में तेल के बारे में कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे देश में तेल क्षेत्रों की भावी खोज के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

श्री देवकान्त बरुआ : अगले पांच वर्षों में 700 लाख टन निकाले जा सकने योग्य तेल के अतिरिक्त भण्डारों का पता लगाने और कच्चे तेल के उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि करने का प्रस्ताव है कि वर्ष 1978-79 में 84.20 लाख टन की उत्पदन क्षमता की दर को प्राप्त किया जा सके और योजनावधि के दौरान कुल उत्पादन 341.20 लाख टन हो सके। अगले पांच वर्षों में रूसी विशेषज्ञों और हमारे अपने विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के स्रोतों से लगभग 40 लाख अथवा 42 लाख अतिरिक्त कच्चा तेल प्राप्त करने का है। हम ईराक में भी खुदाई करने जा रहे हैं, जहां हमें 4,175 वर्ग किलोमीटर भूमि आवंटित की गई है। हम अन्य देशों —ईरान और अल्जीरिया में भी कुछ स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने देश में समुद्र-तट से दूर तेल की खोज करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपर बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उपेक्षित पड़े तेल क्षेत्रों में खुदाई करने और वहां तेल की खोज करने के लिए भारत सरकार को बर्मा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

श्री देवकांत बरुआ : जी नहीं।

श्री एस० आर० दामाणि : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले पाँच वर्षों में कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ? दूसरे मन्त्री महोदय ने अगले पांच वर्षों के दौरान सम्भावित वृद्धि के आंकड़े दिये हैं; मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन में वृद्धि के लिए किस आधार को ध्यान में रखा गया है ?

श्री देवकान्त बरुआ : पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारा अतिरिक्त उत्पादन लगभग सीमान्त रहा है। लगभग दस लाख टन की वृद्धि हुई है। परन्तु हमारा खुदाई कार्य काफी बड़े पैमाने पर होता रहा है और हमें काफी अच्छे क्षेत्रों का पता चला है।

जहां तक अगले पांच वर्षों के लिए योजना का सम्बन्ध है यह वर्ष 1970-71 में रूसी विशेषज्ञों की सहायता से किये गये तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनों और हमारे अपने विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है और उसके आधार पर यह सम्भव पाया गया है कि जहां तक तट-दूर तेल की खुदाई का सम्बन्ध है, हम अगले पांच वर्षों के दौरान 40 अथवा 42 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन कर सकते हैं।

श्री एस० आर० दामाणि : श्रीमान् जो, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई वृद्धि के बारे में जानना चाहता था। मन्त्री महोदय ने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। वह हमें वृद्धि के वर्षवार आंकड़ों का ब्यौरा दें।

श्री देवकान्त बरुआ : इस प्रश्न के लिए मैं सूचना चाहता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether his attention has been drawn towards the press reports that oil has been found in Kachhativu and whether facts have been got ascertained and negotiations with Srilanka Government are on for its explortation ?

Mr. Speaker : How Kachhativu has come into it ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : You had just allowed a question regarding Burma.

Mr. Speaker : This does not arise out of the main question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You had allowed a question about Burma, whereas Kachhativu is a part of our country. It appears we have washed our hands of not only this Island but its oil also. If oil has been struck here, it must be available in the surrounding area also.

Shri D. K. Barua : Our Geologist have indicated prospects of oil there. Drilling shall have to be done to find out.

डा० हैनरी आस्टिन : समाचार पत्रों में छपा है कि कच्चातिवु द्वीप न केवल तेल के अपार भंडार हैं अपितु श्री लंका सरकार ने उसे निकालने की भी योजना बना ली है। इससे न केवल राजनीतिक अपितु प्रमुख, आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से असंगत सा है।

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली : क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को गत 3-4 वर्षों में दी गई राशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है? यदि हां, तो यह आयोग इस अवधि में ठीक से कार्य नहीं कर पाया है यहां तक कि पेट्रोलियम मंत्रालय को इसका अध्यक्ष बनाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति ही नहीं मिला ?

अध्यक्ष महोदय : यह यहां कैसे संगत है? आप बाद में तेल आयोग पर सीधा प्रश्न रख सकते हैं।

ऐसा लगता है कि सदस्यों के मन में कोई बात होती है जो वे किसी-किसी प्रश्न के पूरक प्रश्न के रूप में पूछने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली : कृपया मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने दी

श्री देवकांत बरुआ : यदि आप इसे संगत समझते हैं तो ......

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर अलग प्रश्न रखें।

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली : गत तीन-चार वर्षों में आयोग दी गई राशि का उपयोग क्यों नहीं कर पाया है ?

श्री देवकान्त बरुआ : इसकी पूर्व सूचना अपेक्षित है।

नवम्बर, 1973 में खुर्दा रोड पर लोको संगचल कर्मचारियों द्वारा अचानक गैर-कानूनी हड़ताल

*529. **श्रीमती सावित्री श्याम** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 नवम्बर, 1973 से 25 नवम्बर, 1973 के बीच खुर्दा रोड के लोको संगचल कर्मचारियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से अचानक हड़ताल कर दिये जाने के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे के दक्षिण-पूर्व तटीय सेक्शन की रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अनुमानतः कितनी वित्तीय हानि हुई और रेलवे, जनता तथा कर्मचारियों के कितने जन दिवसों की क्षति हुई ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) खुर्दा रोड में 23-11-73 को एक बिजली फिटर द्वारा प्रथम फायरमैन पर कथित हमले के फलस्वरूप अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन ने बिजली फिटर से सरे आम माफी मांगने की मांग की। जब उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो रनिंग कर्मचारियों ने गाड़ी-संचालन न करने का फैसला किया।

(ख) प्रशासन कथित हमले के बारे में जांच करने तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति अवधि को "बिना वेतन छुट्टी" मान लेने के लिए सहमत हो गया। लोको रनिंग कर्मचारियों की ओर से एक आश्वासन दिया गया कि रेल प्रशासन को 30 दिन का नोटिस दिये बिना किसी भी स्थानीय मसले पर गाड़ी सेवाएं बन्द नहीं की जायेंगी।

(ग) हानियों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :--

जनता को हानि	गाड़ी-सेवाओं में कमी कर देने और उनका मार्ग बदल देने के कारण जनता को असुविधा हुई।
कर्मचारियों को हानि	अनुपस्थिति अवधि के लिए उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।
रेलों को हानि जन-दिन हानि	रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Smt. Savitri Shyam: The strike on South Eastern Railway was due to mutual quarrel. One Electrician man-handled a member of the loco staff. There was no trouble between

the Railway Administrative and the loco staff. He has also stated that during the period of absence the loco staff will not get any pay. Whether the loco staff have applied to Government to treat the period of absence as earned leave ? If so, whether this would be considered ?

Shri L. N. Mishra : This request has been acceded to.

Smt. Savitri Shyam : All the disputes are referred to enquiry Commission or arbitration I want to know the functions of the Evaluation and implementation Cell ?

Shri L.N. Mishra : This is hardly relevent.

Shri Narsingh Narain Pandey : Whether it is not a fact that all the assurances given by the hon. Minister here are not honoured by Railway Administration, Board or the Cell. So much so, the present lock out and strike etc. is also the result thereof. Therefore what is proposed to be done in this regard ?

Mr. Speaker : Sorry. It is not relevant.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : रेलवे बोर्ड या उसका सैल मंत्री के आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं करता है। इस बारे में मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कल इस पर काफी समय दिया जा चुका है और मंत्री महोदय उत्तर भी दे चुके हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मेरा प्रश्न असंगत कैसे है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया था। कल हो चुकी बात आज फिर कैसे होगी।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सहायता का अनुरोध

*531. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं ;

(ग) क्या उनमें से एक प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से सम्बन्धित है; और

(घ) सरकार ने इसको प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्णचन्द्रपन्त) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश में एक पाइलाट ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति पहले से ही है। यह करीमनगर जिले के सिरसिला तालुक में स्थित है। पता लगाया गया है कि दो और ग्राम्य विद्युत सहकारिताएं, जिनमें चित्तूर जिले की भी एक सहकारिता शामिल है, स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार/बिजली बोर्ड के विचाराधीन है। ग्राम विद्युतीकरण निगम को इन सहकारिताओं की सहायता के लिए कोई भी अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : किसी राज्य विशेष में सहायता देने हेतु क्या कोई कसौटी अपनाई जाती है ? यदि हां, तो क्या चित्तूर जिले के संबंध में यह लागू नहीं होती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारिताओं की जांच के लिए बनाई गई समिति ने जो कसौटी अपनाई है, वह है——लघु उद्योग लगाने की क्षमता और कृषि कार्यों में बिजली का उपयोग और इसका क्षेत्रीय विकास योजना के अनुरूप होना। चित्तूर के इन्हें पूरा न करने का कोई कारण नहीं परन्तु जब तक योजना प्राप्त नहीं हो जाय और जब तक विशिष्ट परियोजनाओं का अध्ययन न किया जाये यह कहना कठिन है कि उसे शामिल किया गया है या नहीं। हमें इसकी प्रतीक्षा है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) में चित्तूर जिले को कुछ प्राथमिकता देने की बात है जो सिंचाई के लिए भूमिगत जल और कुए के पानी पर निर्भर है, तो क्या सरकार इस योजना को चित्तूर पर लागू करने में इन बातों पर विचार करेगी ?

श्री के० सी० पन्त : यह पहलू तो ध्यान में रखा ही जाएगा परन्तु यह भी देखा जाएगा कि देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में सहकारिताएं सहायता प्राप्त करें। आन्ध्र प्रदेश में एक सहकारिता पहले ही है और यद्यपि इस समय मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां और कोई सहकारिता नहीं बनेगी परन्तु इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य राज्य के लिए प्रस्ताव आने पर देश भर में समान वितरण की बात पर ध्यान रखा जाएगा।

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या सरकार को पता है कि सिंचाई और विद्युत के भूतपूर्व मंत्री के अनुसार आंध्र प्रदेश को बिजली का गंभीर संकट है और यदि हां, तो केन्द्र द्वारा शीघ्र क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न बिजली के संकट के बारे में नहीं है। अतः यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री बी० एन० रेड्डी : क्योंकि आंध्र में बिजली का संकट है अतः इसे केन्द्र से सहायता मिलनी ही चाहिये। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि आंध्र में कोई ग्रामीण विद्युतीकरण की सहकारिता नहीं है। अतः कोई कार्यवाही शीघ्र ही की जानी चाहिये....

अध्यक्ष महोदय : खेद है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। अब आप बैठ जाएं। यदि सदस्य महोदय चाहें तो वह पृथक प्रश्न की सूचना दें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार उन स्थानों पर ये सहकारिताएं गठित करने में प्राथमिकता देगी जहां अधिक भूमिजल उपलब्ध है या जहां भूमिगत जल का उपयोग करना पड़ता है और क्या सभी राज्यों में यही कसौटी अपनाई जाएगी ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह बात संगत है किन्तु कुछ भागों में पम्पों द्वारा जल नदियों से खीचा जा सकता है जैसे कि भूमि पर उपलब्ध जल इसके लिए भी बिजली चाहिये अन्यथा डीजल पम्प काम में लाए जाते हैं यह मामले का दूसरा पहलू है लघु उद्योग लगाने की संभावना भी दूसरा पहलू है।

इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों के मंसूख होने के कारण कलकत्ता में यात्रियों की भारी भीड़ की आवश्यकता-पूर्ति के लिए किए गये उपाय

*532. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें मंसूल कर दिये जाने के कारण हावड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के रद्द होने के फलस्वरूप हुई यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए, हावड़ा से चलने वाली गाड़ियों सहित महत्वपूर्ण गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाये जा रहे हैं ।

श्री आर० एन० बर्मन : रेलवे अधिकारियों ने उन यात्रियों को सुविधाएं देने के लिये क्या व्यवस्था की थी जिन्हें इंडियन एयर लाइंस की उड़ानें रद्द हो जाने के कारण हावड़ा स्टेशन पर रुकना पड़ा था ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी यह सम्भव होता है कि रेलवे अपनी भार क्षमता में वृद्धि करे तो रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के लिये अपनी क्षमता में वृद्धि करती रही है ।

श्री आर० एन० बर्मन : उक्त अवधि में हावड़ा और सयालदाह के बीच कितनी गाड़ियां नहीं चलीं और इसके क्या कारण थे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुझे उन विशेष स्टेशनों—हावड़ा और सयालदाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि हावड़ा से रेल सेवा में सुधार करने के लिये अतिरिक्त डिब्बे लगाये जा रहे हैं लेकिन क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कल से हावड़ा और दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों को किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार कम से कम हावड़ा और दिल्ली के बीच नियमित गाड़ियां नियमित डिब्बों के साथ चलाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे हमें उचित रूप से गाड़ियां चलाने में सहायता करें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यदि श्री मिश्रा त्यागपत्र दे दें तो गाड़ियां नियमित रूप से चलने लगेंगी ।

Shri T. N. Tiwari : I am surprised to know from the statement that there has been great rush at the Howrah Station due to cancellation of Indian Airlines flights. Whereas the actual position is that the such is due to traffic between these two big Stations. I want to know what arrangement have been made for those people ? There would have been a rush of 150—200 persons only due to cancellation of flights. Actually rush is due to the cancellation of trains. I want to know what steps have been taken for accommodating those passengers. ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Air Conditioned Coaches have been much effected due to the Cancellation of I.A. flights. The Railways have there own Capacity. We can at the most attach one Coach or so. But it does not mean that we can cater to the entre traffic diverted by the Indian Air lines.

श्री वायलर रवि : इंडियन एयरलाइंस की हड़ताल के कारण विमान से केरल का सम्पर्क टूट गया है और बम्बई और मद्रास को जाने वाली गाड़ियों में भारी भीड़ होती है। मेरी जानकारी के अनुसार मद्रास और बम्बई जाने वाले यात्रियों के लिये रेलवे ने कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय मद्रास और बम्बई जाने वाले इन यात्रियों के लये गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दक्षिण रेलवे को ये निदेश जारी किये गये हैं कि एयर लाइंस की उड़ानों के रद्द होने से हुई भीड़ के लिये प्रबन्ध किये जायें।

यूनियन कार्बाईड को कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुमति

*533. **श्री वेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनियन कार्बाईड इण्डिया लिमिटड को कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन और बढ़ाने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) 350 मीटरी टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले कोबेरिल टेकनिकल को सुत्र वद्ध करने के लिए मई 1971 में मैसर्स यूनियनकार्बाइड (इंडिया) लि० को कार्य जारी रखने का लाइसेंस (कांब) दिया गया था। कार्बेरिल के सदृश आधुनिक कीटनाशियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस पार्टी को इस आशय का पत्र दिया गया है कि वह कार्बेरिल (तकनीकी) का 5000 मीटरी टन का उत्पादन करें ऐसा करते हुए इस के साथ साथ यह भी अनुबन्ध किया गया है कि वास्तविक उत्पादन का 50 प्रतिशत गैर-सम्बद्ध फार्मूलेटरों को उपलब्भ करवाना चाहिए।

श्री वेकारिया : उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन कार्बाईड को कार्बारिल (टेक्नीकल) का उत्पादन 350 टन प्रति वर्ष से बढ़ाने अथवा तैयार करने के लिये अनुमति नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यूनियन कार्बाईड को 1,500 टन 'कार्बोरिल' का आयात करने का लाइसेंस दिया गया है जबकि उसकी वास्तविक क्षमता 350 टन है गत मई में 1500 टन आयात करने की अनुमति दी गई है। अब भी मंत्रालय यूनियन कार्बाईड को 2,000 टन और 'कार्बारिल' का आयात करने का लाइसेंस देने के बारे में विचार कर रही है। इसके क्या कारण हैं ? आयात लाइसेंस उसकी वास्तविक उपयोग करने वालों को ही दिये जाते हैं लेकिन इस मामले में उक्त फर्म केवल 350 टन 'कार्बारिल' और इससे कुछ अधिक का उपयोग कर रही है। उक्त फर्म को इतनी बड़ी मात्रा में 'कार्बारिल' का आयात करने का लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ? क्या यह एकाधिकार है ?

श्री शाहनवाज़ खां : 'कार्बारिल' एक कीटनाश दवाई है और वह मेथाइल पर निर्भर करती है उक्त कीटनाशी दवाई भारत में उपलब्ध नहीं है। वास्तव में विश्व में केवल दो ही फर्में इसका उत्पादन करती हैं। एक फर्म यूनियन कार्बाईल अमरीका में है और दूसरी फर्म इजराईल में है। यूनियन कार्बाइड (इंडिया) ने अमरीका में स्थित अपनी मुख्य फर्म से इसका आयात करने का प्रबन्ध किया है। गुजरात तथा अन्य स्थानों में कपास की फसल के लिये इस कीटनाशी दवाई की भारी मांग है और उस मांग को पूरा करने और 'इन्टेरिन' को जिसका पहले प्रयोग किया है, अधिक विषैला और खतरनाक समझते हुए

हम 'कार्बारिल' का यथा सम्भव आयात करना चाहते हैं। हमने 'कार्बारिल' का अन्य साधनों से भी आयात करने का प्रयास किया है और हमने राज्य व्यापार निगम से भी इसका आयात करने का अनुरोध किया है लेकिन चूंकि वह इसका आयात करने में असफल रहा है, तो हम उक्त फर्म से उसका आयात करने पर्व वाध्य हुए।

श्री बेकारिया : स्पष्टीकरण पूर्णतया असंतोषजनक है। वास्तव में उद्योग मंत्री ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि विदेशी फर्मों को कच्चे माल के लिये केवल 25 प्रतिशत के और आयात लाइसेंस दिये जायेंगे लेकिन उक्त फर्म को उसकी क्षमता से 700 प्रतिशत अधिक माल के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। प्रश्न के दूसरे भाग से यह विदित होता है कि यूनियन कार्बाईड को 5,000 टन कार्बारिल का उत्पादन करने का आशय-पत्र दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी और भारतीय कम्पनियों में कार्बारिल का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने का अनुरोध किया था और क्या उन फर्मों को लाइसंस दिया गया था अथवा नहीं। दूसरे, मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया था कि विश्व में केवल दो फर्में 'कार्बारिल' का उत्पादन करती हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि विश्व में ऐसी तीन कम्पनियां हैं। एक जर्मन कम्पनी बी० एस० एफ० भी जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख नहीं किया है। वह भी कार्बारिल' का उत्पादन कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस न देने के क्या कारण हैं जो बी० एम० एफ० इजराइल में अन्य फर्म से कार्बारिल' का आयात करने के लिये तैयार हैं।

श्री शाहनवाज खां : हम भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस दे रहे हैं और हमने उन्हें लाइसेंस दिये हैं। वास्तव में माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में मुझसे कल विचार विमर्श किया था उन्होंने इस सम्बन्ध में एक फर्म का भी उल्लेख किया था। मैंने उन्हें बताया था कि यदि उक्त फर्म 'कार्बारल' का आयात करने का प्रबन्ध कर सकती है तो हमें उसे लाइसेंस देने में बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री बेकारिया : मेरा प्रश्न यह है कि कितनी अन्य भारतीय कम्पनियों ने 'कार्बारिल' का उत्पादन करने के लिये अनुरोध किया था और इस सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

श्री शाहनवाज खां : अन्य दो फर्मों ने भी लाइसेंस के लिये आवेदन दिया है। उनमें से एक एलेम्बिक्स है और दूसरी मैसर्स देवी दयाल है। हमने एलेम्बिक्स का अनुरोध स्वीकार कर लिया है और देवी दयाल का मामला विचाराधीन है। मैं इस बात का आश्वासन देता कि उनके आवेदन-पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जायेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमारा इस मामले में किसी विशेष फर्म से सम्बन्ध नहीं है। क्या सरकार का यह विचार है कि वह 'कार्बारिल' नामक कीटनाशक औषधि का, जो विश्व में केवल दो अथवा तीन कम्पनियों के पास उपलब्ध है, आयात करती रहेगी अथवा सरकार का यह विचार है कि वह इस पर निर्भर नहीं रहेगी और अपना कार्य, उक्त कीटनशी औषधि के बिना भी करेगी? इस सम्बन्ध में सरकार के विचार स्पष्ट होने चाहिये।

श्री शाहनवाज खां : हम देश में उक्त कीटनाशक दवाई का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं अतः हम भारतीय फर्मों को इसका उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दे रहे हैं।

उकाई एक्सटेंशन के लिए गुजरात सरकार द्वारा भेजा गया परियोजना प्रतिवेदन

*534. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :—क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उकाई एक्सटेंशन का परियोजना-प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को 1972 में दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार उस पर कब तक स्वीकृति दे देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, । गुजरात बिजली बोर्ड ने उकाई में एक विस्तार परियोजना के रूप में 2×200 मैगावाट के उत्पादन सेटों के प्रतिष्ठापनार्थ एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

(ख) और (ग) परियोजना की जांच की जा रही है ।

Shri Arvind M. Patel : The hon. Minister has just stated that the Electricity Board has submitted a project and it is under examination. I want to know when this examination will be completed ?

Shri K. C. Pant : The project was constructed on the ground that the oil used for production of power in Dhuvaram may not be used and the coal may be used in its place and meanwhile coal may be given to Ukai extension. But the present position of oil is that it is not possible to produce power with the use of oil even for a few days. How the Coal many reach to Ukai extension and what should be done in the matter of its transportation. All these things have to be looked into because the project has been constructed on this basis.

Shri Arvind M. Patel : I want to know whether the Government have received a report to spend an additional amount of rupees 110 crores for the development of Ukai area and if so, the Government is reaction thereto ?

Shri K. C. Pant : The Question relates to Ukai extension project, I have at present no information about it.

श्री डी० पी० जदेजा : उकाई एक्सटेन्शन योजना और एरिया विकास कार्यक्रम, जैसा कि मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि मामला अभी विचाराधीन है । क्या सरकार उकाई में कार्य में प्रगति के साथ आंशिक परियोजनाओं को भी क्रियान्वित करने पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं सका । उकाई परियोजना के विस्तार की एक योजना है । जैसा मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि यह इस बात पर आधारित था कि धुवारन में तेल का प्रयोग जारी रहेगा और उकाई में कोयला उपलब्ध रहेगा । अब इसकी सम्भावना कम हो गई है क्योंकि तेल का संकट उत्पन्न हो गया है और हमें उकाई एक्सटेन्शन को कोयले और परिवहन की सप्लाई में सुधार करना पड़ेगा । ऐसी अवस्था में परियोजना को अनुमति देना उचित नहीं होगा। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उसमें सुधार किये बिना परियोजना में पूंजी लगाना व्यर्थ होगा ।

52 LSS/73—3

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट नहीं है । उन्होंने कहा है कि क्योंकि चुवारन का तेल की सप्लाई अनिश्चित हो गई है इसलिये उकाई के विस्तार के लिये कोयले की सप्लाई की योजना बनाना कठिन है । इन दोनों का क्या सम्बन्ध है क्योंकि उकाई भिन्न दिशा में है । मूलतः उकाई कोयले पर आधारित था। अतः वर्तमान उकाई पावर स्टेशन के लिये ढुलाई सम्बन्धी प्रबन्ध किये जा चुके हैं । इसलिये इन प्रबंधों में कोई सुधार करना अपेक्षाकृत सरल होना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका कारण यह है कि धुवारन पावर हाउस को तेल के स्थान पर कोयले से चलाने के लिये इस बिजलीघर के लिये कोयले की मांग निर्धारित की गई थी । विचार यह था कि कुछ समय तक इसे तेल से चलाया जाए जिससे धुवारन के लिये निर्धारित कोयला उकाई को दिया जा सके । मूल योंजना इसी विचार से बनाई गई थी । उसी कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है ।

श्री के० एस० चावड़ा : गुजरात में 1972 से बिजली की कमी है । इस बात को देखते हुए सरकार इस परियोजना को स्वीकार करने में कितना समय और लेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : निश्चित समय बताना मेरे लिये बहुत कठिन है । किन्तु मैं प्रयत्न करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे गुजरात उस परियोजना को आगे बढ़ा सके । कठिनाई वास्तविक है तथा इन कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व हम उन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे ।

Revision of Pay Scales of Railway Employees as recommended by Miabhoy Tribunal

***535. Shri R.V. Bade** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the salaries of Railway employees have been enhanced in consonance with the recommendations of Miabhoy Tribunal ; and

(b) if not, the categories of employees to whom those recommendations have not been made applicable ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मियाभाई अधिकरण की सिफारिश के अनुसार रेल कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के बारे में 18-12-73 को लोक सभा में श्री आर० वी० वड़े द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न 535 के उत्तर से सम्बन्धित विवरण

(क) जी हां । अधिकरण की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित चार कोटियों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये गये हैं :—

(1) रेलों में यांत्रिक, बिजली, सिगनल व दूर-संचार और सिविल इंजीनियरिंग कारखानों में 450-575 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में फोरमन 'ए' के पदों का पदनाम बदलकर 'कारखाना अधीक्षक' कर दिया गया है और इन पदों के पदधारियों को 150 रुपये प्रति मास का विशेष वेतन दिया गया है ।

(2) रेलों में यांत्रिक, बिजली, सिगनल व दूर-संचार कारखानों में 370-475 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में फौरमैन 'बी' के सभी पदों का और सिविल इंजीनियरिंग कारखानों में

335–485 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में फोरमैन के सभी पदों का ग्रेड बढ़ाकर 450–575 रुपये (प्रा० वे०) कर दिया गया है और उनका पदनाम बदलकर सहायक कारखाना अधीक्षक कर दिया गया है ।

(3) गैंगसेट को 80–110 रुपये (प्रा० वे०) के वर्तमान वेतनमान के बजाय 105–135 रुपये (प्रा० वे०) का वेतनमान दिया गया है ।

(4) की-मैन को 75–95 रुपये (प्रा० वे०) के वर्तमान वेतनमान के बदले 75–110 रुपये (प्रा० वे०) का वेतनमान दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri R. V. Bade : Mr. Speaker, Sir, may I know whether Government's acceptance of the Tribunal's recommendations is relevant to these four categories or to certain others also ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have clearly indicated in my statement that we have accepted four recommendations relating to the Pay scales but so far as the other recommendations regarding certain other categories are concerned there are no financial implications. In regard to demand No. 8 we have upgraded those guards who would run trains upto a distance of more than 250 kilometres. Grade 'B' guards have been made grade 'A' guards, since it does not involve any pay element.

Shri R.V Bade : May I know from the hon. Minister whether any recommendations have been made regarding the Civil Engineers and casual workers ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Terms and reference laid down for Miabhoy Tribunal included the issues of night duty allowance, workshop staff, and payment if wages to casuai labour.

श्री एस० बी० गिरी : क्या मियांभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों को दण्डकारणय परियोजना के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : पंचाट क्षेत्रवार नहीं श्रेणीवार दिया गया है । यह जिस श्रेणी के बारे में लागू होता है उस पर लागू कर दिया गया है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know as to how the decision taken on the recommendations made by the Miabhoy Tribunal would be implemented ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If hon. Member reads the statement it would be quite clear to him that Government have acceded to certain recommendations and certain other recommendations are under consideration.

वर्ष 1973 के दौरान समवाय अधिनियम का उल्लंघन

*536. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार उद्योग-गृहों में से किसी के भी द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कितने मामलों की जनवरी, 1973 के बाद सूचना दी गई है;

(ख) कितने मामलों में उक्त कम्पनियों अथवा उनके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं; और

(ग) कितने मुकदमों का निपटान हो चुका है उन मामलों में क्या सजा दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तीन सप्ताह पूर्व सूचना दिया गया था । मैंने जनवरी, 1973 से एकाधिकार गृहों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों पर मुकदमों के बारे में जानकारी मांगी थी । कम से कम इस महीने संबंधी जानकारी तो दी जा सकती थी । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दायर किये जाते हैं तथा उनके लिये क्षेत्रीय कार्यालय हैं । सरकार को उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को जानकारी क्यों नहीं मिल पाती ? महोदय! मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, it is highly objectionable. Kindly ask the hon. Minister to lay on the Table whatever information is available to him before adjournment.

श्री बेदव्रत बरुआ : प्रतिवर्ष कम से कम 6000 कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जाता है और 6000 मामले दायर किये जाते हैं । हम प्रतिवर्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं । चालू वर्ष की रिपोर्ट तैयार नहीं है । 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा यह ज्ञात करना पड़ता है कि एकाधिकार ग्रहों की किन-किन कम्पनियों पर मुकदमा चलाया गया है । मुकदमा दायर करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि कौन कम्पनियां एकाधिकार ग्रहों के नियंत्रण में हैं तथा कौन नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जो भी जानकारी हो उसे सभा पटल पर रख दें ।

श्री बेदव्रत बरुआ : यह ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर के लिये विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में हजारों फाइलों को देखना पड़ता है । उसमें कुछ समय लगेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मंत्रियों तथा उनके वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग को पैट्रोल का कोटा

*525. **श्री के० मालन्ना : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों द्वारा तथा उनके वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग द्वारा उपयोग किये जाने वाले सरकारी वाहनों में पैट्रोल की खपत की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) तथा (ख) यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक मंत्री तथा उनके निजी कर्मचारी वर्ग द्वारा की जाने वाली सरकारी यात्राओं में स्टाफ कारों में होने वाली पैट्रोल की खपत को प्रति क्वार्टर अधिक से अधिक 900 लिटर तक सरकारी खपत समझा जायेगा और इस सीमा से अधिक खपत को निजी खपत समझा जायेगा जिसके व्यय की अदायगी मंत्री को करनी होगी ।

उड़ीसा के देवगढ़ नगर में विद्युत् की सप्लाई में सप्ताह में दो बार कटौती

*526. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के देवगढ़ नगर की जल विद्युत् सप्लाई में सप्ताह में दो बार कटौती कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि देवगढ़ नगर को विद्युत् सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में बाल विवाह

*530. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जो कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम के होते हुए भी देश में बाल विवाह अभी तक हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये हैं; और

(ग) क्या वर्तमान अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार इसमें संशोधन करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने के पश्चात् इस बाबत अधिनियम में संशोधन करने हेतु कतिपय प्रस्तावों का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

धनबाद डिविजन में चिकित्सा सुविधायें

*537. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने धनबाद डिविजन के चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में 23-9-73 को डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट के कक्ष में पूर्व रेलवे की डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) धनबाद रेलवे अस्पताल को डाक्टरों तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से आसनसोल तथा दानापुर के अस्पतालों के समान बनाने के लिये पूर्व रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकरी के आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6044/73]

डीजल का मूल्य मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य के बराबर पर लिये जाने के कारण उसकी संभावित कमी

*538. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डीजल का मूल्य मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य के बराबर कर दिये जाने के कारण डीजल की कमी होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक योजनाओं के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन और भारतीय उर्वरक निगम में सहयोग

*539. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारतीय उर्वरक निगम को देश में उसकी उर्वरक योजनाओं के लिये सहयोग देना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग का स्वरूप क्या है; और

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति पी०ए०डी० आई० (पीपुल्स एक्शन फार डिवैल्पमेंट इंडिया) के साथ खाद्य तथा कृषि संगठन परियोजनाओं में ही सहयोग कर रहा है, जिस समिति में भारतीय उर्वरक निगम सक्रिय रूप में साझेदार है।

उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच कम्पलेक्स नाइट्रोफास्फेट उर्वरक के प्रचार हेतु योजना

इस परियोजना का मूल उद्देश्य खेती करने की वैज्ञानिक पद्धति में कम्पलेक्स नाइट्रोफास्फेट उर्वरक के सन्तुलित प्रयोग पर किसानों को शिक्षित करना है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई :--

1. कृषकों के खेतों में प्रदर्शन,
2. निःशुल्क भू-परीक्षण सेवा की व्यवस्था करना तथा भू-परीक्षण पर आधारित उर्वरक की सही-सही मात्रा की सिफारिश करने की व्यवस्था,
3. उर्वरक के वैज्ञानिक प्रयोग पर किसानों को शिक्षित करने के लिये कृषि दिवस, उर्वरक मेले, प्रदर्शनी, ग्रुप विचार-विमर्श, फिल्म दिखाने के कार्यक्रम करने की व्यवस्था,
4. इश्तिहार, चार्ट, कुशल कलंडर आदि का वितरण, तथा
5. चयन किये गये ग्रामों में कृषि विकास कार्य। इस योजना पर हो रहे खर्च के खाद्य तथा कृषि संगठन, पी०ए०डी०आई० भारतीय उर्वरक निगम तथा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

खाद्य तथा कृषि संगठन निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारतीय उर्वरक निगम के साथ सहयोग कर रहे हैं।

भारतीय शर्तों पर सल्फर-लेपित यूरिया के सापेक्षित कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना

एक ओर यूरिया की हानि को बचाने तथा दूसरी ओर संयंत्रों द्वारा उद्ग्रहण तथा साधारण उपयोग में इसकी वृद्धि करने के लिये सल्फर लेपित यूरिया तथा साधारण यूरिया की दक्षता का पता लगाने के लिये परीक्षण किये जा रहे हैं जिस के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे काफी लम्बी अवधि के दौरान नाइट्रोजन दिया जा सकेगा। सल्फर लेपित यूरिया का उत्पादन भारत में नहीं होता है तथा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० एफ० ए च० सी०) इन परीक्षणों के लिये सामग्री की व्यवस्था कर रही है।

पेट्रोल पम्प वालों द्वारा पेट्रोल में मिलावट

*540. **श्री एम० सुदर्शनम : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ पैट्रोल पम्प वाले पैट्रोल में मिलावट करते पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां, इस विषय के सम्बन्ध में कुछ त्रिकोणा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली संघ में राज्य के पुलिस द्वारा एक मामले की जांच की जा रही है।

(ख) सर्वश्री हरि मोहन मित्तल तथा बिशन स्वरूप के खिलाफ मामले की जांच हो रही है।

Accident of Trivendrum passenger Train in November, 1973

***541. Shri Chandulal Chandrakar :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the facts about the Trivandrum Passenger Train accident occurred on the 24th November, 1973 in which 44 passengers sustained serious injuries ;

(b) whether Government have paid some compensation to those passengers ;

(c) whether any action has been taken against the employees responsible for the accident ; and

(d) if so, the nature of action taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) On 24-11-1973, No. 745 Quilon-Trivandrum Central Down Passenger dashed against the dead end at Trivandrum Central Station as a result of which the Guard of the train sustained grievous injury and 10 passengers sustained minor injuries. In addition, 52 passengers sustained trivial injuries like minor abrasions etc.

(b) No claim for compensation has so far been received. However, a sum of Rs. 1,550 has been paid *ex-gratia* to the injured persons.

(c) and (d) This accident has been inquired into by a Committee of Railway Officers. Further action will be taken against the staff held responsible.

Withdrawal of a Passenger Train Running Between Kanpur and Banda (Central Railway)

***542. Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether one of the two passenger trains running between Kanpur and Banda (Central Railway) has been withdrawn ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which it will be reintroduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) 527 DN/528 UP Banda-Kanpur Passengers have been cancelled with effect from 5-11-73 due to difficult coal position and will be restored as soon as the position improves. However, one pair of Express and one pair of Passenger trains are still running on Banda-Kanpur Section.

Shortage of Wagons for Transportation of Coal to Delhi/New Delhi

***543. Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on account of shortage of wagons, coal is not reaching Delhi/New Delhi ; and

(b) if so, the steps taken by Government to move more coal to Delhi/New Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Fixation of Prices of Medicine and Chemicals

***544. Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to adopt a definite policy to fix the prices of medicines and chemicals ;

(b) whether Government are aware that prices thereof remain almost unstable in the absence of such a policy ; and

(c) if so, the time by which this proposal will be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) Prices of drugs and the following chemicals are controlled by Government under the Control Orders mentioned against such :—

1. Drugs—Drugs (Prices Control) Order, 1970.
2. Alcohol—Ethyl Alcohol (Price Control) Order 1971.
3. Molasses—Molasses Control Order, 1961 (Applicable in all States except West Bengal, Bihar, UP, Punjab and Maharashtra).
4. Synthetic rubber—Synthetic Rubber (Price Control) Order 1969.

These orders and amendments thereto are published in the Gazette of India.

कोचीन में अमोनिया कारखाने की स्थापना

5108. **श्री व्यालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय ने पैट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी के समाचार पत्रों में छपे वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि पैट्रोलियम मंत्रालय ने "फैक्ट" के कोचीन डिवीजन के विस्तार कार्यक्रम के तीसरे चरण के रूप में 80 करोड़ के अमोनिया कारखाने के प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया था परन्तु उसने इसे अस्वीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और यदि यह वक्तव्य सही है तो उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि स्थिति यह है कि फैक्ट ने अमोनिया परियोजना के लिये एक सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार की थी तथा सरकार को प्रस्तुत की। पांचवीं योजना के लिये परिकल्पित कार्यक्रम तथा स्रोतों की उपलब्धता को मंध्यनजर रखते हुए सुझाव दिये गये स्थलों के बारे में एक मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन पर आधारित 5 सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के स्थलों के बारे में निर्णय लिये गये। कोचीन को सम्मिलित करते हुए अन्य स्थानों पर अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित किये जाने के प्रश्न पर कुछ समय बाद विचार किया जा सकेगा।

आसनसोल में एक एकाधिकार कम्पनी द्वारा दामोदर घाटी निगम के साथ धोखाधड़ी

5109. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल क्षेत्र में एक एकाधिकार कम्पनी दामोदर घाटी निगम के साथ पूरे दो वर्ष से धोखा-धड़ी कर रही है और इस कारण बहुत अधिक हानि हुई; है

(ख) क्या यह आरोप लगाये गये हैं कि एक केन्द्रीय मंत्री दामोदर घाटी निगम को हानि पहुंचा कर एकाधिकार कम्पनी की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और वह पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा आसनसोल में स्थित भारतीय अल्यूमिनियम निगम को सप्लाई की गई बिजली की दरों के बारे में विवाद है। जून, 1970 से अगस्त 1973 तक की अवधि के लिये अल्यूमिनियम निगम से दामोदर घाटी निगम द्वारा चार्ज की गई दरों के अनुसार लगभग 80.83 लाख रुपये की राशि बकाया है। इस मामले को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक सेवा-निवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायपूर्ति की अध्यक्षात में एक सदस्यीय समिति ने जांच की है। उनके निष्कर्षों की निगम द्वारा जांच की जा रही है। किसी के इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई सूचना सरकार को मालूम नहीं है।

तलाक संबंधी कानून का संशोधन

5110. **श्री एस० सी० सामंत** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री तलाक सम्बन्धी कानून को उदार बनाने और विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी को भी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अन्तर्गत अलग निर्वाह व्यय का भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं, तलाक मांगने का अधिकार देने के प्रस्ताव के बारे में 28 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में तब से अब तक क्या प्रगति की गयी; और

(ख) संशोधन विधेयक लाने में कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन तलाक की बाबत उपबन्धों को उदार बनाने के प्रस्ताव पर अन्य सुझावों के साथ विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव सम्बन्धी बातों की पूरी तरह जांच करने और आवश्यक संशोधन विधान पेश करने में सरकार को अभी कुछ समय लगेगा।

Demand for Five Days Week in District Courts

5111. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Bar Association has demanded that the number of working days in the District Courts should be five per week and every Saturday and Sunday should be declared holidays ;

(b) whether one of the reasons given in support of their demand is that of an acute shortage of petrol and the distance to be travelled by Advocates ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) Yes Sir.

(c) A copy of the Resolution passed by the Delhi Bar Association, Tis Hazari, Delhi has been received by the Delhi High Court which will be considered by the Chief Justice and other Judges of the High Court shortly.

त्रिवेन्द्रम-मद्रास लाइन की गाड़ियों को अधिक हाल्ट देने के लिये उठाये गये कदम

5112. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेंद्रम-मद्रास लाइन का क्विलीन--त्रिवेंद्रम सैक्शन एक बहुत अधिक आबादी वाला क्षेत्र है ;

(ख) क्या इस लाइन की अनेक गाड़ियां क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्टेशन पर नहीं रुकतीं जिससे यात्रियों के लिये भारी कठिनाइयां पैदा होती हैं; और

(ग) इन गाड़ियों के लिये अधिक हाल्टों की व्यवस्था करने के बारे में क्या सरकार ने उस क्षेत्र के लोगों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोल्लम-तिरुअनन्तपुरम खण्ड में 9 जोड़ी सवारी गाड़ियों में से जिनमें 3 जोड़ी मेल/एक्सप्रैस गाड़ियां शामिल हैं, 6 जोड़ी सवारी गाड़ियां इस खंड के लगभग सभी स्टेशनों पर रुकती हैं । केवल मेल और एक्सप्रैस गाड़ियां सभी स्टेशनों पर नहीं रुकतीं । जबकि 137/138 मद्रास-तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रैस कोल्लम-तिरुअनन्तपुरम खण्ड के किसी स्टेशन पर नहीं रुकती 105/106 तिरुअनन्तपुरम मेल और 191/192 एर्णाकुलम-तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रैस गाड़ियां इस खंड के 16 में से 6 स्टेशनों पर रुकती हैं ।

(ग) कुछ अभ्यावेदन मिले हैं लेकिन इन मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों की तेज रफ्तार को बनाये रखने की दृष्टि से इन गाड़ियों के लिये अधिक स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है ।

कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय को तामिल नाडु राज्य में कुझीथुरा में स्थानान्तरित करना

5113. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यकारी इंजीनियर का कार्यालय, जोकि त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में त्रिवेंद्रम के निकट नयातिन्करा में स्थित था, मद्रास राज्य में कुझीथुरा में स्थानांतरित किया गया है;

(ख) क्या त्रिवेंद्रम के निकट स्थापित किये जाने वाले मुख्य वर्कशाप भी मद्रास राज्य में स्थानांतरित की जानी है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय के क्या कारण हैं और क्या सरकार को पता है कि इन स्थानांतरितों से उक्त राज्य में रोजगार अवसरों और निर्माण कार्य की दक्षता पर कुप्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तिरुअनन्तपुरम में एक बड़ा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

192 एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस के चलने के समय में परिवर्तन

5114. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 192 एर्णाकुलम त्रिवेंद्रम एक्सप्रैस के चलने के समय में परिवर्तन कर दिये जाने से क्विलोन-त्रिवेंद्रम सैक्शन के यात्रियों के लिये भारी काठिनइयां पैदा हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सैक्शन के यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 15-12-73 से 191/192 एर्णाकुलम-तिरुअनन्तपुरम का डीजलीकरण कर देने के बाद नं० 192 तिरुअनन्तपुरम-एर्णाकुलम एक्सप्रैस का समय फिर बदल दिया गया है और अब गाड़ी लगभग उसी समय पर चल रही है जिस समय पर यह 1-11-73 से पहले चला करती थी ।

Demand for New Railway Lines in Madhya Pradesh

5115. **Shri Bhagirath Bhanwar**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of the places in Madhya Pradesh for which a demand has been made by laying new Railway lines;

(b) whether Government have conducted a survey in this regard; and

(c) if so, the names of the new Railway lines proposed to be constructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) In the recent past, representations have been received for the construction of the following new railway lines in Madhya Pradesh:

(1) Indore-Dhar-Jhabua-Dohad.
(2) Khandwa-Bhikangaon-Khargone-Badwani-Jhabua-Dohad.
(3) Durgapur-Ratlam via Banswada.
(4) Jabalpur-Domoh-Tikamgarh-Lalitpur.
(5) Sagar-Kareli-Narsinghpur-Chhindwara.
(6) Tikamgarh-Chhatarpur-Khajuraho-Panna-Satna.
(7) Satna-Rewa-Beohari.
(8) Chirimiri-Badwadeeh-Baikhunthpur-Ambikapur.
(9) Jherandalli-Koandagaon-Jagdalpur.
(10) Jabalpur-Balaghat-Gondia.
(11) Seoni-Chhindwara-Parasia-Nagpur.
(12) Dhamtari-Raipur and Ambhanpur-Rajin-Nawapara.

(13) Conversion of Shivpur-Gwalior-Bhind-Sawai Madhopur.

(14) Conversion of Jora (Sheopur-Gwalior) Morena-Ambah-Soni (Gwalior-Bhind).

(15) Guna-Maksi rail link to Shivpuri-Gwalior.

(16) Ujjain-Agar (conversion) Nalkheda-Susner-Jhalwada-Kota (Rajasthan)

(17) Balaghat-Wara Seoni-Katangi-Tirodi-railway station.

(18) Dalli Rajhara-Narainpur-Kondagaon-Jagdalpur.

(19) Kirindul to Kelnur between Chanda and Kazipet, or

(20) Dantewada to Chand, and

(21) Jagdalpur-Titlagarh.

(b) and (c) Out of the proposals mentioned in (a) above, surveys for the following lines/conversions have been carried out/are in progress:—

(1) **Indore-Dohad:** Engg. & Traffic Surveys carried out in 1953-55 had shown that the line would be unremunerative.

(2) **Durgapur-Ratlam via Banswada:** Engg. and Traffic Surveys carried out in 1956-57 had shown that the lines would be unremunerative.

(3) **Satna-Rewa-Beohari:** A traffic survey for this line has been completed and report is under examination.

(4) **Dhalli-Rajhara to Dantewara/Jagdalpur [vide item 18 in (a) above]:** A detailed Engineering Survey for this line has been taken up. Further consideration to this proposal will be given after the results of this survey become known.

(5) **Conversion of the northern section of the Satpura Narrow Gauge Railway system into BG:** The traffic survey for the conversion into BG of the northern section of the Satpura Narrow Gauge Railway System with its branches consisting of (a) Parasia-Chhindwara-Seoni-Nainpur-Mandla Fort (b) Jabalpur-Nainpur-Balaghat-Gondia and (c) Chhindwara-Nagpur has been completed and report is under examination. Further consideration to the project will be given after the report is examined and the results thereof become known.

(6) **Indore-Mhow:** A reconnaissance survey for this extension (21 Kms) has been completed and report has been examined. The project has been shelved on account of its unremunerative Character.

(7) **Conversion of Raipur-Dhamtari NG section to B.G. :** The Traffic Survey for this conversion has been completed and is at present under examination of the Railway Board.

New Railway Lines to cover Ratlam, Dhar, Jhagna and Khargom

5116. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether places like Ratlam, Dhar, Jhagna and Khargom are likely to be covered with the construction of new Railway lines in Madhya Pradesh as asked for; and

(b) if so, the length of Railway lines proposed to be constructed by Government and broad outlines in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

संघ लोक सेवा आयोग / आई० एस० टी० एम० के माध्यम से चुने गये निम्न श्रेणी लिपिकों के हितों की रक्षा

5117. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग/आई० एस० पी० एम० से भिन्न स्रोतों से भरती किये गये निम्न

श्रेणी लिपिक रेलवे बोर्ड के कार्यालय में काम कर रहे हैं और यदि, हां तो क्या यह सरकारी नीतियों के विरुद्ध है;

(ख) इन कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड कार्यालय में किस प्रकार विलयित किया जाता है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग/आई० एस० पी० एम० द्वारा भरती किये गए उम्मीदवारों से ऊपर प्रवरता किस प्रकार दी जाती है ;

(ग) क्या इस प्रकार चुने गये अनेक निम्न श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति कर दी गई है हालांकि वे अर्हता प्राप्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग / आई० एस० पी० एम० के माध्यम से चुने गये कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या उपचारी उपाय किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) चूंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षाओं के फलस्वरूप निम्न श्रेणी लिपिकों को पर्याप्त संख्या में भर्ती करना संभव नहीं था 1964-65 में कुल लिपिकों को रोजगार कार्यालयों के द्वारा तदर्थ आधार पर भर्ती किया गया था । इन व्यक्तियों को कठिनाइयों से बचाने के लिये फरवरी, 1973 में विनिश्चय किया गया कि निम्न श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में इनकी सेवायें नियामत कर दी जायें । लेकिन वरिष्ठता और संपुष्टि के प्रयोजन से वर्ष 1971 तक संघ लोक सेवा आयोग सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली गयी लिपिक वर्ग परीक्षाओं के फलस्वरूप नियुक्त किये गये सभी अर्ह निम्न श्रेणी लिपिकों से उन्हें कनिष्ठ रखा गया ।

रेलवे बोर्ड कार्यालय में कुछ लिपिकों को क्षेत्रीय रेलों और भारतीय रेल सम्मेलन से स्थानांतरित करके भी लिया गया था । इन लिपिकों को निम्न श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में वरिष्ठता रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनके स्थानांतरण की तारीख के आधार पर दी गयी है । उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिये उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उनमें से कुछ को उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति किया गया है ।

मई, 1973 के दौरान दादरा और नगर हवेली की बिजली की मांग एवं उसकी सप्लाई

5118. श्री रामू भाई पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1973 के दौरान दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने कुल कितनी बिजली की मांग की और उसको कितनी मात्रा से सप्लाई की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : गुजरात बिजली बोर्ड दादरा और नगर हवेली को वितरण करने के लिये थोक में विद्युत् सप्लाई की व्यवस्था करता है। गुजरात द्वारा विद्युत् की सप्लाई पर कटौती लगाने के कारण 800 के० वी० ए० की मांग के प्रति दादरा और नगर हवेली को मई, 1973 में केवल 580 के० वी० ए० वास्तविक विद्युत् सप्लाई की गई थी ।

पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण इसकी खपत में कमी

5119. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस समय पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण इसकी खपत में हुई कमी के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध है ; और

(ख) क्या इस कमी से उर्वरक के लिये नेप्था के उत्पादन का समाधान करने में सहायता मिलेगी और कब तक इस कार्य को शुरू किया जायेगा और कब तक उर्वरक अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नवम्बर, 1973 के दौरान मांग के सम्बन्ध में लगाये गये पूर्व अनुमानों की तुलना में पैट्रोल की बिक्री (एम० एस०) में 24.2% की कमी आई और नवम्बर, 1972 में यह कमी 19.2 % थी ।

(ख) शोधनशालाओं में उत्पादन उर्वरक के लिये अधिक सम्भरण सामग्री की व्यवस्था करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त नेप्था के उत्पादन का तदानुसार समायोजन किया गया ।

पेट्रोलियम पम्पों को नगर पालिका के अधिकार में करने के लिये नई दिल्ली नगर पालिका की योजना

5120. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने क्षेत्र में लगे पैट्रोल पम्पों को नगर-पालिका के अधिकार में करने की एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका की एक बैठक में इस बारे में बताया गया था किन्तु न तो कम्पनी ने इस विषय पर कोई निर्णय लिया है और न कोई योजना तैयार की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुरैना तथा अन्य स्टेशनों पर माल की बुकिंग

5121. **श्री रण बहादुर सिंह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरैना से मिर्जापुर तथा नई दिल्ली के लिये इस समय प्रतिदिन कितने-कितने माल डिब्बो में माल चढ़ाया जाता है;

(ख) नई कंटाई-मुरैना लाइन पर माल की बुकिंग के लिये उपलब्ध अन्य स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) बरिसवान, सराय, मदुरा जैसे स्टेशनों पर माल बुकिंग किये जाने की अनुमति न दिये जाने के कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाल में सितम्बर, 1973 के बाद से मुरैना से मिर्जापुर की ओर या न्यू कटनी की ओर माल डिब्बों के लदान के लिये कोई मांग नहीं की गयी थी; अतः कोई लदान नहीं हुआ ।

(ख) न्यू करनी-मुरैना खण्ड पर माल की बुकिंग के लिये 43 स्टेशन खुले हुए हैं ।

(ग) चूंकि मुरैना-न्यू करनी लाइन पर बारिसवान और सराय, मदुरा नाम के कोई स्टेशन नहीं हैं इस लिये इसका प्रश्न नहीं उठता ।

मुरैना स्टेशन पर इंडियन आयल कारपोरेशन का डिपो का खोला जाना

5122. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नयी काठी मुरैना लाइन पर मुरैना स्टेशन पर एक इंडियन आयल कार्पोरेशन डिपो न खोले जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस समय इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन कितना डीजल तेल लिया जा रहा है; और

(ग) उक्त कारणों को देखते हुए कब तक यह सुविधा वहां दे दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) भारतीय तेल निगम, मांग, निकटवर्ती डिपोओं से वितरण की लागतों तथा इस प्रकार के अन्य तथ्यों को ध्यान में रख कर अपने डिपोओं में विस्तार करने की योजना बनाता है । सामान्य तौर पर, वितरण लागतों को कम करने के लिये नये डिपों वर्तमान डिपों से 100 किलो मीटर के भीतर स्थापित नहीं किये जाते ।

मुरैना ग्वालियर तथा आगरा के बीच स्थित है और इन दोनों स्थानों पर आई० ओ० सी० के प्रपुंज डिपो हैं । मुरैना को ग्वालियर डिपो, जो लगभग 40 किलो मीटर की दूरी पर है, से सुगमता से सप्लाई की जा सकती है । आगरा डिपो भी मुरैना से केवल 80 किलो मीटर की दूरी पर है । 1973 की प्रथम तिमाही के दौरान मुरैना में एच०एस०डी० तथा लाइट डीजल आयल (एल०डी०ओ०) की खपत क्रमशः प्रतिदिन 5 किलो लिटर तथा 1 किलो लिटर से कुछ कम थी और वे मात्रायें दोनों निकटवर्ती डिपोओं में से किसी एक डिपो से सुगमता से सप्लाई की जा सकती है । अतः मुरैना में डिपो स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

सतना-रैवा-बैंओहारी रेल लिंक का सर्वेक्षण

5123. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना-रैवा-बैंग्रौहारी रेल लिंक का आर्थिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन में बाण सागर परियोजना के निर्माण के कारण प्रस्तावित रेल सम्पर्क सम्बन्धी उचित मांग को ध्यान में रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रीवा होकर सतना से वेंग्रौहारी तक रेलवे लाइन के लिये समस्त सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इस लाइन पर होने वाला अपेक्षित यातायात कम होगा और उससे प्राप्त होने वाला राजस्व न्यून होगा । तथापि परियोजना पर निर्णय रिपोर्ट की विस्तृत जांच के पश्चात् लिया जायेगा ।

न्यू करनी-मुरैना लाइन (मध्य रेलवे) पर यात्री गाड़ी

5124. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू करनी-मुरैना लाइन (मध्य रेलवे) पर यात्री गाड़ी चलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उस क्षेत्र की जनता को यह सेवा कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अपेक्षित साधनों के अभाव में परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल करनी-सिंघरौली नयी लाइन को यात्री यातायात के लिये खोलना व्यावहारिक नहीं है ।

औषधियों के मूल्यों का अनुमोदन करने संबंधी कार्य का औद्योगिक लागत और मूल्यों ब्यूरों को हस्तांतरण

5125. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत औषधियों के मूल्यों का अनुमोदन सम्बन्धी कार्य को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों को हस्तांतरित किये जाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय को किस तिथि से लागू किया जायेगा; और

(ग) क्या पुनरीक्षित प्रबन्धों से मूल्यों का अनुमोदन कराने के लिये दिये गये आवेदन पत्रों का शीघ्रता से निपटान हो सकेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि जो कार्य अबतक औषध मूल्य पुनरीक्षण बोर्ड कर रहा था वह कार्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया जाये । औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन औषधों के मूल्यों के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति चाहिये ।

(ख) पहली जनवरी, 1974 ।

(ग) यह आशा की जाती है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो आवेदन पत्रों की छानबीन करने के लिये शीघ्र ही पूरी कोशिश करेगा ।

औषधियों के मूल्यों की मंजूरी के लिये लम्बित आवेदन पत्र

5126. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 नवम्बर 1973 के दिन औषधियों के मूल्यों की मंजूरी के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ख) उनके महीने-वार आंकड़े क्या है और 6 महीने तथा इससे अधिक अवधि से कितने अवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ग) एक मास से अधिक अवधि से लम्बित आवेदन पत्रों का निपटान कब तक हो जायेगा, और

(घ) क्या आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब के कारण औषधि निर्माताओं को असुविधा हो रही है क्योंकि वे मूल्यों के लिए मंजूरी के बिना अपने उत्पादों का विपणन नहीं कर सकते ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 20 नवम्बर 1973 को 531 आवेदन पत्र विचाराधीन थे।

(ख) विचाराधीन आवेदन पत्रों का विश्लेषण निम्न प्रकार है :—

जून 73 से पहले प्राप्त हुए			. 80
जून 73 में	,,	,,	. 42
जुलाई 73 में	,,	,,	. 74
अगस्त 73 में	,,	,,	. 84
सितम्बर 73 में	,,	,,	. 93
अक्तूबर 73 में	,,	,,	. 86
नवम्बर 73 में	,,	,,	. 72

(20 नवम्बर तक)

(ग) और (घ) उक्त आवेदन पत्रों में से 390 आवेदन पत्रों पर पहले ही विचार कर लिय है और शीघ्र ही उनके अनुमति पत्र जारी किये जायेंगे। शेष आवेदन पत्रों को दो महीने के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है।

अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज

5127. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आयल इंडिया लिमिटेड ने आसाम में बोंगाई गांव में बनाई जा रही नई रिफाईनरी के लिए अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए अपनी पाइप लाईन की क्षमता बढ़ाने की कोई परियोजना आरम्भ की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : बोंगई गांव में प्रस्तावित परिष्करणशाला कच्चे तेल के परिवहन के लिए आयल इण्डिया लिमिटेड ने अपने कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता के विस्तार के सम्बन्ध में एक स्कीम हाथ में ली है। मोरन में कच्चे तेल के अनुकूलन की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है ताकि ठण्ड के मौसम में कच्चे तेल से पम्प किये जाने योग्य बनाये रखा जा सके।

कर्नाटक द्वारा पन बिजली परियोजना के लिए सहायता की मांग

5128. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में पन बिजली के बड़े कारखाने लगाने हेतु सहायता प्रदान करने तथा विशेष नियतन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कालीनदी जल विद्युत परियोजना पर व्यय करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी। केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए 1972-73 के दौरान विशेष सहायता के रूप में 10.37 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है। चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार 14.89 करोड़ रुपये

दे रही है परन्तु शर्त यह है कि चौथी योजना के लिए विद्युत कार्यक्रमों पर राज्य के भाग का व्यय पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जाए ।

Supply of Water for Irrigation to Burhanpur Tehsil in East Nimar District of Madhya Pradesh

5129. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Burhanpur Tehsil will also receive water for irrigation purposes from the dam and canal to be constructed by the Maharashtra Government on the Tapti river in the Sewal area of Burhanpur Tahsil in East Nimar District of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the acreage of land to be irrigated and benefited therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) Upper Tapi Project Stage-II, a joint venture of Maharashtra and Madhya Pradesh, is not yet finalised by the State Governments and the project report and estimates have not so far been received by the Central Water and Power Commission.

कर्नाटक द्वारा गांवों के विद्युतीकरण के लिए मांगी गई सहायता

5130. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के विद्युत बोर्ड ने राज्य के अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां; तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा ही बनाये जाते हैं और वे ही अपनी राज्य योजनाओं के जरिये इन पर धन लगाती हैं। राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा यंगात्मक धन दिया जाता है। निगम ने अभी तक कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रयोजित 27 स्कीमें (एक ग्राम विद्युत सहकारिता सहित) स्वीकृत की है। इन स्कीमों में 1580 ग्रामों के विद्युतीकरण और 20,450 पम्पों के ऊर्जन के लिए 12.27 करोड़ रुपये की कुल सहायता शामिल है। इन स्कीमों को 3-5 वर्षों में पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को पांच और स्कीमें, जिन पर कुल 5.29 करोड़ रुपये की लागत आएगी इस समय निगम के विचाराधीन हैं। यदि निलम्बित स्कीम तकनीकी रूप से संभव और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाई गई तो ये निगम द्वारा स्वीकृत कर दी जाएंगी।

Import of Petrol and Kerosene and Increase in their Prices

5131. **Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the countries from which petrol and kerosene oil are purchased by Government of India;

(b) the countries among them whose Governments have increased the prices of petrol and kerosene oil indicating the percentage of increase;

(c) the percentage increase in petrol and kerosene oil prices, separately, announced by the Government of India on 2nd November, 1973; and

(d) in case the increase in their prices made by Government of India is higher than that made by foreign Governments, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (d) There have been no imports of Motor Gasolene (Petrol) in the country. Only Kerosene Oil is imported mainly from USSR and Kuwait. The import prices of Kerosene Oil are linked not with the prices prevailing in these countries but with the posted prices of the product at Bunder-Mashar in Persian Gulf. There have been several increases in the posted prices during 1973 affecting our import prices.

The increase in the prices of MS (Petrol) and Kerosene Oil made by the Government of India in November 1973 was steep in the case of Motor Spirit to effect curbs in consumption, and Kerosene Prices were increased to bring them at par with the prices of High Speed Diesel Oil to take away the incentive for adulteration.

The percentage increase in prices of Motor Spirit (Petrol) and Kerosene from 3-11-1973 ex-company's storage point at Bombay compared with the prices prevailing before that date has been as follows:

Motor Spirit (Petrol)	74.19%
Kerosene Oil	32.60%

27 जुलाई, 1973 को माधोपुर स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर हुई रेल दुर्घटना

5132. **श्री एस० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जुलाई 1973 को पूर्व रेलवे के माधोपुर स्टेशन पर एक चलती एक्सप्रेस की टक्कर एक खड़ी गाड़ी से हुई जिसके फलस्वरूप 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अनेक व्यक्ति जख्मी हुए; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां तो इसके क्या निश्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 27-7-1973 को 87 अप साउथ बिहार एक्सप्रेस पूर्व रेलवे के जौड़ामऊ ब्लाक हट और मधोपुर जंकशन स्टेशनों के बीच 5 अप हावड़ा-अमृतसर डाकगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी। इस दुर्घटना में 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और अन्य 55 को चोटें आयीं जिनमें से 7 को गम्भीर रूप से चोट पहुंची।

(ख) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की है। उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गल्ती से हुई।

रेलवे पर्यवेक्षी कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता

5133. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित रूप से रात्रि ड्यूटी देने वाले रेलवे पर्यवेक्षी कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता देने का निर्णय सरकार ने ले लिया है;

(ख) क्या भारत सरकार के कुछ अन्य विभाग भी ऐसे हैं जहां के कर्मचारी इसी प्रकार की रात्रि ड्यूटी देते हैं; और

(ग) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय को भारत सरकार के अन्य विभागों में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं हैं।

दहेज प्रथा के प्रतिबंध से संबंधित विधि का प्रस्तावित संशोधन

5134. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम के बावजूद भी दहेज प्रथा व्यापक रूप में चालू है; और

(ख) वर्तमान कानून को अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से क्या सरकार इसका संशोधन करना चाहती है और यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस मामले में सरकार के पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्कों से उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन

5135. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोनल रेलवे में लेखा विभाग में कार्य कर रहे परिशिष्ट 2क के अनुसार अर्हता-प्राप्त तथा अनर्ह पृथक-पृथक लोअर डिवीजन क्लर्क कितने कितने हैं;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे लोअर डिवीजन क्लर्कों से अगले उच्च वेतनमान के लिए अधिक पदोन्नति अवसरों के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जायगी।

विदेश यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के प्रवेश-द्वार तथा भीतर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

5136. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे दिल्ली के विदेश यातायात लेखा कार्यालय के प्रवेश-द्वार पर 19 अक्तूबर, 1973 को 1 बजे म० प० पर एक भारी प्रदर्शन किया गया था;

(ख) क्या उसी समय कर्मचारियों के एक दल द्वारा कार्यालय परिसर के भीतर भी एक प्रदर्शन किया गया था; और

(ग) यदि हां तो कर्मचारियों की मांगे क्या हैं तथा उस संबंध में की गयी कार्यवाही क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बैठक में पारित संकल्पों का संबंध क्वाटर परिवर्तन की नीति, क्वार्टरों का आवंटन, बिजली द्वारा आंकड़े तैयार करने के केन्द्र के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रणाली, शिकायतें दूर करने के लिए कर्मचारियों द्वारा यूनियनों के पास जाना और यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को तंग किये जाने के आरोप

से था। इनकी जांच की गयी है और यह पाया गया है कि मौजूदा स्थिति में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए उच्च वेतनमान के पद

5137. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी सरलीकरण एवं मशीनीकरण पद्धति लागू होने के कारण कई वर्षों से एक ही वेतन ले रहे हैं;

(ख) क्या रेलमंत्री ने समय समय पर अखिल भारतीय रेलवे लेखा कर्मचारी एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया था कि उच्च वेतन मान में प्रतिशतता बनाने संबंधी मामलों को रेलवे सेवा आयोग को पूरी सिफारिश के साथ भेजा गया है; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेखा विभाग के कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि 1-10-1962 को अर्थात् सरलीकरण और यंत्रीकरण से पहले उनके विभाग में कर्मचारियों की जो संवर्ग संख्या थी, उसे बनाये रखा जायगा ताकि उनकी पदोन्नति के अवसर सुरक्षित रहें। पदोन्नति की अवसरों को सुरक्षित रखने के लिए यथावश्यक ऊंचे ग्रेडों में था पदों को भर कर इस आश्वासन को पूरा कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे दर्जे के समाप्त होने पर उत्तर-रेलवे और पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रथम दर्जे के पास जारी करने हेतु अभ्यावेदन

5138. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों से, दूसरे दर्जे के समाप्त होने के फलस्वरूप उन्हें प्रथम दर्जे के पास जारी किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने उनके आभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) रेलों के विभिन्न दर्जों की यात्रा के लिए वेतन-सीमा में संशोधन करने के समूचे प्रश्न की जांच, तीसरे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन मानों के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय को ध्यान में रखकर की जायेगी।

सिन्धु जल संधि के अंतर्गत सिंचाई के लिए जल का उपयोग

5140. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंधु जल संधि, 1970 के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा छोड़े जानेवाले सम्पूर्ण नदी जल को सिंचाई के लिए उपयोग करने में कितना समय लगेगा;

(ख) इस जल के उपयोग का प्रबन्ध करने की दिशा में क्या प्रगति की गई है; और

(ग) 1970 में संधि की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान को कितनी मात्रा में जल गया और इस कारण भारत को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सिंधु जल संधि के अन्तर्गत भारत को आवंटित 33 मिलियन एकड़ फुट जल में से लगभग 24 मिलियन एकड़ फुट को पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यास परियोजना और रावी पर बांध के पूरा हो जाने पर और पानी को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मानसून का पानी इकट्ठा करने के लिए व्यास बांध के 1974 को ग्रीष्म ऋतु तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके पश्चात् तीनों पूर्वी नदियों के लगभग 32 मिलियन एकड़ फुट जल को इस्तेमाल किया जा सकेगा।

शेष एक मिलियन एकड़ फुट जल रावी नदी पर संचय बांध के पूरा होने पर समुपयोजन के लिए उपलब्ध होगा जिससे संबंधित प्रस्तावों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ग) इस समय भारत को आवंटित जल में से 9 मिलियन एकड़ फुट जल बह कर पाकिस्तान में चला जाता है। यद्यपि इस जल के समुपयोजन से देश को निस्संदेह लाभ होगा, इससे कोई हानि नहीं हो रही है।

नदी जल के उपयोग हेतु योजना

5141. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध सम्पूर्ण नदी जल का उपयोग करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समय देश में कितने प्रतिशत नदी जल का उपयोग होता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) (से (ग) सिंचाई आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 67 मिलियन हैक्टेयर मीटर सतही पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 25 मिलियन हैक्टेयर मीटर अर्थात् लगभग 37 प्रतिशत पहले ही उपयोग किया जा रहा है।

योजनाओं में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पांचवीं योजना में सिंचाई के एक विस्तृत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार् भी कई नयी स्कीमों का अन्वेषण कर रही हैं और उनमें से कुछ में निहित अन्तर्राज्यों पहलुओं का समाधान हो जाने तथा उनके कार्यान्वयनार्थ संशोधन उपलब्ध होने पर उनके क्रियान्वयन पर विचार किया जायेगा। यह आशा की जाती है कि शक्यता परियोजनाएं आगामी चार अथवा पांच योजना अवधियों में पूरी हो जाएंगी।

नवम्बर, 1973 में क्विलोन-त्रिवन्द्रम यात्री गाड़ी अंत्याधार (एब्टमेंट) में धंसने के कारण घायल हुए व्यक्ति

5142. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 में क्विलोन-त्रिवेन्द्रम यात्री गाड़ी अंत्याधार में धंसने के कारण 37 व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) क्या इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप किन्ही यात्रियों की मृत्यु हुई थी;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है; और

(घ) क्या घायल हुए व्क्तियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 24-11-1973 को नं० 745 विक्लन-तिरुवनन्तपुल सेन्ट्रल डाउन सवारी गाड़ी, तिरुवनन्तपुरम स्टेशन के धक्का रोध से टकरा गयी जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के गार्ड को गम्भीर चोट आई और 10 यात्रियों को मामूली चोटें आयीं। इनके अलावा, 52 यात्रियों को मामूली खरोंचें आदि जैसी हल्की चोटें लगीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां, ।

(घ) क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, घायल व्यक्तियों को अनुग्रह रूप में 1,550 रुपये का भुगतान किया गया है।

रूस से साइबेरियाई तेल का आयात

5143. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार के सामान्य माध्यमों से रूस से साईबेरियाई तेल (पेट्रोलियम) का आयात करने के लिए कोई प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) रुस को सम्मिलित करते हुए कई देशों से कच्चे तेल के वैकल्पित संसोधन स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अवस्था में इतना समय पहले इन प्रयत्नों के परिणामों के बारे में बताना संभव नहीं हैं।

पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई

5144. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी भाग में इस्पात और पटसन के माल के उत्पादन में कमी का एक प्रमुख कारण बिजली की कम सप्लाई भी है;

(ख) इन दो उद्योगों को बिजली की आवश्यकता क्या है और इस समय उन्हें कितनी बिजली दी जा रही है; और

(ग) बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पूरी सप्लाई करने में किन कठिनाइयों का सामाना करना पड़ रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पूर्वी क्षेत्र में इस्पात और जूट के सामान के उत्पादन में कमी बहुत सी बातों के कारण हुई है। जून, 1972 से अक्तूबर, 1973 तक विद्युत की कमी की अवधि के दौरान आवश्यक और निर्यातोन्मुखी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी।

(ख) ऊर्जा की आवश्यकता 1971-72 के दौरान लोहा और इस्पात उद्योग के लिए 1830 मिलियन यूनिट और जूट उद्योग के लिए 655 मिलियन यूनिट थी। पूर्वी क्षेत्र में, इस समय (दिसम्बर, 1973) में पश्चिमी बंगाल में हालीडे स्टैगरिंग तथा अधिकतम मांग पर 15 प्रतिशत की कटौती लगा दी गई है तथा उड़ीसा में उपभोग पर कहीं-कहीं प्रतिबंध लगा दिये गए हैं। इस्पात उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत की सप्लाई की जा रही है।

(ग) पूर्वी क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:—

(1) पर्याप्त मात्रा में समुचित किस्म के कोयले और ईंधन-तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करना।

(2) पूर्वी क्षेत्र में वाशरी उपोत्पाद ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों के संबंध में इस प्रकार के उपयोग को तीन-अवस्था वाशरी मिडलिंग्स तक सीमित करके, ईंधन की किस्म में सुधार लाना।

(3) कतिपय विद्युत संयंत्रों (विशेषतया पूर्वी क्षेत्र में) के कार्य निष्पादन को पुनः चालू करने और उनमें सुधार करने के लिए विशेष संयंत्र सुधार उपाय।

(4) सुधार करने का संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों द्वारा दौरे।

(5) प्रचलन और अनुरक्षण कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था।

अभी हाल में संथालडीह में चालू की गई 120 मैगावाट की एक यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन से विद्युत आपूर्ति स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के स्नातकों के लिए आरक्षित पदों के आरक्षण को समाप्त करना

5145. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे अनुसूचित जाति के स्नातक क्लर्कों के लिए 130-300 रुपये (ए० एम०) के वेतनमान वाले लिपिक संवर्ग में कुछ पद आरक्षित थे;

(ख) यदि हां, तो उसमें ऐसे कितने पद आरक्षित थे और इन पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति के कितने स्नातक क्लर्कों को पदोन्नति किया गया है और ये पदोन्नतियां किस तारीख से दी गई हैं; और

(ग) क्या इन आरक्षित पदों में से कुछ पदों का आरक्षण बाद में समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस तारीख से यह आरक्षण समाप्त किया गया है, इसके परिणामस्वरूप कितने गैर-अनुसूचित जाति के स्नातक क्लर्कों को पदोन्नत किया गया है और ये पदोन्नतियां किस-किस तारीख से लागू की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की क्षमता का सिंचाई और विद्युत के लिए उपयोग

5146. **श्री एच० एम० पटेल** : **क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और विद्युत के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की क्षमता क्या है और इसका कितने जल का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग को प्राथमिकता देने का है;

(ग) दक्षिण कनारा में पहले तैयार की गयी योजनाओं का अनुमानित व्यय कितना है जिनके द्वारा हलादी (अब जिसका नाम बराही है) द्वारा 34,000 एकड़ भूमि, बिजर द्वारा 4,000 एकड़ भूमि और गुरपुर जलागार योजनाओं द्वारा 12,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गयी है;

(घ) इस सिंचाई से कितने मूल्य की अधिक उपज हो सकेगी और इससे योजनाओं की लागत की कितनी पूर्ति होगी; और

(ङ) सभी सिंचाई योजनाओं में फसलों के होने वाली आय को देखते हुए इन व्यय को औचित्य सिद्ध न होने के कारण क्या हैं; क्योंकि सरकार को मिलने वाला प्रत्यक्ष लाभ सिंचाई योजनाओं के लाभ का ही एक अंग है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम और दक्षिण भारत में पश्चिमी छोरों और तटीय क्षेत्रों को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को बृहत् और मध्यम स्कीमों से कुल सिंचाई शक्यता मोटे तौर पर 23 लाख हैक्टेयर आंकी गई है। पहले से ही चालू या निर्माणाधीन परियोजनाएं लगभग 8 लाख हैक्टेयर शक्यता का समुपयोजन करेंगे।

पश्चिमी घाट को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को विद्युत शक्यता मोटे तौर पर 60 प्रतिशत भार फैक्टर पर 5300 मैगावट आंकी गई है। पहले से ही चालू या निर्माणाधीन परियोजनाएं लगभग 3096 मैगावट शक्यता का समुपयोजन करेंगी।

(ख) सरकार ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी के समुपयोजन को इस रूप में कोई उच्च प्राथमिकता नहीं दी है। बहरहाल, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पश्चिम की ओर बहने वाली और अन्य नदियों पर और परियोजनाओं के लिए अन्वेषण किये जा रहे हैं। जब भी अन्वेषण पूरे हो जायेंगे और कार्यान्वियन के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, ये राज्य सरकारें भिन्न भिन्न परियोजनाओं को सिंचाई और विद्युत विकास के लिए संबंधित शक्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर, इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करेंगी।

(ग) और (घ) 4500 एकड़ को सिंचाई के लिए बिजूर परियोजनाओं की लागत लगभग 195 लाख रुपये बताई गई है। हलादी परियोजना से (प्रस्तावित बराही परियोजना के टेल रेस के पानी का प्रयोग करके) लगभग 30,000 एकड़ को लाभ होगा और इस पर लगभग 339 लाख रुपये लागत आने की संभावना है। कर्नाटक सरकार से इन स्कीमों तथा गुरपुर जलाशय के लिए अंतिम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) वित्तीय लाभों के माप दण्डों की अपेक्षा आर्थिक लाभों के माप दण्डों को पहले ही अपना लिया गया है, और सिंचाई परियोजनाओं को लाभ-लागत अनुपात के आधार पर स्वीकृत किया जाता है भले ही, वे सरकार के लिए वित्तीय रूप में लाभदायक न हों।

कैश विटनेस एलाउन्स के भुगतान के बारे में आदेशों को लागू करना

5147. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या ई० जी०/70 ए० एल० आई० 14 दिनांक 24 मार्च, 1971 और ई० जी०/68-ए० एल० आई०/19 दिनांक 18 फरवरी 1969 के द्वारा 60 रुपये प्रति माह 'कैश विटनेस एलाउन्स' के भुगतान के बारे में आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन डिवीजनों में दिया जाता है और किन-किन डिवीजनों में नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसे सभी डिवीजनों में समान रूप से लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहमद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। ये आदेश केवल दक्षिण रेलवे पर लागू होते हैं।

(ख) यह भत्ता दक्षिण रेलवे के सभी मण्डलों के कर्मचारियों को दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उडीसा को सालंदी परयोजना का पूरा किया जाना

5148. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में सालंदी परियोजना के पूरा होने पर बालासोन तथा उत्तर बालासोर तक नहरें खोदी जायेंगी ;

(ख) नहरों के कब तक पूरा होने तथा उनमें पानी बहने की कब तक संभावना है; और

(ग) क्या इन नहरों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सालन्दी परियोजना, सालन्दी और कंमबैंस नदियों के बीच क्षेत्रों की सिंचाई के लिए हैं और इसमें बालासोर के निकट, किसी भी क्षेत्र की सिंचाई परिकल्पित नहीं है। कंमबैंस तक नहरें उड़ीसा सरकार द्वारा बनाई जा चुकी हैं। कंसबैंस नदी के परे कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है।

लघु सिंचाई योजनाओं को संभाव्यता को निश्चित करने का आधार

5149. **श्री पीलू मोदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई योजनाओं की संभावना को निश्चित करने का क्या आधार है;

(ख) क्या कृषि मूल्यों को वृद्धि के अनुरूप सिंचाई की दरों में भी वृद्धि कर दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में, विशेष रूप से कर्नाटक में वर्तमान लागत के कारण उनमें संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लागत निष्कर्षों तथा होने वाले लाभों के आधार पर लघु सिंचाई स्कीमों (जिनकी व्यवस्था कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है) को आरम्भ करने के मापदण्ड हर एक राज्य में अलग-अलग होते हैं; कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी लघु परियोजनाएं आती हैं जिनको एक छोटी अवधि में पूरा किया जा सकता है तथा जिनसे लाभ शीघ्र ही मिलने शुरू हो जाते हैं।

(ख) और (ग) बहुत से राज्यों में जल दरों की परियोजनाओं की लागत तथा कृषि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। जलदरों के संशोधन का प्रश्न राज्य सरकारों

द्वारा संसाधनों के आवर्धन के लिए उपायों की आम समस्या का एक भाग है, जिसकी आवश्यकता के संबंध में समय समय पर उनसे आग्रह किया गया है।

राज्यों में सिंचाई योजनाओं को जारी रखने के लिए प्राक्कलनों का संशोधन

5150. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों में सिंचाई योजनाओं को जारी रखने के लिए संशोधित प्राक्कलन भेजने का परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने अपने संशोधित प्राक्कलन भेज दिये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यदि किसी सिंचाई परियोजना की लागत बढ़कर योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन पर कतिपय निश्चित वृद्धि से अधिक हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना प्राक्कलन को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा योजना आयोग को भेजना अपेक्षित होता है।

(ख) अब तक राज्यों से तीस परियोजनाओं के संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हो चुके हैं।

रेलवे ठेकेदार मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद का कार्यकरण

5151. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**
श्री पन्नालाल बारुपाल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ठेकेदार मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी का कार्यकरण असन्तोषजनक रहा है और अजमेर, मारवाड़ जंकशन, ब्यावर और पालनपुर के स्टेशन मास्टरों ने तार द्वारा अनेक शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर और अक्तूबर 1973 के महीनों के दौरान ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और टेलीग्राफ दरों के अनुसार इन तारों पर कितनी लागत आई;

(ग) मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी के विरुद्ध रेल प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ठेकेदार के कार्यकरण के बारे में जांच कराने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। लेकिन मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद के विरुद्ध केवल स्टेशन अधीक्षक, अजमेर और स्टेशन मास्टर ब्यावर से शिकायतें मिली थीं।

(ख) सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के महीनों में मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद के विरुद्ध 19 शिकायतें मिली थीं। 18 शिकायतें सरकारी तार द्वारा भेजी गयी थीं और एक शिकायत मेमों के जरिये डाक द्वारा भेजी गयी थी। तार की दरों पर 18 तारों की लागत 653.30 रु० आती है।

(ग) ठेकेदार मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी को बार बार चेतावनी दी गयी और स्टेशन मास्टरों को यह प्राधिकार दिया गया कि वे ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के खर्च पर श्रमिकों को काम पर लगायें।

(घ) जी हां।

खाद्य तथा कृषि संगठन और भारतीय उर्वरक निगम में सहयोग

5152. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन भारतीय उर्वरक निगम के साथ उर्वरक में प्रयोगों और संवर्धन कार्यक्रमों में सहयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहयोग कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यह कहां तक सफल हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति पी ए डी आई (पीपुल्स एक्शन फार डिवैल्पमैंट इंडिया) के साथ खाद्य तथा कृषि संगठन निम्नलिखित परियोजनाओं में ही सहयोग कर रहा है, जिस समिति में भारतीय उर्वरक निगम सक्रिय रूप में साझेदार है, उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच कम्पलैक्स नाइट्रोफास्फेट उर्वरक, के प्रचार हेतु योजना

इस परियोजना का मूल उद्देश्य खेती करने की वैज्ञानिक पद्धति में कम्पलैक्स नाइट्रोफास्फेट उर्वरक के संतुलित प्रयोग पर किसानों को शिक्षित करना है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न-लिखित पद्धति अपनाई गई :—

1. कृषकों के खेतों में प्रदर्शन,
2. निः शुल्क भू-परीक्षण सेवा की व्यवस्था करना तथा भू-परीक्षण पर आधारित उर्वरक की सही मात्रा की सिफारिश करने की व्यवस्था,
3. उर्वरक के वैज्ञानिक प्रयोग पर किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि दिवस, उर्वरक मेले, प्रदर्शनी ग्रुप विचार विमर्श, फिल्म दिखाने के कार्यक्रम करने की व्यवस्था,
4. इश्तिहार, चार्ट, फसल कलैण्डर आदि का वितरण, तथा
5. चयन किये गये ग्रामों में कृषि विकास कार्य। इस योजना पर हो रहे खर्च के खाद्य तथा कृषि संगठन, पी ए डी आई भारतीय उर्वरक निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2. खाद्य तथा कृषि संगठन निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारतीय उर्वरक निगम के साथ सहयोग कर रहे हैं:—

भारतीय शर्तों पर सक्र्र लेपित यूरया के सापेक्षिक कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना।

एक ओर यूरिया की हानि को बचाने तथा दूसरी ओर संयंत्रो द्वारा उद्ग्रहण तथा उपयोग में इसकी वृद्धि करने के लिए सल्फर लेपित यूरिया तथा साधारण यूरिया की दक्षता का पता लगाने के लिए परीक्षण किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे काफी लम्बी अवधि के दौरान नाइट्रोजन दिया जा सकेगा। सल्फर लेपित यूरिया का उत्पादन भारत में नहीं होता है तथा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ एफ एच सी) इन परीक्षणों के लिए सामग्री की व्यवस्था कर रही है।

गाजियाबाद में काम कर रहे पार्सल क्लर्कों की छुट्टी वेतन की अदायगी न किया जाना

5153. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद स्टेशन पर काम कर रहे कुछ पार्सल क्लर्कों को प्रभागीय कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के पत्र सं० 443 ई–20–पी-2 दिनांक, 17 अगस्त 1973 के अनुसार 10 दिसम्बर, 1972 से 2 अप्रैल, 1973 की अवधि के लिए छुट्टी-वेतन की अदायगी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक पार्सल बाबू का केवल एक मामला है जो 10-12-72 से 2-4-73 तक की अवधि में बीमार था उसने 29-3-73 को स्टेशन मास्टर, गाजियाबाद की मार्फत् एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र उसकी अनुपस्थिति की अवधि को "परिवर्तित छुट्टी" "अन्देय छुट्टी" माने जाने के लिए भेजा था। 28-5-73 को उससे वे विशिष्ट अवधियां बताने के लिए कहा गया था जिन्हें वह "परिवर्तित छुट्टी" "अन्देय छुट्टी" में बदलवाना चाहता है। उत्तर प्राप्त होने पर बीमारी की अवधि को नियमित कर दिया गया और 14-9-73 को लेखा विभाग को एक पूरक बिल जांच तथा भुगतान करने के लिए भेजा गया। 6-12-73 को भुगतान कर दिया गया है।

Bogus Members in Railway User's Committee of Kota Division

5154. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there are some bogus members in the Railway User's Committee of Kota-Division; and

(b) the name of the Association formed by one Shri Satyendra Kumar working in J. K. Synthetics and residing at Kanpur indicating the names of members of his Association and the place where its office is located?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Railways are not aware of any Association formed by Shri Satyendra Kumar. However, one Shri Satyendra Kumar Paharia is a member of the Divisional Railway Users' Consultative Committee, Kota, for the present term from 1-1-1972 to 31-12-1973. He represents the Kota Division Transport and Communication Users' Association, Gumanpura, Kota, which is a registered body. After representation has been granted to an association it is left to that association to select their representative.

इंस्पेक्टर आफ वर्क्स (आई), धनबाद की कथित गिरफ्तारी

5155. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इंस्पैक्टर आफ वर्क्स (1) धनवाद की गिरफ्तारी, जिसे इंस्पैक्टर आफ वर्क्स (1) धनबाद के स्टोर से रेलवे की सामग्री की भारी मात्रा में चोरी के लिए आर०पी०यू०पी०

अधिनियम के अन्तर्गत मामला संख्या 3 (8) दिनांक 30 अगस्त, 1973 के सम्बन्ध में 19 सितम्बर, 1973 को गिरफ्तार किया गया था, और प्रभारी जांच अधिकारी, रेलवे सुरक्षा दल, धनबाद के तत्काल स्थानान्तरण की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे का काम 19 सितम्बर, 1973 से 21 सितम्बर, 1973 तक स्थागित हो गया था : और

(ख) यदि हां, तो चोरी के इस मामले, रेलवे के काम के स्थगन रेल कर्मचारियों की मांगों, 21 सितम्बर, 1973 को रेल प्रशासन के समझोते और इस समझोते के क्रियान्वयन की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे सुरक्षा दल, धनबाद के सब इन्सपैक्टर श्री एल० दीक्षित ने 30 अगस्त, 1973 को एक प्राइवेट लारी पकड़ी जिसमें 3000 रु० के मूल्य का रेलवे का सामान लदा था जिसके बारे में यह बताया जाता है कि वह निर्माण-निरीक्षक, धनबाद के भण्डार गोदाम से अवैध रूप से निकाला गया था । रेलवे के सामान सहित लारी को कब्जे में कर लिया गया और 8 व्यक्तियों को, जिनमें लारी का ड्राइवर और खलासी शामिल हैं, चोरी की रेल सम्पत्ति को विधि-विरुद्ध रखने के कारण गिरफ्तार किया गया, और रेलवे सुरक्षा दल, धनबाद के पास रेल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत एक मामला सं० 5(8) 73 30-8-73 को दर्ज किया गया । बाद में 2-9-73 को भूपेन्द्र नाथ कपूर नाम के एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया ।

19-9-73 को रेलवे सुरक्षा दल के सब इंसपेक्टर श्री एल० दीक्षित धनबाद के निर्माण निरीक्षक के कार्यालय में गये और वहां से इस मामले से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज़ कब्जे में कर लिया । इसके बाद श्री मुरलीधर निर्माण निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पेक्टर श्री एल० दीक्षित के साथ, उस रेल सम्पत्ति का निरीक्षण करने, जो 30-8-1973 को रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पैक्टर द्वारा कब्ज़े में की गयी थी, और इस बात का प्रमाण-पत्र देने के लिए कि कब्ज़े में किया गया सामान रेलवे का ही है, धनबाद स्थित माल गोदाम गये । माल गोदाम में रेलवे के सामान की जांच करने के बाद निर्माण-निरीक्षक, अपनी "जांच रिपोर्ट" और अपना ब्यान देने के लिए, रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पैक्टर के साथ रे०सु०दल चौकी गय । जब रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पैक्टर द्वारा निर्माण-निरीक्षक से रेलवे सुरक्षा दल चौकी पर पूछताछ की जा रही थी, उस समय 20—25 व्यक्तियों को साथ लेकर लोको फोरमैन श्री ए०बी०पी० सिन्हा मंत्री ई०आर०एम०सी० रेलवे सुरक्षा दल चौकी पर जमा हो गये और निर्माण-निरीक्षक श्री मुरलीधर को रेलवे सुरक्षा दल चौकी से बलपूर्वक ले गये । तदुपरान्त लगभग 22-25 बजे उन्होंने रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पैक्टर श्री एल० दीक्षित और हवलदार ड्राइवर बल्ली राम के तत्काल निलम्बन और स्थानान्तरण की मांग करते हुए रेल की पटरी पर धरना दिया और 89 बर्दवान-गोमो सवारी गाड़ी को रोक लिया । मण्डल परिचालन अधीक्षक, मण्डल इंजीनियर (1) मण्डल कार्मिक अधिकारी और सहायक सुरक्षा अधिकारी, रेलवे सुरक्षा दल, धनबाद मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि रेलवे सुरक्षा दल के सब इन्सपैक्टर श्री एल० दीक्षित को धनबाद चौकी से हटा दिया जायगा, 23-30 बजे धरना वापस ले लिया गया ।

20-9-73 को 8.30 बजे सर्वश्री के०सी० राय चौधरी, सी०एन० चौधरी और आर०एस०सिंह, जो स्थानीय समन्वय समिति के क्रमशः मंत्री, खजांची और अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में लगभग 60 व्यक्ति धनबाद की रेलवे सुरक्षा दल चौकी पर एकत्रित हो गये और उन्होंने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि निर्माण निरीक्षक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उसे उस स्थिति में क्यों छोड़ा गया जबकि वह

रेलवे सामान की चोरी में अन्तर्ग्रस्त था । तत्पश्चात्, उन्होंने रेल की पटरी पर धरना दिया और 4 डाउन डाकगाड़ी रोक ली । उनकी मांग यह थी कि लोको धनबाद फोरमैन, श्री ए०बी०पी० सिन्हा, का स्थानान्तरण किया जाये । निर्माण निरीक्षक श्री मुरलीधर को उसके कार्यालय लेखक सहित गिरफ्तार किया जाय और रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पेक्टर श्री एल०दीक्षित को धनबाद में रहने दिया जाये ।

सिविल अधिकारी पुलिस दल और रेल अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय समन्वय समिति के नेताओं के साथ बातचीत की । धरना वापस ले लिया गया और 21-9-73 को 6-50 बजे सामान्य गाड़ी सेवाएं फिर से शुरु हो गयीं । बातचीत के दौरान, निम्नलिखित मांगें रखी गयीं :—

(i) रेल सम्पत्ति की चोरी के मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए उच्चाधिकार समिति द्वारा तत्काल निष्पक्ष जांच अवश्य की जाय ।

(ii) इस मामले में अन्तर्ग्रत निर्माण-निरीक्षक, धनबाद, लेखक श्री आचार्य और अन्य व्यक्तियों को अवश्य गिरफ्तार किया जाय ।

(iii) यदि ओ०सी०, धनबाद को जिम्मेदार पाया जाये तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा अवश्य दी जाय । उसका स्थानान्तरण आदेश तत्काल रद्द किया जाय ।

(iv) लोको फोरमैन धनबाद के तत्काल स्थानान्तरण का आदेश जारी किया जाय ।

21-9-73 को दोबारा विस्तृत बातचीत की गयी और निम्नलिखित करार किया गया :—

(i) निर्माण निरीक्षक और श्री आचार्य के विरुद्ध इंजीनियरिंग के सामान की चोरी के अधिरोपित मामले में निष्पक्ष जांच की जायेगी ।

(ii) जांच होने तक रेलवे सुरक्षा दल, धनबाद के ओ०सी० के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यथा-पूर्व स्थिति बनाये रखी जायेगी ।

(iii) मंडल अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि लोको फोरमैन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कर्मचारियों की सभी रिपोर्टें महाप्रबन्धक के समक्ष रखी जायेंगी और उनके परिणाम कर्मचारियों को सूचित किये जायेंगे ।

(iv) कर्मचारियों के विरुद्ध लोको फोरमैन की किसी रिपोर्ट पर समुचित जांच-पड़ताल के बिना विचार नहीं किया जायेगा ।

(v) किसी को तंग नहीं किया जायेगा ।

पूर्व रेलवे, कलकत्ता के महाप्रबन्धक ने रेल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्ज़ा) अधिनियम के मामला नं० 5 (8) 73 दिनांक 30-8-73 के सम्बन्ध में, जिसके फलस्वरुप 19-9-73 और 20/21-9-73 को काम बन्द हो गया था, 19-9-73 को धनबाद के निर्माण-निरीक्षक श्री मुरलीधर की अधिरोपित गिरफ्तारी की जांच के लिए अन्ततः एक जांच समिति नियुक्त की है, जिसमें एक वरिष्ठ इंजीनियर रेल-पथ (योजना), कलकत्ता के एक वरिष्ट कार्मिक अधिकारी और एक सुरक्षा अधिकारी हैं । समिति को कार्यवाई को शीघ्र समाप्त करने के लिए कहा गया है । समिति द्वारा अभी जांच की जा रही है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिए किया गया सर्वेक्षण

5156. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **पैट्रोलयम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जनवरी से सितम्बर, 1973 की अवधि में तेल की खोज के लिए विभिन्न राज्यों में कहां-कहां पर सर्वेक्षण किये;

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन सर्वेक्षणों पर कितना व्यय हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम तथा अन्डमान द्वीप के कुछ भागों में विस्तृत/अर्ध-विस्तृत/प्रारंभिक भूगर्भीय सर्वेक्षण किय गये थे। जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, तमिल नाडु, केरल तथा अन्डमान द्वीप के कुछ भागों में कुछ भू-आकृतितात्विक चित्रण तथा ट्रैवसिंग किया गया था। इसके अतिरिक्त, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिल नाडु राज्यों के कुछ भागों और खम्भात की खाड़ी से मिलते-जुलते अरब सागर के तटीय क्षेत्र में भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये गये थे। भूभौतिकीय सर्वेक्षणों से नई संरचनाओं की विद्यमानता के संकेत प्राप्त करने तथा पहले से विदित कुछ संरचनाओं में विस्तृत रूप से चित्रण करने में सहायता मिली है।

(ग) सर्वेक्षण कार्य पर कुल 242.47 लाख रुपये का खर्च हुआ है।

Ban on promotion of Loco Running Staff in Bhavnagar Division (Western Railway)

5157. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the ban on the promotion of 47 persons of the Loco Running Staff in Bhavnagar Division (Western Railway) still continues despite the assurances given by him in the Parliament on 13th August, 1973 and the employees are being victimised in the context of the last strike; and

(b) the salient features in this regard and the action being taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Certain striking staff who had refused to accept promotion were debarred from further promotion for a period of one year. These cases have been reviewed and the orders to debar the staff have been cancelled. The eligible staff have been promoted in available vacancies and allowed to work in higher capacity.

Selection of Electrical Chargemen Gorakhpur (North Eastern Railway)

5158. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether interviews were held in January, 1972 at Gorakhpur for the selection to post of Electrical Chargemen on the North Eastern Railway;

(b) if so, the number of persons selected as a result thereof;

(c) whether any employees were first declared unsuccessful but later on declared fit and if so, their number; and

(d) whether all the employees have since been promoted as Chargemen ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) A written test was held on 21-1-72 and 11-2-72 followed by interview on 9-5-72.

(b) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Oil Supplies from Iran for Mathura Refinery

5159. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Iran has backed out of its agreement to supply full quantity of oil as a result of which Mathura Oil Refinery project in Uttar Pradesh is in doldrums; and

(b) if so, the steps being taken by Government to complete this project and if no step has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shahnawaz Khan): (a) & (b) Mathura Refinery is being designed to process a variety of crudes. While crude oil from Iran can also be processed. The Refinery has not been specifically designed to process crude oil from Iran. The Refinery Project is also not being taken up with any collaboration or assured crude supply from Iran.

To finance part of the foreign exchange requirement of the Mathura Refinery Project, Government of India have entered into an agreement with the Government of Iraq. In terms of this agreement, foreign exchange credit will be available for the project from out of the proceeds of the crude oil to be supplied by Iraq National Oil Company to the Indian Oil Corporation during the construction of the Refinery. There is also an assurance that INOC will supply the requirements of the Mathura Refinery.

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 31 तथा 44 के अधीन विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति

5160. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में लगी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जहां एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 31 तथा 44 के अन्तर्गत निरीक्षकों को नियुक्ति की गयी है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) इस आरोप युक्त परिवाद, कि कुछ विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां एकाधिकार एंव/अथवा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत हैं, केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुये हैं, वे इनके अनुसार कैडबरी फ्राई (इण्डिया) लिमिटेड नामक कम्पनी के मामले व, इसके कार्य कलापों की जांच पड़ताल करने के लिये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत, निरीक्षक नियुक्त किए गये हैं, एक अन्य विषय, अर्थात् कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्दिष्ट किया गया है एक अन्य विषय, अर्थात् हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की बाबत, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं । इसके द्वारा उठाये गये अनेक पगों की बाबत रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त करनी है ।

खुर्जा सिटी, द्वार संख्या 5 के निकट रेलवे भूमि पर गैर कानूनी निर्माण

5161. **श्री धनशाह प्रधान :**

श्री आर० पी० बड़े :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए०ई०एन० हापुड़, मुरादाबाद डिवीज़न, उत्तर रेलवे ने खुरजा सिटी के द्वार संख्या 5 के निकट रेलवे भूमि पर एक गैर सरकारी पार्टी को दो रिहायशी इमारतों के अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी है हालांकि निर्माण कार्य के प्रारम्भ होते ही उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने उन्हें इस तथ्य की सूचना दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति देने के लिये सम्बद्ध ए०ई०एन० के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा जांच करवाने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) खुर्जा सिटी स्टेशन के 7/2-3 कि०मी० पर गेट नं० 5 के पास रेलवे की भूमि पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कथित अतिक्रमण की रिपोर्ट सहायक इंजीनियर, हापुड़, मुरादाबाद मण्डल उत्तर रेलवे को जून, 1973 में उनके एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गयी थी । उत्तर रेलवे के भूमि नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिसम्बर, 1973 में उक्त स्थल पर की गयी जांच से पता लगा कि 1956 के उस प्रमाणित मिलान नक्शे के अनुसार उक्त रेलवे की भूमि का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ । जिस पर रेलवे और राजस्व अधिकारियों दोनों के बाकायदा हस्ताक्षर हैं । लेकिन 1906 के प्रमाणित नक्शे के अनुसार उक्त मकान रेलवे भूमि के अन्तर्गत प्रतीत होता है । अतः उक्त भूमि पर रेलवे का असंदिग्ध अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से और अधिक छानबीन तथा जांच पड़ताल की जा रही है । इस मामले में आगे की कार्रवाई इन जांच-पड़तालों के परिणाम पर निर्भर करेगी ।

Suicide committed by a woman engaged in coal-loading Work at the Railway Yard (Wester Railway) along with her two daughters

5162. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a 25 years old woman engaged in coal loading work in the Surendranagar Railway Yard (Western Railway) had committed suicide by jumping into a well along with her two young daughters due to starvation; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Yes—Shrimati Averuben daughter of Shri Lahka committed suicide on 28-8-1973 by jumping into a well near water pond in Surendranagar city area along with one daughter aged 3 years and a son aged 1 1/2 years, not on account of starvation but due to anger on her husband's refusal to allow her to go to her father's place. She was not engaged on coal loading work on Railways.

पी०वी०सी० (पोली विनेल क्लोराइड) के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से आवेदन पत्र

5163. **श्री के० कोड्डारामी रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में पी० वी० सी० (पोली विनेल क्लोराइड) के निर्माण के लिये आवेदन पत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) नेफ्था पर आधारित 25,000 मीट्रिक टन–वर्ष क्षमता के लिए पी० बी० सी० के निर्माण के लिए पार्टी का पहला आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया था कैल्सियम कार्बाइड पर आधारित 30,000 मी० टन प्रति वर्ष क्षमता के लिए पार्टी के संशोधित आवेदन पत्र की जांच की जा रही है ।

युद्ध विधवाओं को पैट्रोल पम्पों और गैस की एजेंसियों का आबंटन

5164. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पैट्रोलयम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध विधवाओं को पैट्रोल पम्प और गैस की एजेंसियां आबंटित की गयी हैं ;

(ख) क्या अनेक मामलों में सम्पन्न व्यक्तियों ने अपने लिये एजेंसियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध विधवाओं के नाम का दुरुपयोग किया है और युद्ध विधवाओं को केवल 25 प्रतिशत लाभ भी मुश्किल से दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

मेधाद्रिगड्डा बांध के निर्माण के लिए ऋण

5165. **श्री के० कोड्डारामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मेघाद्रिगड्डा बांध के निर्माण कार्य के विस्तार के लिए राज्य को एक करोड़ रुपये का ऋण दिया जाये जिससे विशाखापत्तनम् स्थित जस्ता प्रद्रावक संयंत्र और इस्पात संयंत्र को प्रारम्भिक अवस्थाओं में पानी की सप्लाई की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । इस सबंध में एक प्रस्ताव इस्पात तथा खान मंत्रालय में प्राप्त हुआ था ।

(ख) इस्पात तथा खान मंत्रालय, स्कीम के संशोधित लागत प्राक्कलन प्राप्त होने के बाद ही इस पर कार्यवाही आरंभ की जायेगी ।

गोदावरी नदी का बहाव बदलने की योजना के निर्माण के लिए ऋण

5166. **श्री के० कोड्डारामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि गोदावरी नदी का बहाव बदलने की योजना का निर्माण आरंभ करने के लिये राज्य को 50 लाख रुपये का ऋण दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां इस संबंध में इस्पात और खान मंत्रालय में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस्पात और खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि गोदावरी व्यपवर्तन स्कीम, जिसे विशाखापटनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया जाना है, इस्पात परियोजना का एक आन्तरिक भाग ही है । इस स्कीम पर कार्य, जल की आवश्यकता की मात्रा और किस्म, कार्यों के क्रियान्वयन को चरणबद्ध करने आदि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के उपरांत ही प्रारंभ किया जाएगा जिसे तैयार करने का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जाएगा ।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के केन्द्रीय ऋण के संबंध में आसाम से शिकायतें

5167. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :
क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम सरकार से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केन्द्र ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को ऋण देने के संबंध में अपना वचन पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका सार क्या है ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) असम राज्य सरकार ने 1973–74 के दौरान ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा शुरू किए कार्यों पर तत्काल व्यय तथा 1972–73 से शेष बचे दायित्वों को भी पूरा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अवमुक्त करने के निमित्त अनुरोध किया था क्योंकि उनके द्वारा अपने बजट में किया गया 69 लाख रुपये का प्रावधान समाप्त हो चुका था ।

1972 के आरंभ में, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत केन्द्र ने निर्णय लिया था कि चौथी योजना के दौरान ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा शुरू किए गए कार्यों की कुल आवश्यकता 29.45 करोड़ रुपये नियत की जानी चाहिए । इसमें से 23.53 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने योजना प्रावधान से लगाए जायेंगे तथा शेष 5.92 करोड़ रुपये राज्य को अतिरिक्त सहायता के रूप में केन्द्र द्वारा दिए जाएंगे । मार्च, 1973 के अन्त तक राज्य योजना में किए गए व्यय को ध्यान में रखकर राज्य की वार्षिक योजना 1973–74 में स्वीकृत तथा पृथग्रक्षित परिव्यय 4.33 करोड़ रुपये था । मार्च 1973 तक राज्य द्वारा 2.61 करौड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का समुपयोजन किया गया था ।

राज्य सरकार को यह सूचना दे दी गई है कि उनके लिए 1973–74 के दौरान केन्द्र से 3.32 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करना संभव होने और वे राज्य योजना में पृथग्रक्षित 4.33 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ वर्ष के दौरान 7.65 करोड़ रुपये के कार्यक्रम की क्रियान्विति करने में समर्थ हो जाएंगे । बहरहाल, राज्य सरकार को केन्द्र से ऋण सहायता तभी दी जाएगी जबकि चालू वर्ष में व्यय राज्य योजना में पृथग्रक्षित 4.33 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिक हो जाएगा ।

भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन को बिजली की सप्लाई के लिए प्राथमिकता हेतु मांग

5168. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पटसन मिल्स एसोसियेशन ने सरकार से बिजली की सप्लाई को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हाल ही में जूट मिल संघ, कलकत्ता से विद्युत्त सप्लाई के मामले में जूट उद्योग को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । भारत सरकार ने पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों से निर्यात करने वाले उद्योगों, जिसमें जूट उद्योग भी शामिल है, को उच्च प्राथमिकाता देने की सिफारिश की है ।

देश की विद्युत्त सप्लाई स्थिति में आमतौर पर सुधार हुआ है और जूट उद्योग की विद्युत् आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

C.B.I. Investigation into cases of irregularities in Railways

5169. Shri Mahadeepak Singh Shakya: W ll the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Central Bureau of Investigation has found out many such cases of irregularities in the Railway Department where payments have not been made to the contractors and the amounts deposited by them have not been returned to them; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the period 1st January, 1971 to-date no cases of irregularities in the Indian Railways have been found by the Central Bureau of Investigation where payments have not been made to the contractors and amounts deposited by them have not been returned to them. However, during the same period there are eight cases where, as a result of investigations into certain irregularities taken up by the Central Bureau of Investigation, certain payments due to some contractors have not yet been finalised.

(b) In six of the above cases the matter is under investigation and payments could not be finalised pending completion of the investigations. In one case it has been decided to effect some recoveries from the outstanding bills of the contractor concerned. In the eighth cases, the Central Bureau of Investigation have finalised their investigations and settlements of the contractor's dues, is in progress.

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

5170. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उनके मंत्रालय द्वारा औषध निर्माताओं को कच्चे माल के उपलब्ध कराने में लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण जन उपभोग की सामान्य औषधियों तथा जीवन रक्षक औषधियों की कमी होने की आंशका है ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक खपत के आधार पर औषध निर्मानाओं को कच्चे माल के उपलब्ध कराने की पुरानी पद्धति को पुन: लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) औषधियों की कमी की कोई आशंका नहीं है ।

(ख) राज्य सरकार निगम के माध्यम से आयातित अधिकांश औषधियां तथा औषध मध्यवर्त्ती पिछले दो वर्षों के वास्तविक उपभोग के आधार पर निर्माताओं को जारी किए जा रहा है। प्राधिकृत पूंजी द्वारा औचित्य सिद्ध नहीं किए जाने पर और मात्रा भी जारी की जाती है। छोटे क्षेत्र को समुचित प्रोत्साहनात्मक अंवटन भी किये जा रहे है।

Retrenchment of Employees of Petrol Filling Stations

5171. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether about 20,000 employees working on petrol distribution centres are likely to be retrenched as a result of decline in consumption of petrol; and

(b) if so, the steps being taken by Government to provide employment to the retrenched employees ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

समस्त मशीनी तेलों के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

5172. **श्री के० माल्लन्ना :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनी तेलों के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो वे राज्य कौन कौन से हैं जो इसके पक्ष में हैं और वे राज्य कौन कौन से हैं जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं; और

(ख) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने तथा पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण अशोधित तेल के आयात में कटौती कर दी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) इस कारण से अब तक कच्चे तेल के आयात में कमी नहीं की गई है।

झरसुगुड़ा तथा सम्बलपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच यात्री गाड़ी को रद्द करना

5173. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरसुगुड़ा तथा सम्बलपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच चल रही दैनिक यात्री गाड़ी रद्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि गाड़ी को रद्द करने से जनता, विशेष कर विद्यार्थियों को बहुत असुविधा हुई है ; और

(ग) इस बारे में क्या तुरन्त कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) झारसुगुड़ा सम्बलपुर खण्ड पर चलने वाली 4 जोड़ी यात्री गाड़ियों में से केवल एक जोड़ी यात्री गाड़ियां ही 14-11-73 से रद्द की गयी थीं जो 12-12-1973 से फिर चालू कर दी गयी हैं।

कावेरी के पानी के वितरण विवाद को हल करने के लिए अध्ययन दल की स्थापना

5174. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के०लकप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी के पानी के वितरण विवाद को हल करने के लिये उनके मंत्रालय ने कोई अध्ययन दल स्थापित किया है ;

(ख) क्या दल ने कावेरी के पानी के वर्तमान तथा भविष्य में उपयोग के बारे में कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1973 में हुए विचार विमर्शों में राज्यों ने इच्छा व्यक्त की थी कि कावेरी जल के उपयोग में किफायत की गुंजाइश पर केन्द्र द्वारा एक अध्ययन किया जाना चाहिए जिसके पश्चात् कावेरी जल के उपयोग पर वे आगे विचार विमर्श करेंगे । कुछ विशेषज्ञों की सहायता से सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा ये अध्ययन किए जा रहे हैं ।

कुछ राज्यों में पैट्रोलियम उत्पादों की कमी

5175. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पेट्रोल का राशन करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त वस्तु सूचियां हैं । परन्तु परिवहन अव्यवस्था हड़ताल आदि जैसी समस्याओं के कारण अस्थायी रूप से स्थानीय कमी हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मिट्टी के तेल के पम्पों की स्थापना

5176. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलकनगर, दिल्ली में स्थापित इण्डियन आयल के मिट्टी के तेल के पम्प की स्टोर करने की क्षमता क्या है ; और

(ख) क्या दिल्ली में ऐसे और पम्प स्थापित किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तिलकनगर दिल्ली में प्रतिस्थापित किए गए भूमिगत टैंक की संग्रह शक्ति 15,000 लिटर है ।

(ख) भोगल दिल्ली में भी एक और उसी तरह का पम्प स्थापित कर दिया गया है ।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता विदेशी फर्में

5177. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता विदेशी फर्मों में इस समय कितनी विदेशी इक्विटी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) इन फर्मों में आरम्भ में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई थी ; और

(ग) वर्तमान विदेशी इक्विटी पूंजी कैसे बनी, क्या विदेशों से अग्रेतर पूंजी निवेश द्वारा या बोनस शेयर जारी करके या अन्यथा अर्थात् इस देश में ही प्राप्त की गई राशियों से ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) 26% से अधिक सीधी विदेशी साम्य पूंजी के साथ औषध और भेषज का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम, मूल साम्य पूंजी, उनकी वर्तमान प्रदत्त पूंजी कुल विदेशी शेयरधारी की वर्तमान प्रदत्त पूंजी और उस पूंजी को किस ढंग से इकट्ठा किया है यह सब इस विवरण में दिया है जो कि इसके साथ संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6045/73]**

पांचवीं योजना में औषधियों के उत्पादन लक्ष्य

5178. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के लिए औषधियों तथा 'फार्मुलेशन' के उत्पादन लक्ष्यों को अतिन्म रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इनको कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र के लिए किसी औषधि तथा 'फार्मुलेशन' विशेषकर 'फार्मुलेशन' का उत्पादन आरक्षित करने के औचित्य पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या आपत्तियां हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में औषध और फार्मस्यूटिकल उद्योग सहित उद्योगों का विकास करने के लिए योजनाओं को शामिल कर लिया है उस प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने स्वीकार कर लिया है और योजना आयोग द्वारा इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा । 27 नवम्बर, 1973 को लोक सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर में औषधि उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही की गई कार्रवाई को निर्दिष्ट किया है ।

भारत द्वारा ईराक में तेल की खोज करने का करार

5179. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन :**
श्री वी० मायावान :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा ईराक के बीच ईराक में तेल की खोज के बारे में करार पर हाल में ही हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) 22 अगस्त, 1973 को हुए करार के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ईराक में 4175 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम के अनुसंधान तथा व्यधन, वहां उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन आदि के सम्बन्ध में ईराकी राष्ट्रीय तेल कम्पनी को विशेष तकनीकी, वित्तीय तथा वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करनी हैं। इस उपक्रम में कुल लगभग 68.95 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें अनुसंधान व्यय लगभग 4.5 करोड़ रुपये से 7.5 करोड़ रुपये तक का होगा। वाणिज्यिक खोज तथा उत्पादन होने पर ईराकी राष्ट्रीय तेल कम्पनी से सारी लागत वसूल की जा सकेगी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जायेगा। ऐसा इसे यह अधिकार प्रदान करके दिया जायेगा कि वह सम्बन्धित क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल कुछ निर्धारित मात्रा में रियायती दर--"गारन्टी-युक्त विक्रय मूल्य"--पर खरीद सकेगा।

थोन बांध परियोजना के लिए अन्तर्राज्यीय बोर्ड

5180. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोन बांध परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय बोर्ड बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा नवम्बर, 1973 में संसद भवन के निकट आत्मदाह का प्रयास

5181. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों का ध्यान पूर्वी रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा नवम्बर, 1973 के अंतिम सप्ताह में संसद भवन के निकट मिट्टी का तेल छिड़क कर कपड़ों को आग लगाकर आत्मदाह करने के प्रयास के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इससे पूर्व उक्त कर्मचारी ने रेलवे मंत्री तथा अन्य रेलवे बोर्ड अधिकारियों से भेंट की थी और उनका ध्यान पूर्वी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को दबाये

जाने की ओर दिलाया था और यदि हां, तो आत्मदाह करने के क्या कारण थे और उसके पास से प्राप्त हुए पत्रों, ज्ञापनों, और शिकायतों का सारांश क्या है ;

(ग) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करेगी जिन्होंने ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास किया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सार क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेलवे कर्मचारी के संतप्त परिवार को कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नयी दिल्ली से 25-11-73 को प्रकाशित कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पूर्व रेलवे के एक भूतपूर्व स्वास्थ्य निरीक्षक श्री एस० पी० वर्मा ने 24 नवम्बर, 1973 की शाम को संसद् भवन के निकट आत्मदाह करने का प्रयत्न किया था । बाद में 27-11-73 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि जलने से हुए घावों के कारण 26-11-73 को श्री वर्मा की मृत्यु हो गयी । इस घटना के समय श्री वर्मा रेल कर्मचारी नहीं थे क्योंकि उन्हें 27 फरवरी, 1968 से रेलवे की नौकरी से हटा दिया गया था ।

(ख) श्री वर्मा, पूर्व रेलवे के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अपने द्वारा लगाये भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में समय समय पर विभिन्न रेल मंत्रियों और रेल मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से भी मिले थे ।

(ग) श्री वर्मा द्वारा की गयी भ्रष्टाचार की शिकायत का सार इस प्रकार है :--

(i) पूर्व रेलवे के कांचरापाड़ा कारखाने में दो सवर्ण हिन्दू सफाईवालों के रूप में नियुक्त किये गये ।

(ii) ये दो व्यक्ति मलसफाई का कोई काम नहीं करते थे क्योंकि ऐसा करना, श्री एस० पी० वर्मा के शब्दों में, उनके जातीय पेशे के खिलाफ था ।

(iii) उन्हें अनियमित रूप से 3 रु० प्रति मास 'मोरी भत्ता' का भुगतान किया जाता था । जिसके लिए वे हकदार नहीं थे ।

(iv) कांचरापाड़ा के सहायक कल्याण अधिकारी ने जून, 1964 में 11 नैमित्तिक श्रमिकों (सफाईवालों) को नियुक्त किया था जिनमें से छः कम आयु के थे, और

(v) उन्हें नौकरी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनके द्वारा भ्रष्टाचार के कुछ मामले प्रकाश में लाये गये थे ।

उपर्युक्त (i) से (iv) तक के आरोपों की व्यौरेवार जांच की गयी थी लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सका । जांच के परिणाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भी भेजे गये थे । आयोग ने सूचित किया कि उन आरोपों पर सतर्कता की दृष्टि से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । लेकिन, जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों की कतिपय अनियमितताओं का पता चला जिसके लिए उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी ।

जहाँ तक आरोप (v) का सम्बन्ध है, श्री वर्मा बिना अनुमति अपना मुख्यालय छोड़ने और बिना प्राधिकार ड्यूटी से अनुपस्थित होने के आरोप में सेवा से हटाये गये थे। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद दण्ड आरोपित किया गया था। सेवा से निष्कासित किये जाने के आदेश के विरुद्ध उनकी अपील पर यथोचित विचार करने के बाद पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने उसे रद्द कर दिया। उनकी अपील की रेल मंत्रालय द्वारा उच्च स्तर पर जांच की गयी थी और यह महसूस किया गया कि उन्हें सेवा से हटाने के लिए पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(घ) चूंकि 27 फरवरी, 1968 को सेवा से हटाये जाने के समय से वह रेल कर्मचारी नहीं थे, इसलिए सम्बन्धित परिवार को कोई वित्तीय सहायता सामान्यतः देय नहीं है।

कुकिंग गैस से टैक्सी चलाया जाना

5182. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दो इंजीनियरों तथा एक टैक्सी चालक द्वारा कुकिंग गैस से टैक्सी चलाये जाने के समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार पेट्रोलियम तथा इसके अन्य उत्पादों की कमी तथा अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस पद्धति को प्रोत्साहन देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) जी, हां। मोटर गाड़ियों को चलाने के उद्देश्य से खाना बनाने की गैस का उपभोग करना अनियमित है। घरेलू ईंधन से इतर उद्देश्यों के लिए स्वीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार एक आदेश जारी करने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली में रेलवे बोर्ड तथा दोनों अभिस्वीकृत फैडरेशनों के कर्मचारियों की बैठक

5183. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 में, कर्मचारियों की शिकायतों, मांगों तथा समस्याओं के बारे में दिल्ली में रेलवे प्रशासन/बोर्ड तथा कर्मचारियों की दोनों अभिस्वीकृत फैडरेशनों के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) उनको कब तथा किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके बैठक के कार्यवृत्त को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उस बैठक में किये गये फैसलों को क्रियान्वित करने के लिए यथासम्भव शीघ्र कदम उठाये जायेंगे।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

5184. **श्री बेकारिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने किसी नई सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त 20 नई सिंचाई परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम (जिला)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (लाख हैक्टेयरों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कर्जन (भड़ौच)	1626.84	0.385
2	सिप्र (बानसकंठा)	932.64	0.19
3.	रामी (बड़ौदा)	38.35	0.0013
4.	सुखभादर (भावनगर)	151.16	0.0035
5.	रजवाल सिचाई स्कीम	190.88	0.0033
6.	अमीपुर सिचाई स्कीम	211.66	0.068
7.	नरनाव चरण-दो (सबरकान्ता) .	90.35	0.0034
8.	कालिंद्री (जूनागढ़) .	46.31	0.0016
9.	थाट खड़ी (अमरेली)	108.22	0.0025
10.	नारा (कूच) .	77.97	0.0011
11.	मच्छन नाला (पंचमहल)	89.03	0.0034
12.	रावल (जूनागढ़)	207.78	0.05
13.	मछुन्द्रो (जूनागढ़)	173.09	0.04
14.	वनकलेश्वर भय (पंचमहल)	34.94	0.0017
15.	पिगुट (भड़ौच) .	65.86	0.0013
16.	गोधेतद (कूच) . .	34.13	0.006
17.	शेतरंजी (उमड़मार्ग गेट भावनगर)	32.68	0.34 (कुल)
18.	कमवती (कूच) .	53.65	0.006
19.	अम्बाजल (जूनागढ़)	65.95	0.0011
20.	वलदेवा (भड़ौच)	53.52	0.0015

कीटनाशक कारखानों का विस्तार

5185. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीटनाशक उत्पादक कारखानों का और आगे विस्तार करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कारखाने को कितना विस्तार करने की अनुमति दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जैसा कि जनवरी, 1970 में स्थिति थी, कीटनाशी औषधियों (तकनीकी) के निर्माण के लिये संगठित क्षेत्र के यूनिटों के लिये अनुमोदित क्षमताओं तथा बाद में उन के लिए स्वीकृत विस्तार के व्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6046/73]**

धनबाद के आउटडोर फिटिंग कर्मचारियों को जबरन छुट्टी देना

5186. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के 29 आउटडोर फिटिंग कर्मचारियों को 12 दिन की जबरन छुट्टी दिये जाने के बारे में इण्डियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन के प्रधान द्वारा उनको प्रेषित 27 अक्तूबर, 1973 का तार उन्हें मिल गया था;

(ख) इस बारे में धनबाद के प्रभागीय अधीक्षक को पेश किये गये अभ्यावेदन का सारांश क्या है;

(ग) मितव्ययता के इन दिनों में इतनी अधिक जनशक्ति को बरबाद करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) क्या गलत तोलमापक मशीनों के कारण बिना तोले कोयले से भरे वैगनों को भेजने के कारण बी0 सी0 सी0 एल0 और अन्य संगठनों ने दावे किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) धनबाद में 29 आउटडोर फिटिंग कर्मचारियों को 12 दिन की कोई जबरन छुट्टी नहीं दी गयी।

(घ) जी नहीं।

काशीपुर रोड गुडसशेड (पूर्व रेलवे) में पटसन का जमा हो जाना

5187. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत मात्रा में स्टाक जमा हो जाने के कारण पूर्व रेलवे ने काशीपुर रोड गुड्सशैड को पटसन के बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो पटसन की गांठों को हटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) समस्या के हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। 5-11-73 से 28-11-1973 तक।

(ख) जूट व्यापारियों और ट्रक चालकों के बीच विवाद के कारण जूट की गांठों को न हटाये जाने से कासीपुर मालगोदाम में माल जमा हो गया था।

(ग) विवाद के निबटारे और जमा गांठों की निकासी में शीघ्रता लाने के लिए इस मामले की ओर पश्चिम बंगाल सरकार और जूट आयुक्त का ध्यान दिलाया गया था। स्थिति सुधरने के साथ ही 29-11-1973 से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था।

Supply of Petrol to Taxi Drivers at Concessional Rates

5188. **Shri K. M. Madhukar:**

Shri Shyam Sunder Mohapatra:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether daily income of taxi drivers has considerably gone down as a result of increase in the petrol prices in the country and it is causing them hardship in earning their livelyhood;

(b) if so, whether Government propose to make special arrangements to give petrol to the taxi-drivers at concessional rates and to fix a modest quota for car owners at old rates;

(c) if so, the facts thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The State Governments have revised the taxi fares to compensate the taxi owners for the steep increase in the price of petrol. The taxi owners have represented that they should also be compensated for the fall in their custom on this account. The State Governments are competent to take this factor into account and revise taxi fares appropriately to provide for this factor as well.

(b) and (c) There is no such proposal under the consideration of the Government except to the extent that wherever taxi drivers joint together and form cooperative societies, they would be allotted consumer pumps where petrol will be available for them at marginally lower prices.

(d) It is not possible to give any special treatment to pay particular class of consumers of petrol in view of the administrative difficulties and the Government's objective to curb the consumption of petrol.

Scheme to meet Power Shortage

5189. **Shri K. M. Madhukar:**

Shri R. V. Swaminathan:

Will the Ministe of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have ever considered the power requirement in the country for the next 10 years and the measures to supply the same keeping in view acute power shortage in the country during the current year;

(b) if so, whether any scheme has been formulated to meet the present power shortage and to meet the future power requirements;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d) The Ministry of Irrigation and Power had already prepared a power plan (Generation) for the decade 1971-81 based on certain projections. An integrated view of all these studies and proposals is being taken with reference to the power requirements in the V Plan period. During the V Five Year Plan period, effective installed generating capacity is expected to be increased to 33 million KW, a level considered adequate to meet the demand in 1979. Provision is also being made for schemes which will spill over into the VI Plan.

The Fuel Policy Committee has considered the power requirements for the country for the seventies and are extending the studies to cover the period upto 1985.

बड़ौदा में इंडियन पेट्रो-कैमिकल कारपोरेशन के पैरीग्जीलीन संयंत्र के कम्प्रैशर का बन्द हो जाना

5190. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री सी० के० चन्दप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन के पैरीग्जोलीन संयंत्र का कम्प्रेशर बार-बार बन्द हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐहतियाती उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) कम्प्रैशर के विदेशी निर्माता तथा भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि० का विदेशी इन्जीनियरी ठेकेदार जिसके बन्द हो जाने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

(ग) कम्प्रैशर बन्द होने के कारणों का पता लग जाने पर दो विदेशी पार्टियों द्वारा उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जायेगा।

रेल में पूंजीकरण की आर्थिक समीक्षा

5191. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में पूंजीकरण की आर्थिक समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोई सामान्य समीक्षा नहीं की गयी है लेकिन पूंजी को प्रभारित होने वाले नयी लाइनों के निर्माण कार्यों तथा प्रमुख चालू लाइन निर्माण कार्यों के मामले में उत्पादकता जांच की जाती है ताकि प्राप्त हुए वास्तविक परिणामों की तुलना पूर्वानुमानों से की जा सके।

ईराक द्वारा अशोदित तेल की सप्लाई की पेशकश

5192. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री रामभगत पासवान :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक सरकार ने हमारे देश को और अधिक अशोधित तेल सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा की पेशकश की गई है; और

(ग) हमारी स्थिति इससे कितनी सुधर जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) 1974 के दौरान ईराकी राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले स्वीकृत कच्चे तेल की अतिरिक्त मात्रा एक मिलियन मीटरी टन है ।

(ग) कच्चे तेल की उपलब्धता और मांग के बीच जो अन्तर पड़ गया है--उक्त सप्लाई उसको कम करने में भरपूर मदद करेगी और इस प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को बनाए रखने में देश समर्थ हो जायगा।

उर्वरक संयंत्रों के लिये जापान, इटली और फ्रांस से ऋण

5193. **श्री एम० सुदर्शनम :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, इटली और फ्रांस ने प्रस्तावित पांच उर्वरक कारखानों के लिये ऋण की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में जापान एवं फ्रान्स से विशिष्ट सहायता देने की पेशकश की है । तीन उर्वरक संयंत्रों के लिए जापान द्वारा 32.9 मिलियन यन की ऋण सहायता देने की सम्भावना है तथा ऋण 3 वर्षों, अर्थात् 1973-84, 1974-75 एवं 1975-76 में प्राप्त होगा । ऋण 25 वर्षों में देय होगा जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 7 वर्ष की छूट अवधि भी सम्मिलित है । जापानी सहायता ऐड इन्डिया कन्सोर्टियम की रूपरेखा के अन्तर्गत होगा।

फ्रान्स ने 3000 मिलियन फ्रैन्च फ्रैन्क के विशेष ऋण देने की पेशकश की है । शर्तों पर फ्रान्स के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श हो रहा है जहां तक इटली का सम्बन्ध है हमारे कार्यक्रम के लिए सहायता की उपलब्धता का संकेत देते हुए कुछ इटालियन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, किन्तु उनके बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

फारस की खाड़ी स्थित अल्फा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिए खुदाई

5194. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने फारस की खाड़ी में अल्फा में खुदाई करके तेल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर उक्त आयोग ने अब तक कुल कितना खर्च किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी, फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी आफ यू० एस० ए० एस० डी० आई० पी० आफ इटली तथा हाइड्रोकार्बन ईण्डिया प्रा० लि० (जो कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्पनी है) के बीच हुए एक संयुक्त संरचनात्मक करार के अन्तर्गत फारस की खाड़ी में किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों के दौरान अब तक "आल्फा" संरचना में व्यधित दो अनुसंधान कुओं से तेल प्राप्त हुआ । परन्तु "आल्फा" संरचना क्षेत्र से तेल उत्पादन की तकनीकी आर्थिक सम्भावना की जांच की जा रही है।

(ख) हाइड्रोकार्बन्स इन्डिया प्रा० लि० ने अगस्त, 1973 के अन्त तक "आल्फा" संरचना क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पर 26 लाख अमरीकी डालर जिनकी राशि 1.89 करोड़ रुपये होती है, व्यय किए हैं।

Area covered by electric goods/passenger trains on Northern Railway

5195. **Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether electrification of Railway lines on the Northern Railway has been held over for the time being;

(b) if so, the names of the stations between which electric engines run; and

(c) upto what stations electric goods trains run and upto what places electric passenger trains run ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Electric engines are running between Mughalsari and Tundla on the Mughalsarai-Allahabad-Kanpur-Delhi line.

(c) Most of the goods trains and some of the passenger trains are operated by electric engines upto Tundla. As more electric engines become available all the goods and passenger trains on the electrified section would be hauled by electric engines.

डी० सी० दिल्ली/ए० डी० एम० साउथ दिल्ली के न्यायालयों में अगस्त, 1970 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन दायर किए गए मुकदमे

5196. **श्री अम्बेश** : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० सी० दिल्ली/ए० डी० एम० साउथ दिल्ली के न्यायालय में अगस्त, 1970 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन कितने मुकदमे दायर किए गए;

(ख) उन में से अब तक कितने मुकदमों पर निर्णय हो चुका है; और

(ग) इन मुकदमों का निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Appointment of Special Officer of C.B.I. in Railway Ministry

5197. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a special officer of the C.B.I. has been appointed in his Ministry;

(b) if so, the reasons for which the necessity of his appointment was felt and the special work entrusted to him; and

(c) the broad features in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) and (c) The officer has been appointed to organise a proper intelligence net-work for timely collection, evaluation and dissemination of information pertaining to the activities of such elements as may affect the efficient functioning of the Railways.

Rise in Price of Diesel

5198. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the prices of diesel have also gone up along with the prices of petrol;

(b) whether according to the announcement made by Government the prices of diesel would be reduced; and

(c) the rate at which the diesel was being sold at diesel pumps before the price increase in petroleum products and at present ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes, Sir. With effect from 3-11-1973, the price of High Speed Diesel Oil was increased by about 6 paise per litre on account of the increase in the price of crude oil.

(b) From 9-11-1973 the basic excise duty on High Speed Diesel Oil was reduced by Rs. 100 per KL at 15°C, resulting in a reduction in the price of High Speed Diesel Oil by about 10 paise per litre.

(c) The retail prices of High Speed Diesel Oil at Delhi before and after the price increase are as follows:—

before 3-11-1973 .	89 pasie per litre
w.e.f. 3-11-1973 .	95 ,, ,, ,,
w.e.f. 9-11-1973	85 ,, ,, ,,

Strike by Employees of Wazirabad Pumping Station, Delhi

5199. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether employees of Wazirabad Pumping Station, Delhi had gone on strike in support of their demands in November, 1973; and

(b) if so, what were their demands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) The charter of demands given by Delhi Swayatt Shasi Karamchari Mahasangh to the Municipal Commissioner contained the following:—

1. 66% increase on Delhi Electricity Supply Undertaking pattern.
2. Payment of Bonus to all Regular and Muster Roll employees.
3. Rs. 30 per month be paid as Medical allowance.
4. Wages to Muster Roll employees @ Rs. 290/- p.m.
5. Time Scale Promotions.
6. Muster Roll employees who have worked for one year be given regular appointments.
7. Cycle allowance be paid to Malaria Beldars.

Production of Chemical Fertilizers and Their Distribution

5200. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the ratio of distribution of fertilizers, State-wise, during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : A statement showing the ratio of the total fertilizers distributed to States is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 6047/73]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा मांग पत्र पेश किया जाना

5201. **श्री बी० मायापन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों ने यह भी मांग की है कि ये मांगे 15 दिसम्बर, 1973 तक पूरी कर दी जानी चाहिएं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) उनके द्वारा दिये गये प्रश्नों पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से 15 सितम्बर, 1973 तक अवश्य निर्णय लेने का निवेदन किया गया था ।

(ग) इस मामले को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष को भेजा गया था। जो अधिकारियों के एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से सम्बन्ध बनाये हुए हैं । 8 दिसम्बर, 1973 को उनकी एक बैठक हुई जिनमें उनकी मांगों पर विचार विमर्श हुआ, जनवरी, 1974 में एक और बैठक होनी है ।

इण्डियन एयरलाइंस में तालाबन्दी के कारण यात्रियों की भरी भीड़

5202. **श्री बी० मायापन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के कारण मास नवम्बर, 1973 में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई थी;

(ख) क्या वर्तमान गाड़ियों में इन यात्रियों की तुलना में स्थान कम था; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के मुकाबले के लिये रेलवे विभाग ने क्या कदम उठाये?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए जहां-कहीं व्यावहारिक होता है, महत्वपूर्ण गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं।

विद्युत् परियोजनाओं के लिए एक केन्द्रीयकृत अनुश्रवण व्यवस्था बनाना

5203. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत् परियोजनाओं की प्रगति पर निरन्तर निगाह रखने के लिए और जहां इन योजनाओं की प्रगति में बाधा आये, वहां उपचारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से, राज्यों के सहयोग से एक केन्द्रीयकृत अनुश्रवण व्यवस्था बनाने के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या किसी राज्य ने उक्त प्रस्तावों पर कोई आपत्ति उठाई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रित प्रबोधन (मानिटरिंग) प्रणाली के सृजन को पांचवी योजना प्रारूप में, जिसका हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा समर्थन किया गया है, शामिल कर लिया हुआ है। ब्यौरों को योजना आयोग के साथ सलाह करके तैयार किया जा रहा है।

थानिरमुक्कम में खारे पानी के लिए "बैरियर" का निर्माण

5204. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को केरल सरकार से थानिरमुक्कम में खारे पानी के लिए 'बैरियर' बनाने के पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृती के लिए मिल गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल सोप्स एण्ड आयल लिमिटेड, कालीकट को बकरे की चर्बी के आबंटन का अनुरोध

5205. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एन० श्रीकांतन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको केरल सरकार से अनुरोध मिला है कि केरल सोप्स एण्ड आयल लिमिटेड कालीकट को 1300 टन बकरे की चर्बी का आवंटन करने के लिये डायरेक्टर जनरल आफ टैक्नीकल डैवलपमेंट को सलाह दें; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) साबुन प्राथमिकता रहित उद्योग की श्रेणी में है और साबुन के कारखानों को चर्बी के आवंटन के रूप में आयात सहायता अनुमोदित क्षमता के आधार पर दी जाती है। मैंसर्स केरल सोप्स एण्ड आयल्ज लिमिटेड, कालीकट को प्रतिवर्ष 700 मीटरी टन साबुन की अनुमोदित क्षमता के आधार पर चर्बी दी जा रही है। फर्म ने बताया है कि वह प्रतिवर्ष 3600 मीटरी टन साबुन तैयार कर सकती है और इसने चर्बी के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। इसे सूचित किया गया है कि साबुन का उत्पादन बढ़ाने के लिये बढ़ाई गई क्षमता वाले औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है।

कावेरी के जल संबंधी तथ्य जांच समिति का प्रतिवेदन

5206. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कावेरी के जल संबंधी तथ्य जांच समिति का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुये कि काविनी और भावनी नामक दो मुख्य सहायक नदियों का अधिकांश सिंचाई क्षेत्र केरल में है और तीसरी सहायक नदी पाम्बर केरल से ही निकलती है, कावेरी के जल का कुछ भाग राज्य को सिंचाई एवं विद्युत प्रयोजनार्थ रुख मोड़ कर किया जाएगा और इस प्रकार केरल राज्य के हितों का ध्यान रखा जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, राज्यों ने इच्छा व्यक्त की कि कावेरी जल के इस्तेमाल में किफायत करने के बारे में केन्द्र द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। इन अध्ययनों जोकि इस समय किए जा रहे हैं, के पूर्ण होने के पश्चात् कावेरी जल से संबंधित विभिन्न मामलों पर राज्यों द्वारा आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

साइलेंट वैली पन-बिजली परियोजना को विदेशी सहयोग से पूरा करने के लिए केरल का अभ्यावेदन

5207. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें केरल सरकार से साइलेंट वैली पन-बिजली परियोजना, कनाडा जैसे देशों के सहयोग से पूरी करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत उत्पादन संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई के लिए कनाडा सहित विभिन्न देशों से निविदाएं मंगाने के संबंध में पूछताछ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयात के लिये आवश्यक विदेशी सहायता के ब्यौरों पर निर्णय, प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्य सरकार द्वारा उनका मूल्यांकन करने तथा हमें सूचित किए जाने के बाद ही लिया जाएगा।

एन्टीबायोटिक्स तथा सिंथेटिक औषधियों के उत्पादन के लिए रूस से वार्ता

5208. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रूस से कहा है कि एन्टीबायोटिक्स तथा सिंथैटिक औषधियों के उत्पादन में सहायता दें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एन्टी-बायोटिक्स (प्रतिजीवी) एवं सैन्थेटिक (संश्लिष्ट) औषधों के उत्पादन के लिए रूस सरकार की सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में जून, 1973 में रूसी एवं भारतीय विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श हुए थे। उसके अनुसरण में एक रूसी दल, जो नवम्बर, 1973 में भारत आया, ने इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को स्ट्रेप्टोमाइसीन, टेट्रासाइक्लीन, आक्सीटेट्रासाइक्लीन एवं पेनसिलीन के लिए उन्नत तत्व दिये। जहां तक नये सैन्थेटिक औषधों तथा नये एन्टीबायोटिक्स का संबंध है। सही दल ने नवम्बर, 1973 में आई डी पी एल को संबंधित तकनीकी आंकड़े सप्लाई किये जिनका भारतीय विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं।

गन्दी बस्ती के निवासियों को बिजली की सप्लाई के लिए दिल्ली विद्युत् नियंत्रण आदेश में संशोधन

5209. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने एक संकल्प के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी और गन्दी बस्तियों के निवासियों को बिजली देने के लिये केन्द्रीय सरकार को दिल्ली विद्युत् नियंत्रण आदेश को वर्तमान उपबंधों में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 20 नवम्बर, 1973 को हुई निगम की एक विशेष बैठक में इसके लिये एक संकल्प पारित किया गया था। बहरहाल, यह पता चला है कि नगर निगम द्वारा अभी तक इस संकल्प को दिल्ली प्रशासन को नहीं भेजा गया है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय 'ग्रिड'

5210. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड का प्रस्ताव कभी भी नहीं किया गया है।

पैट्रोलियम उत्पादों की चोरबाजारी को रोकने के लिए और मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपाय

5211. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की चोरबाजारी रोकने के लिए और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी दूर की जा चुकी है और यदि हां, तो कैसे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को चोर बाजारी आदि के मामलों को नियंत्रित करने के लिये पहले ही अधिकार दिये गये हैं।

(ख) देश की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस समय मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है चयन किये गये फुटकर तेल पम्पों के द्वारा आम लोगों को तेल उपलब्ध करने के लिये व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान मिट्टी के तेल डीलरों के अतिरिक्त है। यह व्यवस्था दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में लागू है अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को चालू करने के योजनाएं हाथ में हैं।

वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ट्रेन एक्ज़ामिनरों के वेतन-मानों में परिवर्तन

5212. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ट्रेन एग्ज़ामिनरों के वेतनमानों में परिवर्तन करने के बारे में सरकार द्वारा अंतिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय संभवतः कब तक कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मदी शफी कुरेशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के दूसरी, तीसरी और चोथी श्रेणी के कर्मचारियों के जिनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, वेतनमानों से संबंधित तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मोटे तौर पर स्वीकार करने का विनिश्चय किया है। इस विनिश्चय के आधार पर गाड़ी परीक्षकों सहित रेल कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित किया जा रहा है।

उड़ीसा स्थित आनन्दपुर बांध परियोजना के जल-निकास डीज़ाइन की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा समीक्षा

5213. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा उड़ीसा के जिला क्योंझर में आनन्दपुर बांध परियोजना के जल-निकास डिज़ाइन की समीक्षा पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा बराज के विस्तृत अभिकल्प तैयार किए जा रहे हैं। उपलब्ध किए गए अतिरिक्त आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा बाढ़ प्रावधान का पुनरवलोकन किया गया था; और राज्य के मुख्य अभियंता के साथ विचार-विमर्श के बाद बराज के लिए 19100 क्यूमेक्स का एक बाढ़ अभिकल्प अपनाया गया है। वर्तमान स्थितियों में स्थल पर स्टैंडर्ड परियोजना बाढ़ के अनुरूप 25500 क्यूमेक्स की बाढ़ के लिए बचाव कार्यों और शीर्षान्तिर की व्यवस्था की जाएगी।

उड़ीसा में भीमकुंड बांध क लिए स्थान

5214. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर में प्रस्तावित भीमकुंड बांध के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बांध किस स्थान पर बनाया जायेगा ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्तावित भीमकुण्ड बांध के लिए स्थल के संबंध में भी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

जे० के० ग्रुप के सहयोग से एक नायलन संयंत्र लगाने की अनुमति के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध

5215. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने प्रति वर्ष 2100 मीटरी टन नायलन के उत्पादन के लिए एक कारखाना लगाने हेतु जे० के० ग्रुप के साथ सहयोग करने की अनुमति देने के लिये केन्द्र से बार बार अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है।

मध्य प्रदेश में सुकता परियोजना का पूरा होना

5216. **श्री मान सिंह भौरा** :
श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री सुकता परियोजना के पूरा होने के संबंध में 28 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4594 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बीच मध्य प्रदेश की सकुता परियोजना पर विचार किया है और उसे स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) 18,800 हैक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई के लिए 483 लाख रुपये की अनुमानित लागत की संशोधित सुक्ता परियोजना को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जांच हो रही है।

रेल यात्रा में विद्यार्थियों को रियायत

5217. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल यात्रा में विद्यार्थियों को रियायत देकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देती है कि वह अपने निवास-स्थान से दूर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने जा सके तथा देश के विभिन्न स्थानों को देख सकें और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मान्यताप्राप्त स्कूलों और कालेजों तथा कुछ अन्य विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को (1) अपने वासस्थान और संस्थाओं के बीच यात्रा करने के लिए (2) ऐसे दलों में, जिनमें उनकी संख्या दस से कम न हो, कलात्मक महत्व के स्थानों तक शैक्षिक भ्रमण के लिए रेल किराये में रियायत दी जाती है। रियायती टिकट प्राप्त करने के लिए उन्हें संबंधित शिक्षण संस्था के प्रधान से निर्धारित फार्म पर एक प्रमाण पत्र लेना होता है। पहले दर्जे के किराये में 15 प्रतिशत दूसरे दर्जे के किराये में 25 प्रतिशत और तीसरे दर्जे के किराये में 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है। सामान्य सीजन टिकट के किराये के लगभग आधे किराये पर विद्यार्थियों को सीजन टिकट भी जारी किये जाते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या 720 से कम न हो और यात्रा 2500 कि० मी० या उससे अधिक की हो, तो उन्हें शैक्षिक भ्रमण के लिए स्पेशल गाड़ी में रियायती दरों पर यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। रियायतों से संबंधित विस्तृत नियम भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची सं० 21, भाग 1 में दिये हुए हैं जो एक ऐसा प्रकाशन है जिसकी बिक्री की जाती है और हवाले के लिये स्टेशनों पर उपलब्ध रहती है।

खाड़ी खम्बाद में तट-दूर ड्रिलिंग

5218. **श्री बनमाली पटनायक** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाड़ी खम्बात में आलियाबेट में ड्रिलिंग कार्यवाहियों का सर्वथा त्याग कर दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी, नहीं, इस समय अलियाबेट द्वीप के निकट संरचना पर ड्रिलिंग कार्यवाहियों को ही स्थगित किया गया है।

Survey for Construction of Railway Lines and Bridge over the Ganga River at Patna

5219. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a survey in regard to construction of a Railway line and bridge over the Ganges at Patna; and

(b) if so, the site at which this is going to be constructed as per the survey?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) and (b) A techno-economic survey for location of a railway bridge across the river Ganga in the reach between Kanpur-allahabad-Mokameh-Monghyr has been sanctioned and the work is in progress.

गाड़ियों में जंजीर खींचने के मामलों की संख्या में वृद्धि

5220. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में जंजीर खीचने के मामलों की संख्या में पिछले महीनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) अधिकांश मामलों में खतरे की जंजीर बिना किसी औचित्य या पर्याप्त कारण के खींची जाती है। आम तौर पर, जनता के निम्नलिखित वर्गों द्वारा यह समाज विरोधी कार्रवाई की जाती है :—

1. विद्यार्थी, अपने कालेजों और स्कूलों के पास उतरने के उद्देश्य से।

2. तस्कर जैसे बंगाल के क्षेत्रों में चावल के तस्कर।

3. अनाधिकृत फेरी वाले जो पकड़े जाने से बचने के लिए स्टेशन से पहले ही उतर जाना चाहते हैं।

4. समाज विरोधी तत्व जो केवल शरारत के लिए ऐसा करते हैं।

5. कभी कभी साधारण दैनिक यात्री भी अपने काम की जगह या निवास स्थान के पास उतरने के लिए खतरे की जंजीर खींच देते हैं।

पैट्रोल के स्थान पर कोयला तथा बिजली का प्रयोग करने के बारे में योजना आयोग का प्रस्ताव

5221. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पेट्रोल के स्थान पर कोयले तथा बिजली का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को रोकने तथा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते हुए उपभोग स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा योजना आयोग की सलाह से विभिन्न उपायों जिनमें विकल्पी शक्ति स्त्रोतों का प्रयोग भी सम्मिलित है पर विचार किया जा रहा है।

तट-दूर रियायतों के संबंध में वर्मा आयल कम्पनी का प्रस्ताव

5222. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयल इण्डियन लिमिटेड तट दूर रियायतों की साम्य पूंजी के विघटन तथा असम आयल कम्पनी के सरकारीकरण के बारे में बर्मा आयल कम्पनी से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो सरकार का इस बारे में निर्णय क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Amount paid by Hydrocarbons India Private Limited to a Director of O. & N.G.C.

5223. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether present Director (Finance) of the Oil and Natural Gas Commission had been getting an amount of Rs. 200/- per month during the period from 1968 to 1971 from the Hydrocarbons India Private Limited in addition to the salary of his present post; and

(b) the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir. This payment was made for his working as Chief Accountant of the Hydro-carbons India Private Limited (HIPL) in addition to his own duties in the ONGC. HIPL is a wholly-owned subsidiary of the ONGC. Effective from 16-3-1971, the payment of Rs. 200/- p.m. has been reduced by one-third (which is being paid to the ONGC) as decided by the Board of Directors of HIPL.

(b) In view of the foregoing facts, the question of any action being taken by the Government does not arise.

Accidents due to Technical defects and human failures on the Eastern Railway during the last five months

5224. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Accidents occurred on Eastern Railway during the last five months on account of technical defects and human failures;

(b) the number of accidents inquired into; and

(c) the number of persons found responsible and the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the last 5 months i.e. 1st June, 73 to 31st Oct.' 73 there were 29 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Eastern Railway. The causes of these accidents are as under :

Cause	No. of accidents
1. Failure of railway staff	15
2. Failure of persons other than railway staff	2
3. Failure of railway equipment	10
4. Accidental	1
5. Cause not yet finalised	1
Total :	29

(b) and (c) Inquiries were conducted into all the accidents. Among railway staff 16 persons have been held responsible. Disciplinary action is being processed against them.

Loss to Railway due to Employees' Strike on South Central Railway

5225. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount of loss suffered by Government as a result of strike by the Railway employees of South Central Railway during the last five months;

(b) the reasons for the strike; and

(c) the action taken by Government in regard to their demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) About Rs. 141.37 lakhs.

(b) (i) Agitation by Loco Running Staff on all India basis to press their demands like reduction in duty hours etc.

(ii) Agitation for merger of Sholapur Division with Central Railway.

(iii) Agitation for alleged assault of duty clerk in Railway Nilayam by R.P.F. Inspector.

(iv) Agitation for alleged assault on train lighting fitter on duty by the A.S.I., Government Railway Police.

(c) Regarding item (i), whatever action is possible has already been taken on the various assurances given. The Loco Running Staff Grievances Committee has already had 5 Sessions and the next session is scheduled to be held on 17-1-1974.

Regarding item (ii), a Parliamentary Committee headed by the Deputy Minister for Railways is currently looking into all the aspects of the problem.

As regards to item (iii) and (iv), whatever steps are necessary have already been taken in regard to the alleged assaults.

Loss to Railways due to Employees' Strike on Eastern Railway

5226. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the loss suffered by Government during the last five months on account of the strikes by the Railway employees of Eastern Railway;

(b) the reasons for these strikes by the employees; and

(c) the action taken by Government in regard to their demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) About Rs. 63 lakhs upto 30th November, 1973.

(b) (i) Agitation by Loco Running Staff on all India basis to press their demands like reduction in duty hours etc.

(ii) Agitation by Loco Maintenance Staff that discusstions with office bearers of their association (unrecognised) should be held.

(c) Regarding item (b) (i), whatever action is possible has already been taken on the various assurances given. The Loco Running Staff Grievances Committee has already had 5 Sessions and the next session is scheduled to be held on 17-1-1974. (ii) Discussions are not held with unrecognised unions.

Election Petitions pending with various High Courts

5227. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of election petitions filed after the last Lok Sabha elections; and

(b) the number of election petitious have been pending with the various High Courts at present?

The Minister of State in the Ministery of Law, Justice and Company affairs : (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Fiftynine.

(b) Three.

हावड़ा श्रौर सियालदह स्टेशनों पर अगस्त, 1973 में रेल-यात्रा टिकटों की बिक्री से प्राप्त श्रौसत राशि

5228. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा श्रौर सियालदह रेलवे स्टेशनों पर अगस्त 1973 मास में रेल-यात्रा टिकटों की बिक्री से श्रौसतन कितनी दैनिक श्राय हुई;

(ख) 17 नवम्बर, 1973 को उक्त प्रत्येक स्टेशन पर यह श्राय कितनी थी; श्रौर

(ग) 16 नवम्बर, 1973 को उक्त प्रत्येक स्टेंशन पर यह श्राय क्या थी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अगस्त, 1973 में हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर रेल यात्रा टिकटों की दैनिक औसत बिक्री इस प्रकार रही :—

हावड़ा	2,23,417.97 रुपये
सियालदह	61,621.00 रुपये

(ख) 17 नवम्बर, 1973 को हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर रेल यात्रा टिकटों की बिक्री की रकम इस प्रकार रही :—

हावड़ा	83,802.00 रुपये
सियालदह	13,174.00 रुपये

(ग) 16 नवम्बर, 1973 को हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर रेल यात्रा टिकटों की बिक्री की रकम इस प्रकार रही :—

हावड़ा	3,02,805.00 रुपये
सियालदह	68,811.00 रुपये

निर्माणाधीन सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाएं

5229. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्माणाधीन प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 16.4 मिलियन हैक्टेयर की कुल सिंचाई शक्यता को सिंचाई परियोजनायें चतुर्थ योजनावधि में निर्माणाधीन थीं। चतुर्थ योजना के अंत तक इन परियोजनाओं से 6.8 मिलियन हैक्टेयर की शक्यता विकास करने की संभावना है। अनुमान है कि इन परियोजनाओं में से अधिकांश पांचवीं योजना में पूरी हो जायेंगी और 5.5 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का विकास होगा।

9.2 मिलियन किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं चतुर्थ योजनावधि में निर्माणाधीन थीं। चतुर्थ योजना के अन्त तक 4.6 मिलियन किलोवाट की क्षमता प्राप्त होने की संभावना है और कुल 4.6 मिलियन किलोवाट की स्कीमें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनके पांचवीं योजनावधि के आरंभ में चालू होने की संभावना है।

बाघा-चितौनी क्षेत्र में रेल संचार सुविधाएं

5230. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाधा-चितौनी क्षेत्र में फिर से रेल संचार सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में स्थान इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन का जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है और रेल सम्पर्क जिसमें गंडक नदी पर पुल बनाने का कार्य भी सम्मिलित है, के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बागहा और छितौनी के बीच एक मीटर लाइन (21 कि० मी०) के लिए अंतिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट की जांच-पड़ताल की जा चुकी है। इस लाइन के लिए, प्रशिक्षण कार्यों को छोड़कर 6.74 करोड़ रुपये की रकम का एक अनुमान 9-11-1973 को मंजूर किया गया है। इस लाइन में गंडक नदी पर एक बड़ा पुल शामिल है। कुछ माडल अध्ययन और तकनीकी पहलुओं वाली जांच-पड़ताल के काम किये जा रहे हैं और इनके पूरा होने पर काम शुरु किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरी जोन में रेलवे के लिए विद्युत केन्द्र

5231. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबाध रूप से रेलगाड़ियां चलाने के लिये देश के उत्तरी जोन में विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर;

(ग) विद्युत् केन्द्रों की स्थापना पर कितनी अनुमानित लागत आने की संभावना है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक केन्द्र से कितने विद्युत उत्पादन की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश में।

(ख) से (घ) स्थल संबंधी अध्ययन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा हो जाने पर ही स्थान, अनुमानित लागत और उत्पादन क्षमता के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

एडवाइजर एक्सप्लोरशन का पद बनाया जाना

5232. **श्री बसंत साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडवाइजर एक्सप्लोरेशन का पद कब बनाया गया था;

(ख) वर्तमान पदाधिकारी की नियुक्ति कब की गई थी; और

(ग) क्या वर्तमान पदाधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में एक वरिष्ठ पद के लिये अनुपयुक्त पाया गया था और एक कनिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया था; और

(घ) क्या एडवाइजर के पद के लिये केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था और यदि नहीं तो क्यों ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अन्वेषण योजना और विकास के मुख्य के पद का सृजन 18-2-67 से किया गया था। बाद में इस का पद नाम 11-9-73 को सलाहकार (अन्वेषण) कर दिया गया था।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान पदाधिकारी को 6-3-67 से नियुक्त किया गया था। तथापि 1-9-71 से उसको तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सदस्य (उपतटीय) के रूप में इसका उल्लेख करते हुए नियुक्त किया गया है कि वह अन्वेषण, योजना और विकास/सलाहकार (अन्वेषण) के मुख्य के रूप में भी कार्य करेंगा।

(ग) जब वह दूसरी तेल कम्पनी में लगा था तब मार्च-जुलाई, 1961 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1420 रुपये से आरंभ होने वाले वेतन के साथ 1300-1600 रुपये के वेतनमान में अधीक्षक भूभौतिकी-विद (सुपरिन्टेंडिंग जियोफिजिसिस्ट) के पद पर उनके बारे में विचार किया था। फिर भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में पहले से ही कार्य कर रहे भू-भौतिकी विद् ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अभ्यावेदन दिया था कि उस पद को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यावेदन को ध्यान में रखकर और उस तथ्य को देखते हुए कि उस समय उसके पास अधीक्षक भू-भौतिकी विद् (भू-भौतिकी विद् निदेशालय में) के पद के लिए निर्धारित की गई विशिष्ट अर्हताएं नहीं थीं अतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाया। तथापि यह ठीक बात नहीं है कि उसको कनिष्ठ पद के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी। बल्कि फरवरी 1963 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उसको 1300-1600 रुपये के उसी वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की आफर दी थी। उसके बाद नवम्बर, 1963 में उसने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और 1600 रुपये से आरंभ होने वाले वेतन के साथ उसकी उसी हैसियत में नियुक्ति कर दी गई थी जिसका वह अधिकतम वेतनमान था। उस हैसियत से उसको बिहार के पुनिया और रक्साल के अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग प्रायोजना का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था।

(घ) जी नहीं। विज्ञापन का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सम्बद्ध भर्ती नियमों में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अल्प कालीन संविदा पर स्थानान्तरण के रूप में इस पद के लिये भर्ती की प्रणाली निर्धारित की है।

ब्रिटेन की आई० एम० ई० जी० कम्पनी को तट-दूर ड्रिलिंग के लिए परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करना

5233. **श्री बसन्त साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटेन की आई० एम० ई० जी० कम्पनी को तट-दूर ड्रिलिंग के लिये परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय में कब विचार आरम्भ हुआ;

(ख) क्या यह एकल आधार पर था; यदि नहीं, तो अपनी सेवाएं समर्पित करने वाले दूसरे परामर्शदाता कौन थे; और

(ग) आई० एम० ई० जी० को नियुक्त करने पर क्या व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक उपयुक्त आफ-शोर मोबाइल ड्रिलिंग यूनिट का चयन करने के लिए इंगलैण्ड के आई० एम ई० जी० को परामर्शदाता के रूप में लगाने के प्रस्ताव पर अप्रैल, 1969 में चर्चा की गई थी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से भारतीय उच्चायोग द्वारा की गई पूछ-ताछ पर इंगलैण्ड सरकार के विद्युत मंत्रालय ने सलाह दी कि इस विषय में पेट्रोलियम संस्थान, लन्दन से बात की जाय परन्तु पेट्रोलियम संस्थान, लन्दन ने इस काम के लिए आई० एम० ई० जी० लन्दन को उपयुक्त बताते हुए उसका ही सुझाव दिया।

(ख) 1968 के उत्तरार्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जिन विभिन्न परामर्शदाता फर्मों तथा कतिपय अन्य संस्थानों स पूछ-ताछ की उनमें 4 फर्मों, अर्थात्

(1) कोरकुट इंजीनियर्स, इन्क,

(2) आफ शोर सिस्टम्स इन्क, (जो कि मार्टिन मेरियेटा की सहायक है),

(3) गालड्रिल, इन्क, (जो कि फ्लोर कारपोरेशन लि० की सहायक है), तथा

(4) ग्लोवल मेराइन इन्क० ने आयोग की पूछ-ताछ का प्रत्युत्तर दिया। इनमें से कुछ फर्मों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उनके पास सम्बन्धित काम का पर्याप्त अनुभव है अथवा नहीं तथा सभी मामलों में सम्पूर्ण परामर्श कार्यों का कुल व्यय भी नहीं दर्शाया गया था।

(ग) आई० एम० ई० जी० को उसको परामर्श सेवा के लिए 19.500 अमरीकी डालर दिए गए।

टकरू आयोग पर किया गया व्यय

5234. **श्री बसन्त साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) टकरु आयोग पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ख) पेट्रोलियम मंत्रालय, आई० ओ० सी० के मामलों के लियें किये गये वकीलों तथा आयोग के वकीलों ने अब तक पृथक-पृथक कितने-कितने शुल्क के दावे किये हैं;

(ग) क्या उनकी कोई राशि बकाया है; और

(घ) 31-3-74 तक आयोग के लिये स्वीकृत व्यय की राशि क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 12.12 लाख रुपये (लगभग)।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, भारतीय तेल निगम और आयोग के वकीलों के न्यायालय में उपस्थित होने वाले वकीलों द्वारा मांगी गई कुल रकम में से जिस रकम का अभी भुगतान किया जाना है, वह रकम अभी अब तक मांगी गई कुल रकम अलग-अलग नीचे दी गई है :—

	वकीलों द्वारा मांगी गई रकम	वकीलों को दी जाने वाली अब तक की रकम
	(हजार रुपयों में)	
(1) पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील .	293	100
(2) भारतीय तेल निगम के वकील . . .	280	70
(3) पी० आई० सी० के वकील . . .	94	69
जोड़ . .	667	239

अपना कार्य आरम्भ करने की तारीख आयोग द्वारा किया गया यथार्थ खर्च और बजट में की गई व्यवस्था को नीचे दिया है :—

	बजट व्यवस्था	किया गया खर्च
	(हजारों रुपयों में)	
(1) 1970-71	152	63
(2) 1971-72	136	120
(3) 1972-73	337	210
(4) 1973-74	72 (मूल अनुमान) (प्रस्तावित संशोधित अनुमान—391)	178 (नवम्बर, 1973 तक)

नागपुर में कोराडी विद्युत केन्द्र के लिए ब्राडगज रेलवे साइडिंग का निर्माण

5235. **श्री बसंत साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर क्षेत्र में कोराडी विद्युत केन्द्र की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये ब्राडगेज रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या नागपुर रेलवे स्टेशन से कोराडी विद्युत केन्द्र पर सड़क से निर्माण सामग्री लाने में बहुत अधिक राशि व्यय की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सड़क से माल लाने के लिये गत तीन वर्षों में ठेकेदारों को कुल कितनी राशि दी गई है और उसका क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) यह सूचना रेलवे के पास नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार/कोराडी ताप बिजली परियोजना प्राधिकरण से है ।

Threat by All India Railwaymen's Federation

5236. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Chandu Lal Chandrakar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the demands made by the All India Railwaymen's Federation over which they have threatened to go on strike;

(b) the demands which are not considered reasonable by Government; and

(c) the steps being taken to avert the strike?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) In the resolution passed by the Working Committee of the All India Railwaymen's Federation in August 1973, the Federation has put forward the following principle demands :

(i) Bonus for all railwaymen.

(ii) D.A. formula should provide for full neutralisation of the rise of the cost of living index.

(iii) Improvement in retirement benefits.

In regard to (i), the payment of bonus to industrial workers is regulated by the payment of Bonus Act 1965. The Act does not apply to Government departmental undertakings like the Railways.

Items (ii) and (iii) are covered by the Pay Commission's Award on which Government has recently announced its decision after consulting labour representatives.

Under the Permanent Negotiating Machinery scheme, regular discussions on all outstanding issues are held between the railway management and the all India Railwaymen's Federation.

रेलवे के विभिन्न स्टोरों में जमा की गई सामग्री का मूल्य

5237. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विभिन्न स्टोर डिपुओं में कितने मूल्य की सामग्री स्टोर है तथा उसके डिवीजन-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उस सामग्री की खरीददारी कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो रेलवे स्टोरों में पहले से ही जमा है; और

(ग) क्या सरकार स्टाक की गिन-गिन कर जांच कराती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री (मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31-3-1973 को विभिन्न स्टोर डिपुओं में रखी गई सामग्री का कुल मूल्य लगभग 154.00 करोड़ रुपये था। मण्डलवार सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ख) स्टोर डिपुओं में जमा किये जाने वाले भण्डार की खरीद इस प्रकार नियमित की जाती है कि केवल अनिवार्यतः अपेक्षित वस्तुएं ही खरीदी जायें । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मौजूदा भण्डार कितना है, खपत के रुख को देखते हुए कितना भण्डार अपेक्षित होगा, खरीद के लिए कम से कम कितना समय चाहिए और सुरक्षा के लिए कितना भण्डार अपेक्षित है ।

(ग) जी हां । एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से भण्डार का वास्तविक सत्यापन किया जाता है ।

शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण कर चुके राज्य

5238. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : हरियाणा राज्य और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सभी ग्रामों में बिजली पहुंचा दी है ।

विदेशी तेल कम्पनियों की पुनः जांच करने के लिए योजना आयोग के सुझाव

5239. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विदेशी तेल कम्पनियों की पुनः जांच करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) उक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए इस बात का प्रश्न नहीं उठता ।

तट-दूर खुदाई कार्य की प्रगति

5240. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के लिए तट-दूर खुदाई की परियोजना की प्रगति क्या है;

(ख) क्या सरकार देश के संसाधनों का उपयोग करके तेल की विदेशी सप्लाई पर देश की निर्भरता कम करने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह अनुमान है कि प्रश्न सागर सम्राट की सहायता से तेल के लिये 11-10-1973 से किये जा रहे अतटीय व्यधन से सम्बन्धित है । 10-12-1973 को इस संरचना पर व्यधन कार्य 2782 मीटर की गहराई तक पहुंच गया था । कुएं में लगभग 1600 मीटर एवं 2,538 मीटर की गहराई में गैस के चिन्ह प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने परिचालनों का कार्यक्रम बनाया है जिसमें पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक तेल की उत्पादन दर में प्रति वर्ष 8.42 मिलियन मीटरी टन तक वृद्धि करना निहित है । कुछ अतटीय क्षेत्रों में तेल के अन्वेषण के लिये विदेशी सहयोग के कई प्रस्तावों पर सरकार इस समय विचार कर रही है । आयल इण्डिया लिमिटेड ने भी उन क्षेत्रों में जिनमें यह कार्य कर रही है, और तेल ढूंढ़ने के लिए अपने कार्यों में तेजी लाने का निर्णय किया है ।

आदिम जातियों की विधियों को संहिताबद्ध करना

5241. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिम जाति क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, प्रचलित विधियों के अध्ययन की तथा उन्हें संहिताबद्ध करने की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, प्राथमिक रूप से ऐसे संहिताबद्ध करने के कार्य की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

5242. **श्री शंकर राव सावंत : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) क्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो किस-किस न्यायालय में और कितनी-कितनी;

(ग) यह अतिरिक्त संख्या कब तक बढ़ा दिये जाने का विचार है; और

(घ) क्या नये न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई कठिनाइयां हैं; यदि हां, तो क्या ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूर की गई संख्या और वास्तविक संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) यह राज्य प्राधिकारियों का कार्य है कि वे संस्थित किये गए, निपटाए गए और बकाया मामलों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन करें और यदि आवश्यक हो तो वर्तमान मंजूर संख्या में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें ।

(घ) जी नहीं ।

विवरण

1 दिसम्बर, 1973 को, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

न्यायालय का नाम	**मंजूर की गई संख्या**	**पदासीन न्यायाधीशों की संख्या**
उच्चतम न्यायालय	14	13
उच्च न्यायालय का नाम		
1. इलाहाबाद	43	36
2. आन्ध्र प्रदेश	21	17

न्यायालय का नाम	मंजूर की गई संख्या	पदासीन न्यायाधीशों की संख्या
3. बम्बई	35	31
4. कलकत्ता	41	37
5. दिल्ली	19	19
6. गोहाटी	7	6
7. गुजरात	18	17
8. हिमाचल प्रदेश	3	3
9. जम्मू-कश्मीर .	5	5
10. कर्नाटक	16	14
11. केरल	16	13
12. मध्य प्रदेश	21.	15
13. मद्रास	22	16
14. उड़ीसा	8	7
15. पटना .	24	20
16. पंजाब और हरियाणा	23	18
17. राजस्थान	13	11

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक परियोजनायें

5243. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गयी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी परियोजनायें स्थगित कर दी गयी हैं तथा किस कारणों से;

(ख) उनमें से कौन सी अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ग) उनमें से प्रत्येक किस स्थिति में है;

(घ) उनके कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ङ) उनके निर्धारित समय से पीछे होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के शिवा नोवा नामक स्थान में अगस्त, 1971 में मैसर्स धरमजी मोरारजी कैमिकल्स कम्पनी को एक लाइसेंस दिया गया जो कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि कम्पनी को परियोजना के सम्भाव्य प्रदूषण प्रभाव के आधार पर प्रस्तावित स्थान के बारे में अनुमति प्राप्त न कर सकी इसलिए लाइसेंस वापिस कर देना पड़ा। अप्रैल, 1972 में एन० पी० के० कणदार उर्वरकों के उत्पादन के लिए मैसर्स शिवराजपुर सिण्डीकेट को एक एफ० सी० ग्रो० की लाइसेंस दिया गया है या जिसको भी कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि पार्टी ने दिवाला दे दिया है।

(ख) से (ङ) 1970 से आगे के वर्षों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना युक्त एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6048/73]

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा खरीदी गई मैथेनोल की चोरी

5244. **श्री शशि भूषण :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड नामक एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जीवन बचाने वाली कीटनाशी औषधियों के उत्पादन के लिये खरीदी गयी मैथेनोल की चोरी की गई और इससे खोपोली में बहुत से व्यक्ति मर गए;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस घटना की जांच करने के लिये कहा गया था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ व्यक्तियों के नाम बताए थे; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दोषी अपराधियों के नाम बताये जाने के बावजूद हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मथेनोल, जिसे हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स भारतीय उर्वरक निगम से खरीद रहा था, कम प्राप्त होने के सन्देह पर कम्पनी के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक चैकिंग की गई थी और शुद्ध वजन में अन्तर पाया गया था। सी० बी० आई० से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था और मार्च 1973 में प्राप्त हुई उनकी सिफारिशों के अनुसार उन 3 व्यक्तियों, जिन पर एक दूसरे के साथ साठ गांठ करने का शक है, को आरोप पत्र जारी किये गये हैं। उनके विरुद्ध की जा रही जांच सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब जिसमें मैथेनोल की मिलावट था, के प्रयोग के परिणामस्वरूप खोपोली में हुई मौतों के बारे में समाचार पत्र की रिपोर्टें महाराष्ट्र की सरकार को भेज दी गई थीं जिन्होंने इस मामले की जांच करवाई थी। यह निश्चित नहीं हो पाया है कि उक्त मैथेनोल उस माल में से था जो हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड को भेजा गया था। लेकिन प्रतीत होता है कि यह उन टैंक लारियों में से था जो खोपोली के मार्ग से अहमदाबाद जा रही थी। राज्य सरकार इस मामले पर कार्यवाही कर रही है और न्यायालय में मुकदमें दर्ज करवा दिये हैं। वे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति के विरुद्ध भी कदम उठा रहे हैं।

विद्युत केन्द्रों के कार्यकरण की जांच के लिये बनायी गयीं समितियों के प्रतिवेदन

5245. **श्री के० कोडंडारामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करने के लिये बनाई गयी दो समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विशेषज्ञों के दो दलों ने देश में जल तथा ताप दोनों प्रकार की विभिन्न परियोजनाओं का दौरा किया है। पूर्वी क्षेत्र में कुछ ताप विद्युत केन्द्रों का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात्, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया गया है कि ताप विद्युत केन्द्रों के लिए ईंधन की किस्म में सुधार किया जाना चाहिए, काफी फालतू

पुर्जों का स्टाक रखा जाना चाहिए ताकि रोजमर्रा अनुरक्षण में बेकार का अधिक समय न लगे और विद्युत-उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संतत सेवा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

निर्माणाधीन परियोजनाओं (जल तथा ताप) के लिए सिविल कार्यों में तथा संयंत्र और मशीनों की डिलिवरी में तेजी लायी जानी चाहिए; परियोजनाओं के द्रुत निर्माण के लिए इस्पात, सीमेंट, आक्सीजन तथा एसीटिलीन गैस जैसी अनिवार्य सामग्री की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जहां भी आवश्यकता हो, अधिक धनराशियां जुटाई जाएं ताकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण ही यूनिटों का प्रचालन रुक न जाए ।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से पोलीप्रोपलिन के निर्माण के लिए आवेदन पत्र

5246. **श्री के० कोडंडारमी रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में पोलीप्रोपलिन के निर्माण हेतु आशय पत्र के लिए आवेदन-पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं, आन्ध्र प्रदेश के राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पोलिप्रोपाई लीन स्टैपिल तन्तु के निर्माण के लिए 1972 में एक आशय पत्र के लिए निवेदन किया था ।

(ख) यह आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया था ।

मिट्टी के तेल के पम्पों का आंबटन

5247. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं के मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए मिट्टी के तेल के पम्प अलाट करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने पम्प अलाट किये जाने है; और

(ग) इन्हें अलाट करने के लिए क्या मापदण्ड होंगे और यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल में मिट्टी के तेल को मिलावट न की जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) यथा-सम्भव अधिक से अधिक विक्रय केन्द्रों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये तेल कम्पनियों से (i) अपने कुछ वर्तमान विक्रय पम्पों के माध्यम से इस उत्पाद की बिक्री करने (ii) मिट्टी के तेल के चुने गये वर्तमान व्यापारियों के देहातों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिये पम्प स्थापित करने का परामर्श दिया गया है । देश के विभिन्न भागों में इन प्रबन्धों का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिये फुटकर पम्पों/व्यापारियों का चयन किसी विशेष क्षेत्र की मांग सम्बन्धी सम्भाव्यता तथा इस प्रयोजन के लिये किसी विशेष स्थान पर उपयुक्त सुविधाओं की विद्यमानता पर निर्भर है । इस प्रबन्ध के अन्तर्गत कोई नया व्यापारी नियुक्त नहीं किया जा रहा है ।

मिट्टी के तेल का मूल्य हाई स्पीड डीज़ल ग्रायल (एच० एस० डी०) के मूल्य के लगभग बराबर कर दिये जाने में, यह ग्राशा है कि इस प्रबन्ध के ग्रन्तर्गत मिट्टी के तेल की एच० एस० डी० के साथ मिलावट नहीं होगी। तथापि, जहां तक मोटर स्पिरिट (एम० एस०) जिसका मूल्य मिट्टी के तेल के मूल्य से काफी ग्रधिक है, का सम्बन्ध है, इस उत्पाद में मिट्टी के तेल के साथ मिलावट रोकने के लिये तमाम सम्भव उपाय ग्रपनाने के लिये तेल कम्पनियों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इन उपायों में, डीलरों के स्टाकों की ग्राकस्मिक चैकिंग, ऐसे ग्रपराधियों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही, समस्त फुटकर विक्रेताग्रों के मोटर स्पिरिट टैंको को सप्लाई प्राप्त होने के बाद सीलबन्द करने तथा मिलावट करने के मामलों को पकड़ने के बारे में व्यापक प्रचार करना, सम्मिलित है। मिलावट को समाप्त करने के लिये, इस मंत्रालय द्वारा इस व्यवस्था के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है।

मिट्टी के तेल के दुरुपयोग सम्बन्धी ग्रपराधों का निपटारा करने के लिये राज्य सरकारों के पास ग्रावश्यक वस्तु ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत पर्याप्त ग्रधिकार है।

पश्चिम बंगाल में डीजल की कमी

5248. **श्री रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 में पश्चिम बंगाल में डीज़ल की बहुत कमी रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ग्रौर (ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। देश की ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए समस्त पेट्रोलियम उत्पादों जिसमें पश्चिमी बंगाल में डीजल तेल की मांग सम्मिलित है पर्याप्त उपलब्ध है।

पेट्रोल के राशन के संबंध में राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा जाना

5249. **श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ग्रल्प सूचना पर पेट्रोल का राशन करने के सम्बन्ध में राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; ग्रौर

(ग) उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ग्रौर (ख) इस सम्बन्ध में कृपया 11-12-1973 की तारीख वाले लोक सभा ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 4314 के उत्तर को देखें।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें ग्रावश्यक कार्यवाही के लिए निःसन्देह कदम उठाएगी।

पेट्रोल ग्रौर कच्चे तेल की स्थिति में सुधार

5251. **श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1973 में कच्चे तेल की स्थिति में कितना सुधार हुआ है ;

(ख) क्या अब पेट्रोल बिना किसी प्रतिबन्ध के मिलने लगेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो सामान्य सप्लाई कब तक सुनिश्चित की जा सकेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ईराक और सउदी अरब दो ऐसे देश हैं जो भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं । इसमें से केवल सउदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाया है । यह प्रतिबन्ध अब उठा लिया गया है तथा यह आशा की जाती है कि दिसम्बर में सप्लाई सन्तोषजनक रहेगी । काल्टैक्स और बर्मा-शैल द्वारा दिसम्बर के लिए बताए गए टैंकर नामांकन कार्यक्रम के अनुसार भी पिछले महीनों की तुलना में सुधार दिखाई पड़ता है तथा यह सामान्य मासिक आवश्यकताओं से सन्तोषजनक ढंग से मेल खाता है । मद्रास और कोचीन की सरकारी क्षेत्र शोधशालाओं की स्थिति भी सन्तोषजनक है ।

(ख) और (ग) पेट्रोल की सप्लाई पर अभी तक कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं । लेकिन सरकार ने पेट्रोल तथा विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को रोकने के लिए अनेक उपाय अपनाए हैं । ये उपाय कच्चे तेल की कमी को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि विशेष रूप से कच्चे तेल जिसके मूल्य पिछले महिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, के आयात में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को बचत के लिए किए गए हैं । वर्तमान संकेतों को ध्यान में रखते हुए कि विश्व-बाजार में कच्चे तेल के मूल्य दिन और रात तीव्र गति से बढ़ते जायेंगे को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपायों को और अधिक लम्बे समय तक के लिए अपनाए रखना होगा । विश्व के उद्योग प्रधान देशों ने, जापान, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को सम्मिलित करते हुए, कच्चे तेल की अन-उपलब्धि को ही नहीं बल्कि कच्चे तेल पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि में तेजी से वृद्धि होने के कारण, उपभोग पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाये हैं ।

वर्ष 1973 में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण

5253. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए वर्ष 1973 कितनी धनराशि का निपटान किया गया था; और

(ख) इस वर्ष में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस प्रयोजन के लिए धनराशि कैलेण्डर वर्ष के अनुसार आबंटित नहीं की जाती है किन्तु वित्त वर्ष के आधार पर की जाती है । वित्त वर्ष 1973-74 के लिए कर्मचारियों के मकानों के निर्माण के लिए 7.91 रुपये की राशि आबंटित की गई है, जिसमें परियोजनाओं/योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में कर्मचारियों के मकानों के निर्माण के लिए 1.49 करोड़ रुपये शामिल हैं । चालू वित्त वर्ष में वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है इसका पता तभी चलेगा जब दिसम्बर, 1973 के अन्त तक रेलों से सशोधित अनुमान प्राप्त हो जायेंगे ।

कैडबरी फ्राई (इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड) के कार्यों की जांच

5254. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैडबरी फ्राई इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यों की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार एंव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की है और निरीक्षकों की केन्द्रीय सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों का पंजीकरण

5255. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस वर्ष जून में कुल मिलाकर 287.8 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी वाली लगभग 303 कम्पनियों का पंजीकरण किया गया था;

(ख) यदि हां तो क्या इनमें अधिकांश पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियां;

(ग) क्या सभी कम्पनियां इन दो श्रेणियों में विभक्त हैं अथवा इनकी कोई तीसरी श्रेणी भी है; और

(घ) यदि कम्पनियों की तीसरी श्रेणी भी है तो वह किस प्रकार की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) जून 1973 के मास में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 303 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था । इनमें से 302 कम्पनियां हिस्सों द्वारा सीमित थीं एवं इनकी अधिकृत पूंजी 287.8 करोड़ रुपये थी ।

(ख) इनमें कम्पनियों का अधिकांश अर्थात् 277 कम्पनियां प्राइवेट लिमिटेड थीं, 25 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां थी एवं एक गारन्टी द्वारा सीमित लाभ कमाने का उद्देश्य न रखने वाली संस्था थी ।

(ग) तथा (घ) कम्पनियां तीन प्रकार की होती हैं अर्थात् (1) हिस्सों द्वारा सीमित प्राइवेट कम्पनियां (2) हिस्सों द्वारा सीमित पब्लिक कम्पनियां तथा (3) लाभ कमाने का उद्देश्य न रखने वाली संस्था ।

कम्पनियों की तृतीय श्रेणी अर्थात् लाभ कमाने का उद्देश्य न रखने वाली संस्था कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, दान अथवा किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य के प्रवर्तन के लिये सीमित कम्पनी के रूप में निर्मित की जाती है एवं किसी लाभ अथवा अन्य आमदनी को अपने उद्देश्यों की उन्नति के लिये व्यय करती है तथा अपने सदस्यों को कोई लाभांश नहीं देती ।

पिछड़े क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये विशेष विकास निधि

5256. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने देश में पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये ग्राम्य विद्युत् सहकारी समितियां स्थापित करने के लिये एक विशेष विकास निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम्य विद्युत सहकारी समितियां स्थगित करने के लिये कोई प्रारम्भिक कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या ग्राम्य विद्युत सहकारी समितियों के बारे में विवरणों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने दो उद्देश्यों--स्थापित की जाने वाली सहकारिताओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण देने तथा उन्हें राज्य बिजली बोर्डों को ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में स्कीमों के लिए उपदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए जहां लम्बे पारेषण तार-जाल के कारण बिजली पहुंचाने पर लागत अधिक आती है--को पूरा करने के लिए एक विशेष विकास निधि बनायी हैं । निगम ने उड़ीसा, बिहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है । ये सभी राज्य सरकारें सिद्धान्त रूप में अपने-अपने राज्य में एक अथवा उससे अधिक ग्राम विद्युतीकरण सहकारिता की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है । अभी तक इसके ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रूस के एक इंजीनियर द्वारा खुदाई राकेट का आविष्कार

5257 **श्री राजदेव सिंह:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रूस के एक इंजीनियर श्री मिरवाइल ने एक खुदाई राकेट का अविष्कार किया है जिससे 18 सैकेण्ड में 17 मीटर गहरा कुंआ खोदा जा सकता है;

(ख) क्या केवल एक ही राकेट से बहुत थोड़ी लागत पर दर्जनों कुएं खोदे जा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस ज्ञान और तकनीकी रूस से मांगना तथा विकसित करना उचित समझती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) इस विषय पर प्रैस रिपोर्ट सरकार की सूचना में है ।

(ग) इन रिपोर्टों के अनुसार तकनीक अभी परिक्षणाधीन है । इसके पूर्ण रूप में विकसित होने पर तथा तकनीकी आधार पर सम्भाव्य और आर्थिक रूप में सुदृढ़ पाये जाने पर भारत इसके प्रयोग के बारे में विचार कर सकता है ?

हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के रेल कर्मचारियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के प्रति शिकायतें

5258. **श्री पीलू मोदी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के रेलवे कर्मचारियों से कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में उनकी पदावनति हुई है तथा वित्तीय हानियां हुई हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार एसी शिकायतों और यदि उन पर कोई कार्यवाही की गई है तो उसका सारांश बताएगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दक्षिण रेलवे, मद्रास की स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन से भवन निर्माण ऋण के लिए अभ्यावेदन

5259. **श्री पीलू मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे मद्रास की स्टाफ वेलफेयर एसोसियशन से भवन निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस एसोसिएशन ने ऐसे ऋण देने की वर्तमान प्रक्रिया में कुछ दोष बताये हैं;

(ग) क्या इस एसोसिएशन ने वर्तमान प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि कर्मचारियों की व्यर्थ की शिकायतों से बचा जा सके; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के प्रेक्षकों की पदोन्नति

5260. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र के प्रेक्षकों को पदोन्नति करने सम्बन्धी एक योजना को सरकार ने वर्ष 1965 में सिद्धान्त रूप से मंजूरी दी थी;

(ख) क्या केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान केन्द्र नई दिल्ली द्वारा उसको क्रियान्वित करने के लिये आदेश जारी किये थे; और

(ग) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने आदेश जारी नहीं किये थे क्योंकि वे केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धानशाला, पूना के अराजपत्रित (इंजीनियर और वैज्ञानिक) काडरों के पुनर्गठन के प्रस्तावों को पुनः जांच करना चाहते थे। इस बीच, तीसरे वेतन आयोग की स्थापना हो गई तथा यह उचित समझा गया कि केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धानशाला, पूना में विभिन्न पदों के सम्बन्ध में उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाये। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की रोशनी में अब इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

भेषज तथा औषधि उद्योग के पूंजीनिवेश और विदेशी इक्विटी का अंश

5262. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री ड्रग्स तथा फार्मासिटिकल उद्योग में लगी कुल पूंजी तथा उसमें विदेशी इक्विटी पूंजी के भाग के बारे में 28 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4540 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में जो जानकारी देने का वचन दिया गया था यह एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। केवल 8 कम्पनियों द्वारा प्रत्यावर्तित धनराशियों सम्बन्धी सूचना को छोड़ कर। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) औषध तथा औषध निर्माण उद्योग में इक्वटी में कुल चुकता पूंजी लगभग 113 करोड़ रुपये है, जिसमें विदेशी अंश लगभग 34 करोड़ रुपये है। 60 फर्मों की विदेशी साम्य पूंजी में प्रेषणों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6049/73]

रेलवे द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए आयात किये गये सामान का मूल्य

5263. **श्री विक्रम महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे द्वारा कितनी मदों का वार्षिक आयात किया जा रहा है तथा उनका क्या मूल्य है;

(ख) इस बारे में भारतीय उद्योगों की सहायता करने अथवा सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण हो सके, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक भारतीय उद्योगों द्वारा रेलवे की कुल मांग स्वदेशी रूप से पूरी किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कुल कच्चे सामान और फालतू पुर्जों की अनुरक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अलावा इस समय उत्पादन कारखानों के लिये लगभग 80 प्रमुख कोटियों की मदों का आयात किया जा रहा है। आयात की गई मदों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि आयात की जाने वाली मदों की संख्या हर वर्ष हर रेलवे पर भिन्न भिन्न रहती है। प्रत्येक कोटि के अन्तर्गत आकार के अनुसार भी मदों में भिन्नता हो सकती है। केवल उन्हीं मदों का आयात किया जाता है जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं होती और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जिनके आयात की अनुमति दी जाती है।

1972-73 में लगभग 50 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान आयात किया गया।

(ख) आयात की जाने वाली मदों को स्वदेश में तैयार करने के लिये नये उद्योगपतियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर तैयार किया गया सारा सामान लेने की गारंटी, मूल्य अभिमानतः, परिसमापित क्षति की पूर्ति, सुपुर्दगी की तारीखों को उदारतापूर्वक बढ़ाना और सरकारी कार्रवाई के कारण मूल्य में वृद्धि जैसे प्रोत्साहन दिये जाते हैं। आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से रेलवे क्षेत्र में पहियों और धुरों, डीजल और बिजली रेल इंजनों के लिये कर्षण मोटरों और गिअरों तथा बिजली गाड़ी के डिब्बों के निर्माण के लिये कारखाने स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) आत्म-निर्भरता प्राप्त करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। अधिक से अधिक मदों को स्वदेश में विकसित करने के लिये दृढ़ता पूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं।

सिम्रोल बांध के कार्य में प्रगति

5264. **श्री विक्रम महाजन : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1973 तक सिम्रोल बांध के कार्य में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) इस बांध के सम्बन्ध में कब तक सभी दिशाओं में कार्य पूरा होने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बैरा सिउल जल विद्युत परियोजना के कार्यों को बहुत मद्दों पर हुई प्रगति तथा उन्हें पूर्ण करने की लक्ष्य तिथियां नीचे दी जाती हैं:—

(1) **बिजली घर :** नीवों की खुदाई कार्य पूर्ण हो गया है और कंक्रीटिंग कार्य हाथ में है। सिविल कार्यों को अक्तूबर, 1974 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(2) **सुरंगे :** कुल 14920 मीटर लम्बी सुरंगों में से 7700 मीटर पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। ऐडिट से सर्ज शाफ्ट तक सुरंग पूर्ण हो गई है और सर्ज शाफ्ट पर कार्य हाथ में है। सुरंग को सिउल बीयर से बिजली घर तक जून, 1976 तक तथा बैरा बांध से सिउल बीयर तक जून, 1977 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(3) **पेन्सटाक्स :** अभिमुख कार्य का 60% पूर्ण हो गया है और शेष कार्य के मार्च, 1974 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम बनाया गया है। पेस्टाकों के निर्माण तथा पिलाई (ग्राउंडिंग) कार्यों के दिसम्बर 1975 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(4) **सिउल वीयर, बलेड़ वीयर तथा बैरा बांध :** सिउल तथा बलेड़ बीयरों के लिये निविदाये मांगी गई हैं और कार्यों के मार्च, 1976 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है। बैरा बांध के अक्तूबर, 1977 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(5) **जनित्रों का प्रतिष्ठापन तथा पारेषण लाइन का निर्माण :** पहले जनित्र यूनिट को दिसम्बर, 1976 तक और शेष दो यूनिटों को दिसम्बर, 1977 तक प्रतिष्ठापन करने का कार्यक्रम बनाया गया है। पारेषण लाइनों के अक्तूबर, 1975 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

रेलवे में सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरम्भ करने के बारे में वायरलेस आपरेटरों को आश्वासन

5265. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने वायरलेस आपरेटरों को आश्वासन दिया है कि रेलवे में सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरम्भ करने से उनके हितों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरम्भ करने के निर्णय से वायरलेस आपरेटर किस सीमा तक प्रभावित होंगे; और

(ग) उन्हें और क्या आश्वासन दिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलों पर माइक्रोवेव प्रणाली धीरे धीरे लागू की जा रही है, अतः भारी संख्या में वायरलेस आपरेटरों के फालतू हो जाने की कोई सम्भावना नहीं है। जो आपरेटर फालतू हो जायेंगे, उन्हें वैकल्पिक पदों में समाहित कर दिया जायेगा और उन्हें टैलीप्रिंटर संवर्ग में समाहित करने के लिये एक योजना तैयार की जा रही है जिस में उन्हें उन्नति करने के वैसे ही अवसर उपलब्ध होंगे।

Under-utilization of installed capacity of petro-chemical units

5266. **Shri M.C. Daga : Will the Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the installed petro-chemical industrial capacity remains under-utilised because heavy imports are made from foreign countries;

(b) if so, the names of the units who have to limit their production; and

(c) Whether Government have formulated scheme to persuit import of petro-chemicals from abroad only when indigenous products are not available?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The import policy for petro-chemicals as like all other commodities is formulated by the Government after taking into consideration all relevant factors including indigenous production and demand.

Payments made as compensation during 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72

5267. **Shri M.C. Daga : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the amount of money paid by the Railways by way of compensation to claimants during 1968-69, 1969-70 1970-71 and 1971-72, yearwise, and the reasons for the increase; and

(b) whether the Railway administration spends Rs. 12.64 crores on R.P.F. every year and, if so, to what extent that Force has succeded in checking the losses?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The amount of compensation paid by the Railways on account of goods lost, damaged, etc., during the years 1968-69, 1969-70 1970-71 and 1971-72 is given below :—

Years	Amount of compensation paid
1968-69	. Rs. 10.18 crores.
1969-70	. Rs. 11.24 crores.
1970-71	. Rs. 12.23 crores.
1971-72	. Rs. 12.68 crores.

The increase in the amount of compensation paid is mainly due to rise in prices and deterioration in law and order situation in some parts of the country during 1969-70 and 1970-71.

(b) Continuous efforts are being made by the Railway Protection Force to keep the incidence of the thefts and pilferages to the minimum. The index for judging the effectiveness of the Railway Protection Force is the number of claims received by the Railways. The number of claims received in 1972-73 was less by about 40,000 as compared to 1971-72. In the current year also, incidence of new claims is showing a further downward trend.

Cases of Misdespatch or Unconnected Wagons

5268. **Shri M. C. Daga : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of wagons getting unconnected or misdespatched and the number of Railway employees punished or against whom action was taken therefor during the years 1970, 1971 and 1972 respectively; and

(b) whether the Railway administration have taken certain stringent measures to bring down the number of such incidents in future and if so, the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) According to the reports received by Zonal Railways, the number of wagons getting unconnected or misdespatched during the years 1970, 1971 and 1972 was 14,060, 12,450 and 11,131 respectively. However, most of these wagons were ultimately connected and sent to their proper destinations.

The number of railway employees punished on six Zonal Railways during the years 1970, 1971 and 1972 was 14,37 and 42 respectively. Separate statistics of staff punished on this account are not maintained on three Zonal Railways.

(b) Yes. The following steps have been taken to prevent wagons from getting unconnected or misdespatched :—

(i) Instructions have been reiterated that wagon labels should be written out neatly in the blue pencil and the names of the forwarding and destination stations should be written in full in capital letters.

(ii) Railways have been instructed that if the number of wagons booked to the same station exceeds 20, names of the forwarding and destination stations should be printed on labels.

(iii) Railways have been asked to ensure provision of paste-on-labels on inside panels of wagon doors of covered wagons and attach tie-on-label on the handle of wagon door on either side of open wagons.

(iv) Railways have been asked to paste an additional label on the sole-bars of open wagons loaded with coal and steel.

(v) Instructions have been reiterated that labels should be tied to wagons wth tape and not with sutli.

(vi) A new design of wagon label holder for open wagons is being evolved to prevent removal of the label from outside the wagon.

(vii) Railways have been instructed to conduct frequent inspections to ensure compliance of instructions regarding marking and labelling.

Closing down of Petrol Pumps due to Increase in Price of Petrol

5269. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether it is a fact that after the increase in the prices of petrol, 30 per cent petrol pumps have been closed down throughout the country so far?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : No such report has been received in the Ministry.

Financial Assistance to Rajasthan for Electrification of Villages.

5270. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether in pursuance of an agreement entered into between India and U.S.A., during July, 1969, U.S.A. is giving a grant of Rs. 105 crores to India in instalments for the rural electrification programme;

(b) whether the final instalment of Rs. 15.17 crores was paid to India recently;

(c) the amount out of it proposed to be given for the electrification of Rajasthan villages; and

(d) the broad features regarding utilisation of the grant?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) & (d) The loans given by the Rural Electrification Corporation to the State Electricity Boards are financed from funds comprising the grant as well as funds given by the Government of India. It is, therefore, not possible to indicate the assistance proposed to be given for the rural electrification in Rajasthan solely from the grant portion, received from the U.S.A. However, the Corporation has so far sanctioned 39 rural electrification schemes of the Rajasthan State Electricity Board involving a loan assistance of Rs. 19.79 crores, for electrification of 2,203 villages and energisation of 45,941 pumpsets. These schemes are phased for completion in a period of 3-5 years.

नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन का निर्माण

5271. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में सर्वेक्षण की गई नई रेलवे लाइनों को स्वीकृति और निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन के मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) नई रेलवे लाईन पर कब तक निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, कुछ मामलों में।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा भाखड़ा बांध के निष्कासितों को आश्वासन

5272. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव द्वारा भाखड़ा बांध के निश्कासितों को भाखड़ा में एक सार्वजनिक सभा में यथा 21 अक्तूबर, 1973 को जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के विधायकों से हुई बैठक में दिये गये आश्वासनों पर सरकार ने अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये आश्वासनों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त आश्वासनों को शीघ्र क्रियान्वित करने और विभिन्न योजनाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार से समन्वित करने के लिये कोई सरकारी तन्त्र की स्थापना की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) इसके सिवाय कि डा० राव ने यह कहा था कि भाखड़ा के विस्थापितों की समस्याओं के आयाम का मूल्यांकन करने के लिये हिमाचल प्रदेश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिये, उल्लिखित बैठकों में डा० के० एल० राव द्वारा दिये गये किसी भी आश्वासन का कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि डा० राव ने कुछ आश्वासन दिये थे जिनमें से अधिकांश भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड से संबंधित हैं। मामले की जांच की जा रही है। भाखड़ा बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये, हिसार जिले में कृष्य भूमि अर्जित की गई थी। जो लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते थे, उन्हें उनकी भूमि और सम्पत्ति का पूरा मुआविजा दे दिया गया था तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें जलाशय क्षेत्र से बाहर पुनः बसाया जाना था। एक विशेष मामले के रूप में, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने भाखड़ा तथा उसके पड़ौसी गांवों में पेयजल सप्लाई तथा बिजली की

व्यवस्था कर दी है। भाखड़ा बांध के निकट बोर्ड की डिस्पेंसरी तथा नंगल स्थित 'नहर हस्पताल' में इन लोगों को चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

हिमाचल प्रदेश में व्यास-सतलुज लिंक परियोजना के कर्मचारियों के लिए रोजगार

5273. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में व्यास-सतलुज लिंक परियोजना के पूरा हो जाने पर फालतू हो जाने वाले बहुत से कारीगर तथा गैर-कारीगर कर्मचारियों को रोजगार सुनिश्चित करने के लियें कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर रही है;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) इसके पूरा हो जाने पर कितने कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास परियोजना से फालतू होने वाले कुशल कर्मकों के लिये क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं पर वैकल्पिक रोजगार ढूंढने की संभाव्यता की जांच की जा रही है।

(ख) वर्तमान अनुसूची के अनुसार व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के बिजली घरों को छोड़कर 1975-76 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) लगभग 31,000

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति और नियुक्तियों के बारे में देखभाल करने वाले सेल का गठन और कार्यकरण

5274. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति और नियुक्तियों के बारे में देखभाल करने वाले सेल की स्थापना कब हुई; और

(ख) वर्ष 1972 और 1973 के दौरान इस सेल को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुये और निपटाये गये मामलों की संख्या क्या हैं ?

रेलमंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विशेष कक्ष की स्थापना 23-10-1973 को हुई थी।

(ख) 23-10-1973 से 152 अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं और संबंधित रेल प्रशासनों के परामर्श से इन पर विचार किया जा रहा है।

नंगल भाखड़ा और तलवाड़ा-मुकेरियां रेलवे लाइनों का अधिग्रहण

5275. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (1) नंगल भाखड़ा रेलवे लाइन और (2) तलवाड़ा-मुकेरियां रेलवे लाइन, जोकि इस समय परियोजना अधिकारियों के अधीन हैं, के अधिग्रहण के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है और कब तक इनका अधिग्रहण किये जाने की संभावना है?

रेलमंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) (I) नांगलबांध से भाखड़ा परियोजना (भाखड़ा) अधिकरण द्वारा निर्मित तक की प्राइवेट साइडिंग को अधिकार में लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है और उस पर अन्तिम विनिश्चय अभी किया जाना है।

(II) मुकेरियां–तलवाड़ा बड़ी लाइन साईडिंग ब्यास बांध अधिकरण द्वारा निर्मित को अधिकार में लेने करने के प्रश्न की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा जुलाई, 1971 में की गई थी जिससे यह मालूम हुआ कि उक्त प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से औचित्य पूर्ण नहीं था। हाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें बताया गया था कि राज्य सरकार संसार पुर में एक औद्योगिक समूह स्थापित करने और इस स्थान पर पर्यटन के लिये विकास करने पर विचार कर रही है जिसके लिये बताया गया है कि पर्यटन विकास निगम योजना बना रहा है इसलिये, उत्तर रेल प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये नये तथ्यों को ध्यान में रखते हुये नया मूल्यांकन करे। रेलवे से नये मूल्यांकन रिपोर्ट के मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

नर्मदा जल विवाद पर प्रधान मंत्री का निर्णय

5276. **श्री पी० जी० मावलंकर** :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से नई दिल्ली में मिले थे ताकि उन्हें अपने दृष्टिकोण से अवगत करा सकें और नर्मदा जल विवाद के बारे में अपने मतभेद हल कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठकों का स्वरूप तथा परिणाम क्या है; और

(ग) उक्त विवाद पर प्रधान मंत्री का निर्णय कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शीघ्र ही।

अहमदाबाद से कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए ज्ञापन

*5277 **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के उन लोगों की ओर से, जो कि अहमदाबाद और गुजरात के पड़ोसी ब्यानों पर काम कर रहे हैं, अहमदाबाद से कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने हेतु कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद और वाराणसी के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना न तो यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में परिचालन की दृष्टी से व्यावहारिक है।

विदेशों की तुलना में भारत में पैट्रोल के मूल्य

5278. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रोल की कीमत विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, पश्चिम योरोपीय देश, कनाडा और जापान में पट्रोल के वर्तमान मूल्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) भारत में पैट्रोल की कीमत के निरन्तर बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलिमय और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) हाल ही में कच्चे तेल के मूल्यों में बहुत शीघ्र कई वृद्धियां हुई हैं और ऊंचे मूल्यों पर भी उसकी उपलब्धि सम्बन्धी समस्याओं से विभिन्न देशों में पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बार बार परिवर्तन हुये। ऐसी अस्थिर स्थिति में इस प्रकार की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) इसका मूल कारण आयातित कच्चे तेल के सतत बढ़ने वाले मूल्य हैं। हाल ही में पैट्रोल के मूल्य इसकी खपत को घटाने के लिये उत्पादन शुल्कों की बढ़ाई गई दरों के कारण भी बड़ी तेज गति से बढ़े हैं।

निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव

5279. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नर्वाचन आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्वाचन आयोग ने, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, अब तक संसद और राज्य विधान मंडलों के 4 साधारण निर्वाचनों और बहुत से राज्यों के विधान मंडलों के बहुत से मध्यावधि निर्वाचनों के अतिरिक्त लोक सभा का एक मध्यावधि निर्वाचन सफलतापूर्वक और उचित तथा निष्पक्ष रीति से कराया है। यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि आयोग में, संविधान के अधीन इसमें निहित कर्तव्यों के पालन के लिये, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाये।

रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों के विशेष कार्य और उनकी अर्हतायें

5280. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या है तथा उनकी अर्हतायें, सेवाविधि, वेतन तथा भत्ते क्या हैं।

(ख) उक्त बोर्ड के अधीन कितने डिवीजन हैं तथा उनके नाम क्या हैं और इससे सम्बद्ध विभिन्न निदेशकों, संयुक्त निदेशकों आदि के बारे में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) रेलवे बोर्ड के उक्त उच्च अधिकारियों द्वारा क्या विशेष कार्य किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6050/73**]।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में बंसटाला हाल्ट स्टेशन को एक रेगुलर स्टेशन बनाने और इसका नाम बदलकर बुढ़ाना रखने के बारे में जन-याचिका

5281. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर झाड़ग्राम सेक्शन में बंसटाला हाल्ट स्टेशन को एक रेगुलर स्टेशन बनाने और इसका नाम बदल कर बुढ़ाना रखने के बारे में जनता से कोई याचिका प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) बसंटाला हाल्ट का दर्जा बढ़ाकर उसे झंडी स्टेशन बनाने का विनिश्चय किया गया है।

रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। राज्य सरकार को इसके लिये गृह मंत्रालय की स्वीकृति लेनी होती है। इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस तरह की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण योजना

5282. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिये केन्द्र को किसी योजना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिये दीर्घकालीन योजना पर संभवतया लगभग 570 करोड़ रुपये लागत आयेगी। यह दीर्घकालीन योजना अभी केन्द्र को प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य की पांचवीं योजना के प्रस्तावों के प्रारूप में 72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बाढ़ नियंत्रण सैक्टर के अन्तर्गत 82 नई स्कीमें शामिल करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान इन स्कीमों के लिये लगभग 26 करोड़ रुपयों के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था।

राज्य में योजना स्कीमों के लिये उपलब्ध होने वाले सभी संसाधनों को ध्यान में रखकर, विभिन्न क्षेत्रों के लिये आवंटन निश्चित करने के उपरान्त पांचवीं योजना में शामिल करने के लिये बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को अंतिम रूप दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल के ग्रामों का विद्युतीकरण

5283. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में झाड़ग्राम के ऐसे कौन कौन से ग्राम हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान बिजली लगाई गई है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में झरग्राम थाने में निम्नलिखित 27 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है :—

1. सालबोनी
2. परोतपुर
3. राजावासा
4. गजासीमुल
5. बनकटी
6. नोरियाडाम
7. कनुडी
8. बमुनमारा
9. गोलबन्दी
10. डुबराजपुर
11. राजपाड़ा
12. पुखोरड़िया
13. कुंडन्लडोही
14. टेमगा
15. लाबकुम
16. खसजुगाये
17. सीनिक
18. केमा
19. कामरबोंडी
20. चंडीपुर
21. गढ़ीनखना
22. गारो
23. तुलुहीम
24. लौढासाली
25. धतमल
26. दालकटी
27. मुर्गोडीह

रेलवे में प्रयोग के लिए 'बंगाल लैम्प' को बल्ब सप्लाई का आर्डर

5284. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल लैम्प को रेलवे के लिये बल्ब बनाने का आर्डर दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने बल्बों का आर्डर दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग चवालीस लाख का।

पश्चिम बंगाल में कांगसाबती परियोजना को कार्यान्वित करना

5285. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कागसाबती परियोजना को आरम्भ करने तथा उसको कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या उक्त विलम्ब से राजकोष को कोई हानि हुई है और यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और सम्पूर्ण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कांगसाबती परियोजना, जिसके पांचवीं योजना के आरम्भ में पूर्ण होने की संभावना थी, अब 1978–79 तक पूर्ण होनी अनुसूचित है ।

(ख) परियोजना के निर्माण की आबर्धित अवधि से अन्तिम लाभों की प्राप्ति में देरी के अतिरिक्त मजदूरी और निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने के कारण, परियोजना की लागत बढ़ जाती है। परन्तु यह कहना कठिन है कि वृद्धि कितनी होगी ।

(ग) यह देरी अधिकतर राज्य योजना में अपर्याप्त राशियों के प्रावधान, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और कुछ निर्माण सामग्री के अभाव के कारण हुई है। पांचवीं योजना में 4.8 करोड़ रुपये का शेष कार्य करने की संभावना है जिसके लिए पश्चिम बंगाल के पांचवीं योजना के प्रस्तावों में पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना पूर्ण हो जाए, पश्चिम बंगाल की सरकार सभी आवश्यक पग उठा रही है।

दून एक्सप्रेस के यात्रियों को अक्तूबर, 1973 में लुटने का समचार

5286. **श्री विशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो नकाबपोश व्यक्तियों ने अक्टूबर, 1973 में लखनऊ के निकट दून एक्सप्रेस गाड़ी के यात्रियों को लूटा; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले में कोई जांच की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, 10-10-73 को तीन सशस्त्र अपराधियों ने लखनऊ के पास आलमनगर और काकोरी के बीच दून एक्सप्रेस के पहले दर्जे के डिब्बे में पिस्तौल दिखाकर तीन यात्रियों से लगभग 3,200 रुपये का सामान लूट लिया था ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, लखनऊ ने 11-10-1973 को भारतीय दंड संहिता की धारा 392/397 के अन्तर्गत मामला नं० 674 दर्ज कर लिया है । उन्होंने तीन अपराधियों को पकड़ लिया है और उनसे 100 रु० का एक करेंसी नोट, सोने की एक जंजीर, कानों का एक बुन्दा, सोने की दो चूड़ियां, दो कलाई घड़ियां और 8 गोलियों सहित एक देशी रिवाल्वर बरामद कर लिया है। बरामद की गयी चोरी की सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 2500 रुपये है। पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल जारी है ।

मद्रास (दक्षिण रेलवे) के लोको कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

5287. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे मद्रास के लोको कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं और भ्रष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है; और

(ख) लोको कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध लगाई गई शिकायतों का सारांश क्या है और संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दक्षिण रेल प्रशासन की दो अमान्यता प्राप्त यूनियनों अर्थात् दक्षिण रेलवे कार्मिक संघ और साउथ रेल इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पैरम्बूर के रेल लोको कारखाने में अनियमित तरीके अपनाने और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने के अस्पष्ट आरोप लगाये गये हैं। लेकिन ऐसी शिकायतों में कोई विशिष्ट सूचना न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि प्रत्यक्षत: ये शिकायतें अंतःयूनियन प्रतिद्वन्दिता से प्रेरित थीं। खिन्न कर्मचारियों से रेल प्रशासन को कुछ व्यक्तिगत अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें वरिष्ठता, पदोन्नति, अनौचित्यपूर्ण, अनुशासनिक कार्रवाइयों आदि के मामलों में पक्षपात करने के अस्पष्ट आरोप लगाये गये हैं जिनका निपटारा उनके गुण-दोष के आधार पर तथा वर्तमान नियमों के अनुसार किया गया है।

Proposal to bring uniformity in the charges for meals served in Railway Restaurants on various Railway Zones

5288. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are no uniform charges for the meals served in various Railway restaurants in different Railway zones;

(b) if so, the charges for vegetarian and non-vegetarian meals served in the Railway restaurants in each Railway zone;

(c) the reasons for the difference in charges and the propriety thereof;

(d) whether Government propose to introduce uniform charges in Railway restaurants on all the Railways and if not, the reasons therefor;

(e) whether charges for the meals have recently been increased; and

(f) if so, the comparative figures thereof during 1972 and 1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The rates for meals, both Indian style and Western style have been standardised on an all India basis and are uniform except for metropolitan cities, namely, Calcutta, Madras, Bombay and Delhi, which have been left to the individual Railways to fix. The prices for meals are as under :

	Indian style meals.		Western style meals
	Thali meals	Ready to serve meals	
	Rs.	Rs.	Rs.
Vegetarian	2.00	2.50	5.50
Non-vegetarian	2.50	2.50	6.50

Note : (i) A service charge of 50 Paise is charged when served in a Dining Car or in a train compartment.

(ii) Sales tax is recovered in addition.

(c) The difference in charges for Thali meals, Ready to Serve meals and Western style meals is on account of different menu served with the respective meals.

(d) Does not arise in the view of the reply given to parts (a) and (b) above.

(e) Yes, from 1-12-1973.

(f) The comparative rates for meals in Refreshment rooms at railway stations prior to 1-12-1973 and with effect from 1-12-1973 are as under :—

	Thali Meals		Ready to serve meals		Western style meal	
	Vegetarian	Non-vegetarian	Vegetarian	Non-vegetarian	Vegetarian	Non-vegetarian
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Prior to 1-12-1973	1.50	2.10	2.00	2.00	4.50	5.50
With effect from 1-12-73 . . .	2.00	2.50	2.50	2.50	5.50	6.50

अक्तूबर, 1973 के पहले सप्ताह में रेलगाड़ी सेवा में कमी

5289. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अक्तूबर, 1973 के पहले सप्ताह में काफी संख्या में रेल गाड़ियों की सेवाओं में कमी की गई ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Reported theft of coal from the Loco Shed at Patna during November, 1973

5290. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any theft of coal from the Loco Shed at Patna was commited during the month of November, 1973;

(b) whether some Railway employees were involved in the theft; and

(c) if so, the action taken by Government against the officials concerned and measures adopted to check recurrence of such thefts in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No theft of coal was reported from the Loco Shed at Patna during the month of November, 1973.

(b) and (c) Does not arise.

धनबाद में नियंत्रित वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के लिए अभ्यावेदन

5291. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को नियंत्रित वस्तुओं की नियमित तथा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने तथा मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से राहत देने के बारे में श्री बिनोद मुकर्जी, विधान सभा सदस्य, धनबाद द्वारा उन्हें तथा अन्य व्यक्तियों को सम्बोधित 27 दिसम्बर, 1973 का तार प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों का संक्षिप्त व्यौरा क्या है और सरकार ने उनको दूर करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ऐसा कोई तार नहीं मिला है ।

रेल कर्मचारियों सहित आम जनता को खाद्यानों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग के रूप में देश में उचित मूल्य की दुकाने खोली जाती हैं।

इस मामले में पूर्व रेलवे प्रशासन ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा हैं।

पूर्व रेलवे में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति

5292. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय रेलवे में 205–280 रुपये के वेतनमान में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति कर दी गई है ;

(ख) पूर्व रेलवे में, डिवीजन वार रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों द्वारा भरे गए पदों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पदों को भरने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं जिससे वरिष्ठ व्यक्तियों को आर्थिक हानि हुई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

धनबाद में रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

5293. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में 15 सितम्बर, 1973 को हजारों रेलवे कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों ने पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर के समक्ष प्रदर्शन किया और उन्हें एक ज्ञापन दिया ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थी ; और

(ग) उनकी प्रत्येक शिकायत के संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

धनबाद की पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति का बन्द किया जाना

5294. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को धनबाद की पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के 28 अक्टूबर, 1973 को बन्द किए जाने के बारे में तारें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का सारांश क्या है और इस सहकारी समिति के कार्य में बार बार बाधा डालने वाले तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ईस्टर्न रेलवे एम्पलाइज़ कंज्यूमर्स को-आपरेटिव सोसाइटी की ओर से 30-10-73 को उप-आयुक्त, धनबाद को भेजा गया अभ्यावेदन पूर्व रेलवे प्रशासन को मिला है, जिसमें कुछ गुण्डों द्वारा हमला किये जाने के विरोध में रेलवे सहकारी उचित मूल्य की दुकान, धनबाद के सैलसमैनों द्वारा काम बन्द कर देने के बारे में 28-10-73 को दिये गये तार का मजमून दर्ज था । 29 अक्टूबर, 1973 दुकान की साप्ताहिक छुट्टी का दिन था। 30-10-73 से दुकान सदा की भांति फिर खुल गई । और रेलवे को आगे और गड़बड़ होने की रिपोर्ट नहीं मिली ।

कर्मचारियों ने धनबाद पुलिस स्टेशन के आफिसर इनचार्ज के पास इस घटना के बारे में एक लिखित शिकायत दर्ज करायी थी । गुण्डा तत्वों द्वारा गड़बड़ी करने के विरुद्ध कार्यवाई करने का काम सिविल प्राधिकारियों का है ।

मुरादाबाद जिले में गंगा नदी पर बांध का निर्माण

5295. **श्री भोला मांझी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री मुरादाबाद जिले में गंगा नदी पर बांध निर्माण के बारे में 28, अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4536 के उत्तर के संबंध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Scale of Pay and promotion of X-Ray Technicians or Radiographers of Northern Railway

5296. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of X-Ray Technicians or Radiographers on the Northern Railway working in lower scale for the last three years;

(b) whether the Railway Board had issued a letter listing the names for promotion of the X-ray Technicians having ten years service at their credit;

(c) the number of X-ray Technicians out of them promoted so far; and

(d) the number and names of those who are yet to be given promotion?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) One.

(b) A letter was issued by the Railway Board according to which Radiographers (X-Ray Technicians) who have completed 10 years service in scale Rs. 110-200 should be considered for selection to post of Radiographers in scale Rs. 150–300. No list containing names was issued.

(c) & (d) There is only one X-Ray Technician in scale Rs. 110–200 (Shri B.M. Goswami in Ferozepur Division). He will be considered in the selection on availability of vacancies of X-Ray Technicians in scale Rs. 150–300 in the Division.

गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री

5297. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व मोदीनगर में 110-180 रुपये के वेतनमान (ए० एस०) में कार्य कर रहे कुछ बुकिंग क्लर्कों के टिकटों के दुबारा बेचने के अपराध में रेल प्रशासन द्वारा दण्ड दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को उसी स्टेशन पर कार्य करते रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मोदीनगर में एक बुकिंग क्लर्क इस्तेमाल हुए टिकटों को बेचते हुए पकड़ा गया था जिसे दिल्ली के मंडल अधीक्षक द्वारा 1965 में निलम्बित कर दिया गया था बाद में उसे एक वर्ष के लिए स्थायी रूप में वेतन वृद्धि रोक देने की सजा दी गयी थी ।

(ख) वरिष्ठ कर्मचारी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ । दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और सम्बन्धित क्लर्क का स्थानान्तरण किया जा रहा है ।

गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी

5298. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों की सहायता और सांठगांठ द्वारा गाजियाबाद के सिगनल वर्कशाप से स्टील का सामान और यार्ड से कोयले की चोरी बिना रोक टोक हो रही है ;

(ख) क्या अक्तूबर, 1973 में लगभग 5000 रुपये के मूल्य की चुराई गई लोहे की चादरें पकड़ी गई ; और

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ करने के लिये रेलवे सुरक्षा दल के व्यक्तियों और उनके अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जी हां । 7–10–73 को गाज़ियाबाद (उत्तर रेलवे) में रेलवे सुरक्षा दल ने एक बैलगाड़ी पकड़ी जिसमें लगभग 2,500 रुपये के मूल्य की नरम इस्पात की चद्दरें लदी हुई थीं जो तथाकथित सिगनल कारखाना, गाज़ियाबाद से चुरायी गयी थीं ।

इस मामले में रेलवे सुरक्षा दल के दो रक्षक और एक बाहरी व्यक्ति रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और यह मामला रेलवे सुरक्षा दल चौकी गाज़ियाबाद में दर्ज कर दिया गया । तब से दोनों रक्षक निलम्बित कर दिये गये हैं और जांच का काम जारी है ।

रेलवे सुरक्षा दल को सुप्रवाही बनाने के लिए 1-11-73 से उसके पुनर्गठन की योजना कार्यान्वित की जा चुकी है और इसमें सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण को मज़बूत बनाने की व्यवस्था है ।

Supply of electricity to villages equal to urban areas

5299. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a greater part of the power generated in the country is consumee in urban areas and villages are neglected;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to ensure that villages also get the electricity equal to that provided to urban areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) With the concentration of industries in the urban areas, the consumption of power is more in urban areas than in rural areas. With extensive and intensive rural electrification and energisation of tube-wells, the electricity consumption is increasing from year to year in the rural areas.

In order to make the facilities of power supply available to a larger rural population Government has been encouraging rural electrification. There were only 3,061 electrified villages in 1951 but by the end of March 1973, 1,39,185 villages were receiving benefits of power supply. Similarly the number of pumpsets receiving power supply in 1951 was only 21,000 whereas by the end of March 1973, this number increased to 21,80,681. The Rural Electrification Corporation was set up by Government to expedite rural electrification and the Fifth Plan aims to further accelerate this programme.

Cases of adulteration in Petrol

5300. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether petrol mixed with kerosene oil and kerosene oil mixed with mobil oil are being sold; and

(b) if so, the number of such cases brought to the notice of Government during the last six months and the action taken against the persons involved as also the steps being taken by Government to check it?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a)& (b) Prior to the increase in prices, only isolated cases of adulteration of Kerosene oil (SKO) with Motor Spirit (MS) or Mobil Oil with Kerosene were reported. With the steep increase in price of Motor Gasolene, there have been some general letters apprehending increase in adulteration but no specific complaints of mixing SKO with MS or Mobil Oil with SKO have been received. One case of MS adulteration with solvent oils was brought to the notice of the Delhi Administration and is being investigated by the police. One report of water in MS is also being examined by IIP.

With the near equalisation of the price of kerosene oil with that of High Speed Diesel Oil (HSD), it is expected that there will not be any adulteration of Kerosene with HSD under this arrangement. However, in respect of Motor Spirit (MS), the price of which is considerably higher than that of Kerosene oil, detailed instructions have been issued to the oil companies to take all possible measures to prevent adulteration of the product with Kerosene Oil. These measures include random surprise checks of the stock lying with the dealers, deterrent action against such of those dealers who are found to be indulging in malpractices, introducing a system of sealing Motor Spirit tanks after delivery at all retail outlets and also providing wide publicity with regard to the manner in which any case of adulteration could be easily detected. This Ministry has been keeping a close watch over the working of this arrangement to ensure that the incidence of adulteration is eliminated.

The State Governments have adequate powers vested in them under the Essential Commodities Act to deal with offences relating to the misuse of Kerosene oil.

भारत में अपने तेल शोधक कारखानों के लिए एस्सो, कालटैक्स को कच्चे तेल की सप्लाई करने के साधन

5301. **श्री समर गुहा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस्सो और कालटैक्स द्वारा भारत में अपने तेल शोधक कारखानों को सप्लाई करने हेतु प्राप्त कच्चे तेल के साधन कौन-कौन से हैं ;

(ख) क्या इन भारतीय तेल शोधक कारखानों को कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी कटौती की गयी और उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की गई है कि ये कम्पनियां भारतीय तेल शोधक कारखानों के लिये कच्चे माल की सप्लाई में कटौती न करें ; और

(ङ) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) एस्सो कच्चा तेल साऊदी अरब से प्राप्त करता है और कालटैक्स ईरान से।

(ख) से (ङ) केवल साऊदी अरब ही ऐसा देश है जिसने तेल सप्लाई में कटौतियां लगाई है। यह कटौती अब बहाल कर दी गई है और साऊदी अरब सरकार से इस बारे में सरकारी पुष्टी प्राप्त हो गई है तथापि साऊदी अरब की सरकार ने एक फार्मूला बनाया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न मित्र देशों को कच्चे तेल की सप्लाई का कोटा उत्पादन में की गई समस्त कटौती को ध्यान में रखकर नियत किया जाता है।

नवम्बर, 1973 में एस्सो को की जाने वाले कच्चे तेल की सप्लाई में लगभग 83,000 मीटरी टन की कमी हुई थी। जिसका मुख्य कारण साऊदी अरब की सरकार द्वारा बनाया गया उपरोक्त फार्मूला था। कालटैक्स को कच्चे तेल की सप्लाई में थोड़ी सी कमी हुई थी दोनों एस्सो तथा कालटैक्स ले के द्वारा कच्चे तेल की अपनी आगामी सप्लाई बढ़ाये जाने की सम्भावना है जो उनकी सामान्य मासिक थ्रुपुट की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

पश्चिम बंगाल के कंटाई तटवर्ती क्षेत्र में नमक का उत्पादन

5302. **श्री समर गुहा**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में हल्दिया स्थित प्रस्तावित सोडा एश प्लांट तथा अन्य मूल रसायन पदार्थों के कारखानों को नमक की भावी आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार पश्चिम बंगाल के कंटाई तटवर्ती क्षेत्र में नमक के उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये कार्यवाही करेगी ;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के कटाई क्षेत्र में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से प्रयास किये हैं अथवा करेंगी ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कंटाई क्षेत्र में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) नमक औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्धित है। नमक उत्पादन की क्षमता की वृद्धि के लिये सरकार आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से राज्य सरकार को कार्यवाही करनी हैं क्योंकि भूमि राज्य सरकार तथा विभिन्न निजी पार्टियों की है।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान साल्ट लि० को सुझाव दिया कि यदि उसके पास पर्याप्त भूमि हो तो वह एक नमक उत्पादन का कार्य आरम्भ करे, इस प्रस्ताव को हिन्दुस्तान साल्ट लि० ने स्वीकार कर लिया।

रेल द्वारा डिगाह को दक्षिण कन्टाई और कन्टाई सब-डिविजन को खडगपुर से मिलाना

5303. **श्री समर गुह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में डिगाह और दक्षिण कन्टाई स्टेशन को मिलाने के लिये अनेक बार मांग की गई है ;

(ख) क्या पूर्वी भारत में पुरी के अतिरिक्त डिगाह के निकट एकमात्र समुद्री दर्शनीय स्थान रामनगर क्षेत्र बहुत ही समृद्ध व्यापार केन्द्र है जहां से भारत के सभी भागों को पान की सप्लाई होती है और पूर्व भारत के विभिन्न भागों को चावल, खोपरा, मछली, काजू और अन्य वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कन्टाई सब-डिवीजन को रेल द्वारा खड़गपुर से मिलाने का विचार है; और

(घ) रेल द्वारा खड़गपुर से कन्टाई सब-डिवीजन को मिलाने के लिये कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहमम्द शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कंटाई रोड से कटाई तक एक रेलवे लाइन के लिए 1947-48 में किये गये एक टोह सर्वेक्षण से पता चला कि यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी। उसके बाद कंटाई के लिए या दीघा के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि उस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। इसे देखते हुए तथा साथ ही वित्तीय कठिनाई के कारण कंटाई उपमंडल को खड़गपुर से जोड़ने के लिए फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नैमित्तिक मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

5304. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें श्रम मंत्रालय की 25 अप्रैल, 1973 की अधिसूचना की जानकारी है जिसके द्वारा रेल पथ-नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत दैनिक मजूरी की दरों का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जोनल रेलों को रेल पथ-नैमित्तिक मजदूरों की मजूरी दरों में पुनरीक्षण करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ;

(ग) क्या किसी जोनल रेलवे ने तदनुसार मजूरी की दरों का पुनरीक्षण किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) 25 अप्रैल, 1973 को श्रम तथा रोजगार विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना, जिसमें सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्यों, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसने, इमारतों के अनुरक्षण आदि के कामों में लगे हुए कर्मचारियों के वर्गों को देय मजूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया गया था सभी भारतीय रेलों एवं तीन उत्पादन यूनिटों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गयी थी।

5 अप्रैल, 1957 को रेल प्रशासनों को सूचित किया गया था कि रेलों के रेल-पथ के निर्माण या अनुरक्षण के काम पर नियोजन मजूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची 1 में वर्णित "सड़क निर्माण" के काम पर नियोजन नहीं है।

मार्च, 1968 में बम्बई उच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन कुछ रेलपथ कर्मचारियों को एक दावे के हक में निर्णय दिया था। रेल प्रशासन ने बम्बई उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर की है। रेलपथ कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 के लागू होने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में नियमित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को पेंशन तथा भविष्य निधि संबंधी लाभ

5305. **श्री वाई0 ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के निदेश हैं कि दैनिक दर पर नियुक्त मजदूरों तथा अस्थायी पदों पर नियुक्त मजदूरों को भविष्य निधि और पेंशन के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं ;

(ख) क्या उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किये जाने पर उन्हें ये लाभ प्राप्त होते हैं;

(ग) वर्ष 1972 में उपर्युक्त श्रेणी के छंटनी किये गये, सेवा निवृत हुए अथवा डाक्टरी रूप से अयोग्य हुए कितने कर्मचारियों को रेलवेवार भविष्य निधि तथा पेंशन लाभ के रूप में कितनी धन राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) पश्चिम रेलवे में जयपुर डिवीजन में 1972 में ऐसे कितने मामलों में (एक) भविष्य निधि पेंशन लाभ दिये गये और (दो) कितने कर्मचारियों को उक्त लाभ देय न होने के आधार पर देने से इंकार किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिहाड़ी पर काम करने वाले आकस्मिक श्रमिक किसी प्रकार के भविष्य निधि या पेंशनी लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। जिन आकस्मिक श्रमिकों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल जाता है वें अन्य अस्थायी रेल कर्मचारियों की तरह ही ऐसी एक वर्ष की सेवा के बाद भविष्य निधि में अंशदान देने के पात्र हो जाते हैं।

(ख) ऐसे कर्मचारी जब प्रवरण के बाद नियमित पदों पर नियुक्त हो जाते हैं तो उन लाभों को प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं जो नियमों के अधीन नियमित रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं ।

(ग) और (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"अखिल भारतीय नेत्रहीन व्यक्ति सम्मेलन" के प्रतिनिधियों द्वारा पूना स्टेशन पर सत्याग्रह

5306. **श्री मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अखिल भारतीय नेत्रहीन व्यक्ति सम्मेलन" के प्रतिनिधियों ने 4 नवम्बर, 1973 को पूना स्टेशन की रेलवे लाइन पर सत्याग्रह किया था क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने नेत्रहीन प्रतिनिधियों को ले जाने के लिये मनमाड यात्री गाड़ी के साथ किये गये वचन के अनुसार, विशेष डिब्बा लगाने से इंकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सत्याग्रह के समय किसी नेत्रहीन व्यक्ति को चोट आई थी ; और

(ग) रेलवे अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नेत्रहीन जैसे अपंग व्यक्तियों को दिये जाने वाले वचनों को निभाने से इंकार करने से उत्पन्न ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) यद्यपि नेत्रहीनों के अखिल भारतीय सम्मेलन के प्राधिकारियों से गाड़ी में स्थान के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था लेकिन 4-11-73 को 322 मनमाड बम्बई सवारी गाड़ी में एक विशेष आरक्षित डिब्बा लगाने का नियमानुसार कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ था (फिर भी, स्थानीय स्टेशन प्राधिकारी इस बात के लिए राज़ी हो गये कि वे 4-11-73 को 324 पुणे-बम्बई सवारी गाड़ी के एक ही डिब्बे में प्रतिनिधियों को स्थान दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। 4-11-73 को इस गाड़ी में यात्रियों की बहुत अधिक भीड़ होने के कारण इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों को गाड़ी के अलग-अलग डिब्बों में स्थान दिलाया गया जिस पर प्रतिनिधियों ने नाराजगी प्रकट की । फिर भी, प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किये जाने पर इस गाड़ी में एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने की व्यवस्था की गई और उस डिब्बे में सभी प्रतिनिधियों को स्थान मिल गया था ।

बम्बई में आई० बी० पी० सी० के इलैक्ट्रोनिक डिवीजन का खोला जाना

5307. **श्री समर गुह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता की बालमेर लारी एण्ड कम्पनी का अधिग्रहण करने के पश्चात् आई०बी० पी० सी० का इलैक्ट्रोनिक डिवीजन बम्बई में खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो आई० बी० पी० सी० का सहायक इलैक्ट्रीनिक ग्रेटर कलकत्ता क्षेत्र में न खोलने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, पूर्ववर्ती द्वारा बालमेर लारी के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने से पूर्व भी आई० बी० पी० सी० का इलैक्ट्रोनिक डिवीजन विद्यमान रहा है।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखकर इसका प्रश्न नहीं उठता है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा 2 के अन्तर्गत संश्लिष्ट रबड़ के उचित विक्रय मूल्यों संबन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1971) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6038/73]

नाविक भविष्य निधि स्कीम संबंधी प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : मैं नाविक भविष्य निधि स्कीम 1966 के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6039/73]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोडर्न बेकरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मोडर्न बेकरीज़ (इण्डिया) लिमटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6040/73]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन तथा विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्ज टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड,

बम्बई के मामले में एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का दिनांक 30 जून, 1972 का तत्संम्बन्धी आदेश ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा सरकार के तत्सम्बन्धी आदेशों के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6041/73]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के प्रमाणित लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6042/73]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन, मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में संविधान (32वां संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समति में शामिल होने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और राज्य सभा ने अपने निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है:—

(1) श्री जयसुखलाल हाथी
(2) श्री विदेश्वरी प्रसाद सिंह
(3) श्री मुल्का गोविन्द रेडी
(4) श्री ब्रह्मानन्द पण्डा
(5) श्री वी० वी० राजू
(6) श्रीमति अजीजा इमाम
(7) श्री सुलतान सिंह
(8) श्री रोशनलाल
(9) डा० एम० आर० व्यास
(10) श्री ए० पी० जैन

(11) श्री राम निवास मिर्धा
(12) श्री उमा शंकर दीक्षित
(13) श्री भूपेश गुप्त
(14) श्री नीरेन घोष
(15) श्री लोकनाथ मिश्र
(16) श्री सी० डी० पाण्डे
(17) श्री एम० कमलनाथन्
(18) श्री के० चन्द्रशेखरन्
(19) श्री लाल के० आडवानी
(20) श्री पपी रेड्डी

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री डी० बसुमतारी (कोक्राझारा) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरे के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :—

(1) समिति के अध्ययन दल-1 के कलकत्ता, मणिपुर-नागालेंड, गोहाटी और शिलांग जून, 1973 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) समिति के अध्ययन दल-2 के हिमाचल प्रदेश के जून-जुलाई 1973 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

(श्री ज्योतिर्मय बसु)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं नियम 357 के अन्तर्गत निम्नलिखित वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य श्री बी० पी० मौर्य ने मेरे बारे में सभा में कहा है कि :

"He is already on the pay roll of Shri Singma. If it comes to me I can prove that. There is a limit to each and everything."

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि श्री मौर्य का उक्त कथन सरासर झूठा, निराधार और आधार-हीन है । मैं ऐसे निजी व्यक्ति (संगम) को नहीं जानता हूं और उससे लाभ उठाने की तो बात ही नहीं है ।

क्योंकि श्री मौर्य ने इसे सिद्ध करने का दावा किया है, अतः अब मैं मांग करता हूं कि वह सिद्ध करें और यदि यह बात सिद्ध हो गई तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, नहीं तो वह दे दें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभा की प्रक्रिया है और इससे पूर्व ऐसी तीन घटनाएं हो चुकी हैं तब सरदार हुकम सिंह जी पीठासीन थे और उन्होने दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर दिया था । अतः आप भी श्री मौर्य को या तो सिद्ध करने के लिए कहें या यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जिसका निर्णय दोनों पर बाधक हो ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकता-उत्तरपूर्व) : श्री मौर्य यहां उपस्थित हैं । उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये ।

Shri B.P. Maurya (Hapur) : First of all. I may State that I did not use any name the tapes of the proceedings can be heard. Secondly, What I said was a reaction to what he had said earlier.

Even then if I have injured his feelings I withdraw my remarks. I may add that if he wants that Such expressions are not used against him, he should also be civil in his language.

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मौर्य के इस कथन से यही लगता है कि उनके अनुसार अब भी श्री बसु किसी न किसी से पैसा लेते हैं । मुदगल केस में यह प्रथा बन गई थी कि किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाने पर उसे अपने स्थान से वंचित होना पड़ा था परन्तु अब श्री मौर्य अपने आरोप पर भी अड़े हुए हैं और उन्होने अपना कथन वापस भी ले लिया है मैं यह स्थिति सहन नही कर सकता । आप हस्तक्षेप कर के स्थिति स्पष्ट करें । हमारा देश के प्रति भी कोई कर्तव्य है **(व्यवधान)**

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : उनके अपनी बात वापस ले लेने पर बात समाप्त हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आवेश में बहुत सी बातें कही जाती हैं जिनमें कोई सार नहीं होता अब उन्होने अपना कथन वापस ले लिया है और उन्होंने जैसे कहा है कि किसी 'सिंगमा' का नाम लेने के वजाय उन्होने (some one) कहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा इतना ही निवेदन है कि हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं सभा में ऐसे आरोपों के होते हुए ईमानदारी से अपने दायित्व नहीं निभा सकते अतः कुछ प्रतिष्ठा तो रखनी ही होगी यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें विचार करना होगा कि हम यहां कैसे काम करें ।

श्री के० नारायण राव (लोब्बिली): हम मामले से हटते जा रहें है । श्री बसु ने कहा है कि श्री मौर्य ने एक व्यक्ति 'सिंगमा' का नाम लिया था परन्तु श्री मौर्य के अनुसार उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया । पहले यह बात साफ होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं फिर इस की क्या आवश्यकता है ।

श्री के० नारायण राव : उन्होंने सभा की कार्यवाही को गलत उद्धृत किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक ओर आरोप है । यह गंभीर बात है कि मैंने सभा को गुमराह किया है । सभा का कार्यवाही वृत्तान्त मंगवाया जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं जानना चाहता हूं कि यह शब्द आप कैसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किए जाने दे रहे हैं जबकि विपक्षी सदस्यों को ऐसा एक भी शब्द कहने नहीं दिया जाता और आप काफी सतर्कता बर्तते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह विवरण प्रस्तुत करूं कि कितनी बार प्रत्येक पक्ष के सदस्यों द्वारा कहे गये ऐसे शब्द रिकार्ड में गए। अब आप इस मामले को समाप्त करें।

श्री मुकर्जी ने जो सुझाव दिया है वह विचारयोग्य है। मेरे विचार में हम कभी मिल कर बैठें और इस संबंध में क्या व्यवस्थाएं अपनाएं। सत्र की समाप्ति पर हम थोड़े-थोड़े मिलकर बैठें और स्थायी निदेश या नियम बना एं जिनका पालन दोनों पक्ष कठोरता से करें।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

Dr. Laxmi Narayan Pandeya (Mandsaur) : Sir, according to Lok Sabha Bulletin, dated 14th December, it has been stated that I was arrested on 13th December and was produced before a magistrate on the same day. But it not a fact.

Moreover, I was arrested by T.I. Nirpal Singh and he used very derogating language about Lok Sabha.

I therefore want you to allow me to raise this matter in the House.

Mr. Speaker : When he saw me he had stated that the policeman had said that he would be taken to the Lok Sabha. This is not an abuse. He should not be touchy about it.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : One aspect of this case is whether Dr. Pandeya was produced before the Magistrate or not ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे इतना कहना है कि मुझे सूचना मिली है कि वह गिरफ्तार हो गये हैं।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya (Mandsaur) : The Police Officer passed derogatory remarks about Lok Sabha.

Mr. Speaker : You can complain to me about it. There is no question of privilege in it. You told him that you have to go to Lok Sabha and he said that you will definitely go to Lok Sabha.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Police officer wanted to take him to jail but he said that he will take him to Lok Sabha .

Mr. Speaker : The safest place for you is to sit in the House because there will be no danger of being arrested.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Mr. Speaker, Sir you should inquire about the facts of the case. You can ask Madhya Pradesh Government about the behaviour of that police officer.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : A warrant has been issued to arrest Shri Shamim. He has written an article in "Illustrated Weekly". He had no attention of insulting any body (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : हमें कम से कम नियमानुसार कार्य करना चाहिये।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : आप ही बताइये कि मुझे क्या करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो सदस्य भी अन्य नागरिकों के समान है। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब एक साथ न बोलें क्योंकि इस प्रकार कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं हो पायेगा। मैं ने किसी भी सदस्य को बोलने के लिये नहीं कहा और अनेक सदस्यों ने एक साथ बोलना आरंभ कर दिया है। इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। फिर मुझे पहले नोटिस भेजना चाहिये था। सदस्य भी अन्य नागरिकों के समान हैं। उसे इस प्रकार संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यदि कोई सदस्य अपराध करता है तो वह विशेषाधिकार की मांग नहीं कर सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह मामला संसद के सदस्यों का है जिनमें से कुछ लेखक और पत्रकार भी हैं....

अध्यक्ष महोदय : इस सदस्य ने 11.30 बजे एक चिट भेजी थी जब मैं सभा के अन्य कार्य में व्यस्त था और वह इस मामले को उठाना चाहते हैं और मुझ से कार्यवाही करने की आशा करते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दे रहा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस मामले में मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं क्योंकि आपको पहले सूचना नहीं दी गई। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि एक पत्रिका में लेख लिखने के कारण, वारंट जारी किया जाना बदले की भावना की कार्यवाही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा। मैं किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में अपनी राय नहीं दे सकता। आप बैठ जाइये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPER LAID ON THE TABLE—Contd.

छटे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण): मैं संविधान के अनुच्छेद 281 के अधीन छटे वित्त आयोग के प्रतिवेदन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति और उस पर की गई कार्यवाही के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 6043/74**]

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या आप वारंट जारी करने की कार्यवाही का अनुमोदन करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं न्यायालय के विचाराधीन किसी मामले के बारे अपनी राय नहीं दे सकता :

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, Sir. I want to know whether the name of Shri Chavan has been included in the Agenda for laying the aforesaid document ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उसको सभा-पटल पर रखने के लिये मेरी अनुमति प्राप्त की है। वह नियमों के अनुसार ऐसा कर सकते हैं।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

35वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री क० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से, जो 17 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कल यह निर्णय किया गया था कि नियम 377 के अधीन कोई मामला या ध्यान दिलाने वाला कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा। सत्र के अन्त में हमें नियम 377 के अधीन महत्वपूर्ण मामल उठाने की अनुमति होनी चाहिये। अत: आप इस निर्णय पर पुन: विचार करें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जहां तक हमारे दल का संबंध है हम चाहते हैं कि हमें नियम 377 और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से वंचित न किया जाये। हम शनिवार और मध्याह्न भोजन के समय भी बैठने को तैयार हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : I had suggested that we should be allowed to raise matter under rule 377 and let there be no calling Attentions.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं स्वविवेक से निर्णय कर सकता हूं। यह आपका अधिकार नही है।

Shri Madhu Limaye : I want to move my Amendment under rule 290. I have no objection in sitting during Lunch Hour. But how can we raise important matters without rule 377 or a calling Attention. My third suggestion is that there should be no session on saturday because we have already chalked out our programme. In view of above Business Advisory Committee should reconsider their decision.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं पिछले कई सत्रों से एक चर्चा उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सब के प्रतिनिधि कार्यमंत्रणा समिति में थे। हमारी यह परम्परा है कि जब मंत्री महोदय आगामी सप्ताह के लिये कार्य की घोषणा करते, फिर उस संबंध में सुझाव दिये जाते हैं। परन्त यहां तो कार्य संबंधी सुझाव न दे कर दूसरी ही बातें कही जा रही हैं।

श्री बी० वी० नायक : हमारे देश का संविधान लिखित है। इन पुस्तकों में 'परम्परा' का कोई उल्लेख नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेद पढ़ने चाहियें। उसमें लिखा है कि जब तक हम अपने नियमों को संहिताबद्ध नहीं करते तब तक हमें हाऊस आफ़ कामंस की परम्पराओं के अनुसार कार्य-वाही चलानी होगी।

श्री के० रघुरमैया : कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय सर्वसम्मति से किया था। इसका एक कारण यह था कि सरकारी कार्य के अतिरिक्त कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई चर्चाएं भी अधूरी रह

गई हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। इसलिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि सर्वसम्मति से किये गये इस निर्णय को वह स्वीकार कर लें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैंने इस संवैधानिक अनुच्छेद को पुन: देखा है। इसमें 'परम्परा' शब्द नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर इसे हटा दिया जाये, तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

श्री एल० एम० बनर्जी (कानपुर) : ध्यानाकर्षण नोटिस और नियम 377 के अधीन नोटिसों के बारे में आप ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय कर सकते हैं। हम अधिक देर तक भी बैठने के लिए तैयार हैं, परन्तु यह अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगू सराय) : मैं उस मीटिंग में उपस्थित नहीं था। जहां तक नियम 377 का संबंध है, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ कि हम आपसे नियम 377 के अधीन निवेदन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसका समाधान कर सकता हूं। नियम 377 के बारे में आप मेरी स्वेच्छा पर छोड़ दीजिए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण तो प्रस्ताव है और नियम 377 के अधीन नोटिस मेरी स्वेच्छा पर निर्भर होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : अगर श्री रघुरमैया का प्रस्ताव संशोधित हो गया है, तो उस प्रस्ताव को संशोधित रूप में, सदन में मत-विभाजन के लिए रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह बेहतर होगा कि हम इस सिफारिश को स्वीकार कर लें कि कोई परम्परा नहीं होगी। इससे मेरी सिरदर्दी कम हो जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If there are no Calling Attention Notice, two or three matters might be allowed daily. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रघुरमैया द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को, मेरे विनिर्णय द्वारा संशोधित रूप में, सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से, जो 17 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के अध्यधीन सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 2 की मद (तीन) में "और नियम 377 के अधीन मामले" का लोप किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

(Matter Under Rule 377)

वस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स कम्पनीज की जो, मानव रक्त में विश्व व्यापी षड्यन्त्र चला रही है, गतिविधियों का भारत में विस्तार

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम इस बात से सहमत हैं कि नियम 377 के अधीन नोटिस आपकी स्वेच्छा के अंतर्गत होंगे, लेकिन आप सत्र के अंतिम चार दिनों के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर रोक क्यों लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्धारित किया हुआ है कि अध्यक्ष अपने विकल्प को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय को चुनने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें रोकने में नहीं।

श्री एल० एम० बनर्जी : इस सप्ताह के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके अधीन हैं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I rise on a point of order under Rule 361. It is mentioned in this rule that whenever the Speaker would get up, the Members would resume their seats. The speech of such Members who continue to stand should not go on record.

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष खड़ा होता है, तो यह समझा जाता है कि अन्य कोई भी सदस्य नहीं खड़ा है। जब उसे खड़ा हुआ नहीं समझा जाता है, तो उसके द्वारा कही हुई कोई बात भी कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं होगी।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं आप के अनुदेश का पालन करूंगा।

Mr. Speaker : It is not possible to do away with the zero hour. Secondly, when there is an unanimous Report of the Business Advisory Committee, we should stick to it. We should avoid dissenting here like this.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अब क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन निवेदन मेरी स्वेच्छा पर होंगे और इस सप्ताह मैं किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इस आशय के गंभीर समाचार प्राप्त हुए हैं कि कुछ पश्चिमी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जिन्होंने 15 करोड़ डालर का मानवीय रक्त का घोटाला किया हुआ है, अब अपनी गतिविधियों का भारत में विस्तार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

अब इस गिरोह ने बंबई में अपने पैर जमा लिये हैं, जहां उन्होंने अपने एजेंट तैनात कर दिये हैं, जो स्थानीय अस्पतालों के कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करके व्यापारिक रक्तदाताओं से रक्त खरीद कर अधिकांशत: अमरीकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को रक्त का निर्यात करते हैं।

बंबई के डाक्टरों और रक्त विशेषज्ञों ने इंडियन सोसायटी आफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दूसरे सम्मेलन में यह कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों ने रक्त संग्रह व्यापार में सहायता करने के लिए बड़े आकर्षक प्रस्ताव किये हैं।

रक्त का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है, जहां इसका कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है और औषध कंपनियों द्वारा उसका परिष्करण किया जाता है। रक्तजन्य उत्पादों को कच्चे माल की कीमत से दो सौ गुनी कीमत तक बेचा जाता है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये, क्योंकि यह मामला मानव-रक्त के शोषण को प्रोत्साहन देने के अलावा हमारे देश के स्वास्थ्य से भी संबंध रखता है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The hon'ble Health Minister should assure the House that export of human blood should be banned and all the Governments should be urged that such activities are against the national interest and would not be allowed to continue.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने गरीब, असहाय और बेरोजगार भारतीयों का खून निकालने और फार्मास्यूटिकल उत्पादन तथा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये निर्यात करने के व्यापार में 15 करोड़ डालर की पूंजी लगाई है। यह देश के लिए शर्म की बात है।

पहले सदन महिलाओं का पश्चिमी देशों में निर्यात करने के प्रश्न पर चर्चा कर चुका है और अब रक्त का निर्यात करके भूखे भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि वह स्पष्ट रूप से यह बतायें कि भूखे भारतीयों के रक्त का शोषण करने वाले संगठनों और इसके लिए जिम्मेदार संगठनों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

डा० कर्ण सिंह : मैं समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार को पढ़कर अत्यधिक चिंतत हूं कि इस प्रकार मानव रक्त का शोषण करने वाला गिरोह भारत में भी सक्रिय हो उठा है। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य संबद्ध एजेंसियों से शीघ्र ही संपर्क कर रहा हूं, जिससे यह पता चल सके कि रिपोर्ट सही है या नहीं हम अपने देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या आप इस बारे में शीघ्र ही विधान बनाने जा रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : देश के बाहर रक्त अथवा रक्त जन्य उत्पादों के निर्यात पर रोक का पहले ही कानून बना हुआ है।

श्री ज्योतिमय बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है ? क्या इस बारे में पुलिस की सहायता लेने का विचार है ?

संविधान (तेतीसवां संशोधन) विधेयक
और
मुल्की नियम (निरसन) विधेयक

Constitution (Thirty Third Amendment) Bill
and
Mulki Rules (Repeal) Bill

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

विधेयक के प्रावधानों का ब्यौरा देने से पूर्व मैं संक्षेप में उन परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनकी वजह से यह विधेयक लाया गया है।

श्री एस० बी० गिरी (वारंगल) : यह विधेयक भारत के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 35 (ख) में यह कहा गया है कि अगर संविधान के लागू होने से पूर्व किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के हितों की रक्षा करने वाले कोई कानून हों, तो वे वैसा रहेंगे। इससे तेलंगाना की जनता के अधिकारों में कमी हो जायगी। यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I would like to draw your attention to Article 14 which says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Article 16(1) says that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

But the Bill moved by the honourable Home Minister would divide Andhra Pradesh in many areas. This Bill is against the fundamental rights guaranteed by Articles 14 and 16 of the constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : पता नहीं श्री एस० बी० गिरी और श्री मधु लिमये इस समय ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। विधेयक को पुरःस्थापित करते समय भी ये प्रश्न उठाये गये थे और उस समय मैंने विनिर्णय दिया था। अब इन बातों को चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : जैसा कि सभा को मालूम है कि हमारे देश में तेलगू भाषी लोग अनेक वर्षों से एक बड़ा तेलगू भाषी राज्य बनाने की इच्छा प्रकट करते रहे हैं, जिसे वे विशाल आंध्र का नाम देते थे 1953 में कुछ सीमा तक उनकी यह इच्छा पूरी हुई जब तेलगू भाषी क्षेत्रों को मद्रास से पृथक करके आंध्र राज्य के नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की गयी।

जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन पर और आगे विचार किया, तो उस ने हैदराबाद को दो भागों में बांटने का सुझाव दिया था। उसने हैदराबाद के तेलगू भाषी तेलंगाना प्रदेश को तुरंत आंध्र राज्य में मिलाने का सुझाव नहीं दिया था और उसने यह सिफारिश की थी कि ये क्षेत्र कुछ समय के लिये अलग राज्य के रूप में रह सकते हैं। तथापि आंध्र प्रदेश के निवासियों ने पारस्परिक बातचीत के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के संदेहों को दूर कर दिया। लंबी बातचीत के पश्चात आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र की जनता में तेलंगाना के हितों की सुरक्षा के संबंध में एक समझौता हो गया . . .

श्री एस० बी० गिरी (वारंगल) : यह एक गलत बात है। लोगों ने इस फार्मूले को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया है . . .

श्री उमाशंकर दीक्षितः क्या माननीय सदस्य महोदय ने मेरी बात को समझ लिया है। मैं 1953 का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री एस० बी० गिरिः इसे स्वीकार करने वाले लोगों में इसे अपनाने का साहस नहीं है।

श्री उमाशंकर दीक्षितः एक संरक्षण जिस का प्रस्ताव किया गया था, वह तेलंगाना क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय समिति के गठन के संबंध में था। एक आश्वासन यह भी दिया गया था कि तेलंगाना क्षेत्र में अधीनस्थ

पदों को कुछ समय के लिये आवासीय शर्तों के अनुसार आरक्षण करके भरा जा सकता है। यह भी आपसी समझौता हुआ था कि आंध्र क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के विनियमनों को क्षेत्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेलंगाना क्षेत्र के छात्रों के लिये शैक्षिक सुविधाओं को कम न करके उनमें और सुधार किया जा सके। तेलंगाना के लोगों को यह भी आश्वासन दिया गया था कि उस क्षेत्र की राजस्व की फालतू आय को केवल उस क्षेत्र के विकास पर ही खर्च किया जायेगा। इस समझौते का देश भर में कार्यकुशलता के कार्य के रूप में स्वागत किया गया तथा इसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश के नाम से विशाल आंध्र का तुरन्त निर्माण हुआ।

आंध्र और तेलंगाना के नेताओं के मध्य हुए इस समझौते के आरक्षण में इस सभा ने तेलंगाना क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय समिति बनाने के लिये संविधान में अनुच्छेद 371(1) के द्वारा विशेष उपबंध किया वर्ष 1957 में इस सभा में लोक नियोजन (आवास संबंधी अपेक्षा) अधिनियम के नाम से एक विधान पारित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 2 के द्वारा मुल्की नियम को निरसित कर दिया गया तथा धारा 3 के द्वारा तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को लोक नियोजन के संबंध में विशेष सुरक्षा प्रदान की गयी। यह व्यवस्था काफी समय बिना किसी प्रकार की शिकायत के चालू रही। कठिनाई वास्तव में तब उठ खड़ी हुई जब 1969 में उच्चतम न्यायालय ने उक्त अधिनियम का तेलंगाना से संबंधित धारा तीन को रद्द कर दिया।

इसके साथ-साथ तेलंगाना वासियों के मन में धारणा बन गयी थी कि अन्य सुरक्षाओं को भी संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। समूचे मामले पर विचार किया गया और तेलंगाना क्षेत्र के लिये पर्याप्त विकास संबंधी संसाधनों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें सुनिश्चित कराने के लिये उपाय किये गये। चूंकि स्थिति सामान्य होती जा रही थी। इसलिये अक्तूबर, 1972 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप मुलकी नियमों को पुनः लागू कर दिया गया और वह भी भूतलक्षी प्रभाव से और बिना किसी सीमा के।

सभा को पूरी तरह मालूम है कि इस निर्णय के बाद वहां आंदोलन आरंभ हुआ और कई बार इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और अन्त में आंध्र प्रदेश में 18 जनवरी, 1973 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

अंतिम समाधान से पूर्व शांतिपूर्ण स्थिति की अपेक्षा की गयी है। मुझे प्रसन्नता है कि उस पुरानी भावना के, जिसने तेलगू भाषी लोगों को उनकी विशाल आंध्र की इच्छा को पूरा करने के लिये सहायता दी थी, अनुसार कार्य किया . . . (व्यवधान) मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दिया जाये। कई बार बातचीत करने के पश्चात् दोनों क्षेत्रों के नेता उन समस्याओं का पता लगाने में सफल हुए जिनके कारण यह आंदोलन बार-बार उठ खड़ा होता था और उसका समाधान ढूंढ निकालने में सफल भी हुए- जो मौलिक समस्याओं का समाधान ही नहीं करता, अपितु, इस राज्य के सभी क्षत्रों के लोगों में भावनात्मक एकता को भी प्रोत्साहित करता है।

एक मौलिक समस्या, जो तेलंगाना के लोगों के मन को परेशान करती रही है, वह है उनका निरंतर पिछड़ापन, यद्यपि विकास के क्षेत्र में गत अनेक वर्षों के दौरान इसे करने के लिये प्रयास किये गये। यह बात महसूस की गयी कि पिछड़ेपन की समस्या विशेषकर तेलंगाना की ही समस्या नहीं है। रायल

सीमा में अन्य क्षेत्र तथा तटीय जिलों के क्षेत्र भी हैं जहां विकास की गति को तेज किया जाना चाहिय नेतागण इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि राज्य के सभी पिछड़े क्षेत्रों को निर्धारित किया जाये तथा उस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से उन क्षेत्रों में शीघ्र विकास करने का विशेष तरीका ढूंढ निकाला जाये।

लोगों में यह भावना भी व्याप्त थी कि राज्य को राजधानी में उच्च शिक्षा पाने के लिये संस्थाओं में प्रवेश दिये जाने के बारे में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है। इसी संदर्भ में ही राज्य के नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देते समय स्थानीय उम्मीदवारों को पर्याप्त प्राथमिकता देने के साथ साथ राज्य भर में एक समान आधार भी बनाया जाये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिये हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

एक अन्य मुख्य मामला जिसने लोगों के मत को उत्तेजित किया हुआ है, वह यह था कि राज्य के एक भाग में मुल्की नियमों को लागू रखा गया है। इस बारे में राज्य नेताओं ने यह समझौता किया कि कुछ प्रकार के पदों के लिये कुछ सीमा तक स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी देखा गया कि वरिष्ठता, पदोन्नति आदि संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिये राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बहुत सी रिट याचिकायें दायर कर रखी हैं और अनेक प्रशासनिक निर्णयों को प्रायः रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिये एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाये तथा न्यायाधिकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों के बारे में न्यायपालिका के समक्ष जाने के लिये भी सीमायें निश्चित की जानी चाहिये।

यदि पर्याप्त सांविधानिक व्यवस्था कर दी जाये, तो चार सूत्री दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में...

श्री एस० बी० गिरि : उन्होंने सदैव "नेतागण" शब्द का उल्लेख किया है। ये नेता लोग कौन हैं? मैं उन नेताओं के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने इसे तैयार किया था।

श्री उमाशंकर दीक्षित : उन्हें सहनशक्ति से काम लेना चाहिये। उन्हें बोलने के अनेक अवसर प्राप्त हैं। राज्य के कुछ नेताओं ने अन्त में 21 सितम्बर, 1973 को एक वक्तव्य जारी किया जिसे छः सूत्री फार्मूले का नाम दिया गया इस फार्मूले का व्यापक रूप से स्वागत किया गया तथा राज्य में सभी ओर से उसे पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। तभी राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णर किया गया। जब हमें इस बात की संतुष्टि हो गयी कि सभी वर्ग के लोग उक्त फार्मूले का समथ कर रहे हैं। मंत्रालय ने, जो गठित हुआ था, इसके तुरंत पश्चात् इस फार्मूले की पुष्टि कर दी।

जैसाकि पहले बताया गया है कि यह सुझाव है कि क्षेत्रीय समिति को बताये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधेयक के खंड 2 में संविधान के अनुच्छेद 361(1) का लोप करने की मांग की गई है। खंड 3 के द्वारा दो नये अनुच्छेद 371 घ तथा 371 ण को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो आंध्र प्रदेश राज्य के लिये विशेष हैं। प्रस्तावित नये अनुच्छेद 371 घ के खण्ड (3) में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन और उसके क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा परिभाषित, शक्ति और प्राधिकार का उपबंध किया गया है। खण्ड (4) में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संबंध में कुछ और उपबंध भी किये गये हैं।

इसके साथ ही कर्मचारियों को आश्वासन देने हेतु, उपाय भी किये जाते हैं जिसे न्यायधिकरण के आदेशों के ऐसे ही अवहेलना नहीं की जा सकेगी अथवा उनमें परिवर्तन भी नहीं किया जायेगा। अतः यह उपबंध किया गया है कि यदि राज्य सरकार आदेश में परिवर्तन करना या उसे रद्द करना आवश्यक समझती है, तो यह कार्यवाही तीन महीने के भीतर की जानी चाहिये। खंड (6) में भी उपबंध किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये आदेश को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए।

खंड (7) के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को एक न्यायाधिकरण के अंतर्गत में आने वाले किसी मामले के बारे में कोई अधिकार, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा। तेलंगाना क्षेत्र में निवास की अपेक्षा संबंधी कानून में कई बार परिवर्तन किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुल्की नियमों के क्षेत्र को अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय द्वारा कुछ समय पूर्व दी गयी एक व्याख्या के अनुसार, तेलंगाना क्षेत्र में उत्पन्न कोई व्यक्ति संभवतः 'मुल्की' नहीं हो सकता। अब यह मामला अपील के द्वारा न्याय निर्णयाधीन है और अभी इसके बाद में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। अतः यह वांछनीय है कि अतीत में की गयी नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थानान्तरण के बारे में इस आधार पर कि क्या ऐसी नियुक्तियां निवास की किसी अपेक्षा के अनुसार की गयी अथवा नहीं, कोई संदेह नहीं रहना चाहिये। खंड (9) के द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपबंध किया गया है।

संविधान के सामान्य उपबंधों को स्निवभावी बनाने के लिये खंड (10) के अनुच्छेद 371 ध का होना आवश्यक है।

विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार ने एक सामान्य कार्य किया है । तथापि 6 सूत्री फार्मूले में सुझाव दिया गया है कि राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। अतः अनुच्छेद 371 ड के द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये संसद को आवश्यक विधायी शक्ति प्रदान की गयी है।

विधेयक में पिछड़े क्षेत्रों के लिये राज्य आयोजन और विकास बोर्ड तथा आयोजना और विकास समितियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में राज्य सरकार अपनी शक्तियों के अनुसार कार्य कर सकती है। मेरे विचार में राज्य सरकार का ध्यान इस मामले की ओर है और मुझे आशा है कि 6 सूत्री फार्मूले का यह अंश शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा :

मैं सुझाव देता हूं कि इस विधेयक के साथ साथ दूसरे विधेयक पर विचार किया जाये ।
मैं यह भी प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि मुल्की नियमों के निरसन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदयः दोनों प्रस्तावों पर, जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सुझाव दिया गया है तथा जैसा कि सभा ने अपनी सहमति प्रकट की है, चर्चा एक साथ की जायेंगी । प्रस्ताव पेश किये गये :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" "कि मुल्की नियमों का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री लिमये ने कुछ संशोधन रखे थे । वह यहां उपस्थित नहीं हैं । क्या श्री गिरि अपने संशोधन को पेश कर रहे हैं ?

श्री एस० बी० गिरि : में संविधान (संशोधन) विधेयक पर अपने संशोधन संख्या 1 तथा 2 एवं मुल्की नियम (निरसन) विधेयक का संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तूत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रथम विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इस लिये इसके लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता है । इसके लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई अत्यूत बहुमत की आवश्यकता होती है तथा इसका समर्थन सभा को कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाना चाहिये । विशेष बहुमत द्वारा इसके खंडों को स्वीधेय किया जाना चाहिये और विधेयक को विशेष पारित बहूमत के द्वारा किया जाना होगा । हमने इन दो विधेयकों पर चर्चा करने के लिये 6 घंटे का समय, दिया है और हम ने 1 बजकर 15 मिनट पर चर्चा आरम्भ की है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है कि इसे आज समाप्त किया जाना चाहिये । 6 बजे केन्द्रीय कक्ष में एक उत्सव होना है । सभी संसद सदस्य वहां जाना चाहेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): जब हम संविधान का संशोधन कर रहे हों, तो सभा को पूरी स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये ।

श्री के० रघुरामैया : क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि विचार किये जाने के प्रस्ताव पर मतदान 4.30 बजे किया जाये और इसके पश्चात हम खण्डवार विचार कर सकते हैं और 6 बजे विधेयक पर मतदान किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम भरसक प्रयास करेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव के अनुसार कार्य करें । यथा संभव हम लगभग 4.30 बजे विचार किये जाने के प्रस्ताव पर मतदान कराने का प्रयास करेंगे और हम विधेयक को आज समाप्त कर देंगे ।

श्री बी० एन० रेड्डी (निरयालगूडा): जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबंध है, सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या जिस का सामना करना पड़ रहा है, वह एकता की समस्या है । हमारा दल आन्ध्र प्रदेश के जन साधारण के साथ मिल कर आन्ध्र प्रदेश की एकता के लिये शुरु से ही लड़ता रहा है । अतः हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा राज्य की एकता बनाये रखी गयी है । इस कारण से भी हम विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रवृत्तियो तथा क्षेत्रीय समितियों एवं एकता में सहायता न देने वाली बातों पर रोक लगायी गयी है ।

गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार ने इस विधेयक को लोगों की समृद्धि के लिये पेश किया है । यद्यपि हम सरकार की इस कार्यवाही का स्वागत करते हैं, तथापि हम गृह मंत्री के इस बिचार से सहमत नहीं हैं । इस विधेयक के पीछे कई आन्दोलन हुये हैं तथा खून खराबा हुआ है तथा युवा लोगों की मौते भी हुई हैं बहुत सी अपमानजनक घटनायें हुयी हैं । सत्ताधारी कांग्रेस दल इस पृथकतावादी विचारधारा आन्ध्र प्रदेश में फैलाने के लिये जिम्मेदार है । कांग्रेस ने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन और बेरोजगारी का लाभ अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये उठाया और पृथकावाद को प्रोत्साहित किया । कांग्रेस कभी तो पृथकतावादी लोगों का साथ देती है और कभी एकता-

वादी लोगों का समर्थन करने लगती है। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि केवल आन्ध्र प्रदेश के लोग ही एकता को बनाये रखने के लिये लड़े।

कांग्रेस दल ने, जो इन सभी घटनाओं के लिये जिम्मेदार है, उपर्युक्त समय पर कार्यवाही नहीं की। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने इतना कुछ होने के पश्चात ही इस विधेयक को पेश किया है। यदि सरकार ने पहले कार्यवाही की होती, तो बहुत सी दुखद घटनायें न हुई होती। कांग्रेस दल में केवल तभी जागृति पैदा हुई जब स्थिति बहुत ही खराब हो गयी।

मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत का साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल शुरु से ही पृथकता का विरोध तथा एकता का समर्थन करता आया है। हमारा दल सदैव यह कहता आया है कि केन्द्रीय सरकार को आंध्र तेलंगाना रोजगार विवाद को हल करने और आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को सुधारने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये पहले ही केन्द्रीय सरकार को कह चुके हैं। हमारा दल पहले ही स्वागत योग्य उपबन्धों का सुझाव दे चुका है।

यद्यपि हम विधेयक में जहां कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिससे आन्ध्र प्रदेश में एकता को प्रोत्साहन मिलता है, वहां कुछ उपबन्ध ऐसे भी हैं जिनके पृथकता को प्रोत्साहन मिलता है। स्थानीय उम्मीदवारों के लिये विशेष उपबन्ध किया गया है जिससे एकता को सहायता नहीं मिलती।

केन्द्रीय सरकार वहां अकाल की स्थिति को दूर करने की बजाये चुपचाप इस तमाशे को देख रही थी। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अकाल तथा सूखा की स्थितियों को दूर करने और आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को सुधारने के लिये ठोस कार्यवाही करे। मुझे खेद है कि इस विधेयक और फार्मूले में उन्हें दूर करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

इस विधेयक में आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है परन्तु इससे समस्या हल नहीं होती है, यह स्वीकार कर लिया गया है कि दोनों क्षेत्रों में पिछड़ापन विद्यमान है, सरकार को क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु यह विधेयक इस बारे में मौन है।

यदि हम आंध्र प्रदेश की एकता के आकांक्षी है तो हमें इसका बहुमुखी विकास करना चाहिये। इसके लिये सरकार को विधेयक में आन्ध्र प्रदेश के विकास का गारन्टी देने का प्रावधान करना चाहिये तथा इस दशा में ठोस कदम उठाना चाहिये, आन्ध्र प्रदेश की संपन्नता के लिये कारगार उपाय अपनाये जाने चाहिये, हमारे राज्य में जिन परियोजनाओं पर खर्च रोक दिया गया था, उन्हें पुनः आरम्भ किया जाना चाहिये।

मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में पिछड़ापन समूचे राज्य में व्याप्त है। क्षेत्रीय असंतूलन और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विधेयक में किसी संवैधानिक व्यवस्था को बनाये जाने का प्रावधान नहीं है मुझे आशा है कि सरकार समस्या को गंभीरता से लेगी, आन्ध्र और तेलंगाना में बेरोजगारी को दूर करने के लिये किसी लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिये, रोजगार देने में 2 : 1 फार्मूला औचित्यपूर्ण है, इससे समस्या का समाधान होगा और साथ में राज्य में एकता को बढ़ावा मिलेगा, मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार ऐसा कदम उठायेगी जिससे देश की एकता बनी रहेगी और साथ में समस्या भी हल हो जायेगी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: (नन्दयाल): दुर्भाग्यवश हमारे राज्य को संकट में से गुजारना पड़ा है। विभिन्न आन्दोलनों के कारण जान-माल की हानि हुई है। राष्ट्रपति शासन ऐसे समय लागू करना पड़ा जब हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये योजनाएं तैयार कर रहे थे, ऐसे समय माननीय भावनाओं को गलत कार्यों के लिये उत्तेजित किया गया, इस राज्य के निर्माण में महान व्यक्तियों की निःस्वार्थ भावना रही है, राज्य में भावनात्मक एकता तब से थी जब हैदराबाद निजाम के शासन के अन्तर्गत था, उस समय तत्कालीन हैदराबाद राज्य के बहुत से प्रमुख व्यक्तियों ने तेलंगाना भाजी लोगों को, चाहे आन्ध्र राज्य में रहते थे या हैदराबाद राज्य में, एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भाग अदा किया, 1956 में आन्ध्र प्रदेश के बनने पर यह कार्य पूरा हुआ, जब राज्य का निर्माण होने लगा था तब निहित स्वार्थ वाले कुछ नेताओं ने एक पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना की मांग की।

इस विधेयक को तैयार करते समय काफी विचार विमर्श किया गया था। यह विधेयक कोई ऊपर से नहीं थोपा गया है बल्कि इसको सर्व सम्मति से लाया गया है। आन्ध्र प्रदेश में होने वाले आन्दोलनों से प्रधान मंत्री काफी दुखी थी। वह विभिन्न वर्गों के लोगों में सौहार्द और भाई चारा की भावना लाना चाहती है, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने जनता की भावनाओं को समझने का काफी प्रयास किया है, वे अपने प्रयासों में सफल रहे हैं, किसी चीज को नष्ट करना बहुत असान है पर उसका निर्माण करना बहुत कठिन है, इस विधेयक के द्वारा उन निर्णयों को कानूनी रूप दिया गया है जो जनता ने किए थे तथा जो समस्या से महत्व पूर्ण संबंध रखते हैं।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल): इनको आम जनता ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है विधेयक में यह व्यवस्था है कि क्षेत्रीय समिति, मुल्की नियम को समाप्त किया जाये तथा हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, इसके साथ-साथ इसमें कहा गया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकतम अवसर दिए जाएं, मेरे मित्र श्री वी० एन० रेड्डी ने कहा है कि जबकि एक ओर हमने मुल्की नियमों को समाप्त कर दिया है तो दूसरी ओर प्रत्येक जिले में उसी प्रकार का मुल्की नियम अस्तित्व में आ रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सेवाओं के मामले में स्थानीय जनता को प्राथमिकता दी जाएगी परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य लोगों को रोजगार से वंचित किया जाये, हमें समाज के हर वर्ग को बराबर के अवसर देने चाहिए।

न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, खंड 8 में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन न्यायाधिकरणों से कोई लाभ नहीं मिलता है तो इनको समाप्त किया जा सकता है। इसलिये यदि कोई कर्मचारी न्यायाधिकरण में न जाना चाहे तो वह इसके लिये बाधित नहीं है।

जहां तक विकास का संबंध है, मेरे विचार में दो यदि असंतुलन के कारण पारस्परिक आश्वासन तथा भ्रांतिया पैदा हो सकती हैं। परन्तु क्या यह वर्तमान आंदोलन क्षेत्रीय असंतुलन का परिणाम है? इस आंदोलन को भड़काने में अनेक निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों का हाथ है, उन्होंने इस प्रकार के हिंसा को भड़काया है। मैं जानता हूं कि कुछ वर्गों तक कोई भी तेलुगु भाषी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमा सकने में असमर्थ था।

इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण तेलंगाना में संदेह पैदा हुआ, इसके पीछे ऐतिहासकि पृष्ठभूमि है। तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा अथवा तेलंगाना में रहने वाले व्यक्तियों के हित एक हैं। वे ईमानदार

नागरिक की भांति रहना चाहते हैं। परन्तु जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन का संबंध है, तटीय जिलों के विरुद्ध असंतोष था क्योंकि ये जिले सम्पन्न थे, रायलसीमा की जनता आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के समय मद्रास में विलय होना चाहती थे क्योंकि उन्हें भय था कि समक्ष तटीय जिले उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेंगे और उनका आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा इसलिये श्री बाग समझौता किया गया, यह समझौता रायलसीमा की जनता के मन से भय निकालने के बारे में था। परन्तु यह समझौता निष्फल सिद्ध हुआ, जब आन्ध्र राज्य का निर्माण हुआ तब उस समय कृष्ण–पेन्नार परियोजना पर वादविवाद आरम्भ हो गया। यह कहा जा रहा था कि यदि इस परियोजना का निर्माण हुआ तो कृष्ण नदी का जल मद्रास को चला जायेगा, इस परियोजना से रायलसीमा को लाभ होता था परन्तु हमें इस योजना के विरुद्ध आंदोलन करने के लिये तटीय जिलों का साथ देना पड़ा।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि योग्य कुल भूमि 316 लाख एकड़ है जिसमें से 114.68 लाख एकड़ तटीय जिलों में, 77.52 लाख एकड़ भूमि रायलसीमा में और 124.10 लाख एकड़ भूमि तेलंगाना में है, सिचाई सुविधाओं की दृष्टि से भी रायलसीमा पिछड़ा हुआ है और यही बिजली की खपत के बारे में है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय असंतुलन से आपस में संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है, मैं यह नहीं कहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन होने के कारण हमें अलग हो जाना चाहिये। मेरे विचार में तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास एकीकृत राज्य में ही संभव है, इसलिये पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये ठोस कार्य किए जाने चाहिये, यद्यपि सरकार ने रायलसीमा विकास बोर्ड की स्थापना की है परन्तु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा है, सरकार का यह सुनिश्चित करना कर्त्तव्य है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाये, यह नहीं समझ लेना चाहिये कि चार या पांच जिलों के समाप्त होने के कारण यही बात समूचे राज्य में होती है, सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में विकास करने हेतु उद्योगपत्तियों को सहायता देनी चाहिये। सरकारी कारखाने पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने चाहिये। इनको केवल विशाखापत्तनम अथवा हैदराबाद में ही स्थापित किया जाना चाहिये। मैं एक बार पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Jagan Nath Rao Joshi (Shajapur) : The Thirty third amendment bill of the Constitution will not solve any problem but rather create many new problems. In implementing the Six Point formulas, the opinions of the people have not been ascertained. The Government should try to know the wishes of the people. The people of Telangana are deadly against this bill. It is not understandable why the Government have brought this bill. The discontent is not limited to one place. It has spread everywhere.

The Government have no aim before it. We are not understanding what the Government mean by putting the phrase temporary arrangement in the statute. This is in against the spirit of the constitution. That is why we have raised the agitation. If the Government do blunder like this then who knows what will happen.

The Congressmen have objected to the bill in the Meghalaya Assembly regarding ousting of outsiders. But here they are adopting different stand. Ours is a big country. Diversification does not mean that we go on dividing the country and close the doors for outsiders. Today the whole world is endeavouring to come nearer. But we are building walls of hatred among each other.

The root cause of Telangana agitation that it remained untouched from development. If the Government had given attention to provide jobs to the people and balanced development had taken place then this problem would not have been created. The congressmen

of Andhra and Telangana have not respected their mutual agreement. The people of Telengana have not got proportionate chances in the matter of education and service. That is why their hopes have been dashed to the ground. The Government have not taken pains to know the wishes of the people.

The hon. Minister has referred to the establishment of central University in Hyderabad. The reason is that the Andhra have fear in their mind that they are treated as second class citizens and they are not able to get admission in their own educational institutions in the capital of their state. On the other hand the educational facilities should have been given equally to all.

The question of Mulki rules has arisen because the people do not get employments. This is the main root cause. We had suggested several measures to set the things right.

The Government changed Chief Ministers but things remained the same. By changing Chief Ministers, the matter will not solve. The Government first should change their way of thinking.

Regarding Kashmir, the stand of the Government have vitiated the atmosphere. Why not it allow other citizens of India to purchase property there when it regards that all are citizens of the same country. But they are only building walls of separation. Due to the wrong policy of the Government persons are coming from Burma, Africa, Sri Lanka etc. as displaced persons.

The Constitution should be respected in which rights have been to the people. But by this bill we are restricting their powers. The Six Point formula have not solved their problem. The Government should take a clear cut and bold decision instead of giving it a trial.

Had Telangana been formed on the recommendations of State Reorganization Committee then such agitation would not have taken place. The experience show that the people of Telengana want to live separately. The State should be divided for the smooth administration. The unity of the country will not be affected by this.

The people of Andhra Pradesh are not satisfied. There who participated in the agitation have been included in the cabinet. Instead of bringing this Bill, we should decide that Andhra and Telangana are two states and both may develop peacefully.

श्री के० नारायण राव (बीरवली) : मैं **प्रधान मंत्रो** तथा **गृह** मंत्री का आन्ध्र प्रदेश की एकता बनाये रखने के लिये धन्यवाद करता हूं । इस छः सूत्री कार्यक्रम को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है । तेलंगाना का प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग के कारण उत्पन्न हुआ है। इसमें सीमा विवाद का मामला भी अन्तर्ग्रस्त है । भाषा के नाम पर भी लोग इस स्थिति का समाधान नहीं कर पा रहे हैं । हम आन्ध्र प्रदेश की एकता बनाये रखना चाहते हैं ।

कहा गया है कि तेलंगाना का पिछड़ापन ही इस संकट का मूल कारण है। किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। स्थानीयकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये । यह सिद्धांत सभी वर्गों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होना । यह विधेयक कुछ कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से ही लाया गया है। इससे

उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित होती हैं। यह कठिनाइयां संविधान में संशोधन करके दूर की जानी हैं। किन्तु ऐसा करते हुए मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

इस विधेयक में कहा गया है कि रोजगार संबंधी मामलों में उच्च न्यायलय की शक्तियां ले ली गई हैं। यह भी प्रबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार पदों के कुछ वर्ग बना सकती है।

इस विधेयक में एक और त्रुटि यह है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये वे उच्च न्यायालय के स्थान पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना र हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात् सरकार उस निर्णय में संशोधन कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से यह गलत है। राज्य सरकार अर्ध-न्याक न्यायाधिकरण के निर्णय को कैसे संशोधित कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा संशोधन किये जाने पर ऐसे निर्णय कार्यपालिका के ही निर्णय हो जाते हैं। यदि एक बार कोई निर्णय कार्यपालिका के आदेश का रूप ले लेता है तो फिर संविधान का अनुच्छेद 226 उस पर लागू हो जाता है। अतः राज्य सरकार का यह उल्लेख हटा दिया जाना चाहिये।

इस विधेयक में एक त्रुटि यह है कि पदोन्नतियों, नियुक्तियों आदि के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियां ले ली गई हैं परन्तु न्यायाधिकरण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्ति समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के मामले में भी उच्च न्यायालय की शक्तियां वैसी ही रहती हैं। इसलिये मैंने प्रस्तावित नये अनुच्छेद 371 डी के खंड 7 में संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। इन बातों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** (कड़प्पा) : मैं अपनी पार्टी की ओर से इस संवैधानिक संशोधन का समर्थन करता हूं।

छः सूत्री फार्मूले के लागू होने के बाद आन्ध्र प्रदेश में उत्साह वर्द्धक जागृति आई है। इस फार्मूले के अंतर्गत हैदराबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिससे राज्य में शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि हो सके। इसको क्रियान्वित करने में पैदा होने वाले विवादों का संवैधानिक तथा उचित रीति से समाधान किया जा सकता है। अब हम देखें कि यह छः सूत्री फार्मूला लागू करने से पूर्व आन्ध्र में आन्दोलन के कारण क्या थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीयों से लड़ाया और अमरीका ने बाद में एशियाई लोगों को एशियाईयों से लड़ाया। उसी नीति का अनुसरण करते हुए आन्ध्र में आपस में संघर्ष आरम्भ हुआ। उस राज्य में निहित स्वार्थ रखने वाले लोग आगे आये और पृथकतावादी प्रवृत्ति उन्होंने पैदा की। कुछ प्रतिक्रियावादी तथा साम्प्रदायिक दलों ने इस स्थिति से लाभ उठाया। किन्तु दुर्भाग्य से बाद में कांग्रेस के कुछ सशक्त गुटों ने पृथकतावादी आन्दोलन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनों ने बड़ा गंभीर रूप धारण कर लिया। परन्तु यह आन्दोलन जन-साधारण का आन्दोलन नहीं था। केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश की जनता की इस भावना पर ध्यान देने को बाध्य होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने आन्ध्र प्रदेश की अखंडता बनाये रखने के लिए छः सूत्री कार्यक्रम तैयार किया।

---

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

52 LSS/73—11

यदि छः सूत्री फार्मूले का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करना है तो क्षेत्रीय विषमताओं और असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करना होगा। सम्पत्ति तथा भूमि जोतों की सीमा निर्धारण की जानी चाहिए। इन योजनाओं का लाभ गरीब श्रमिकों तथा भूमिहीन लोगों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। गरीब किसानों को खाद, कृषि सम्बन्धी उपकरण, सीमेन्ट और तेल उचित मूल्य की दुकानों पर निश्चित दरों पर उपलब्ध किया जाने चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश की प्रगति 1965 से लगभग रुकी हुई है। नागार्जुन सागर आदि परियोजनाओं को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना पूरी करने से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में केवल बातों पर ही संतोष न कर, इसे वास्तविक रूप दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा रायल सीमा की प्रगति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में इस समय भी स्वतंत्र पार्टी छः सूत्री कर्यक्रम के विरुद्ध है। नये मंत्रिमंडल में एकता के समर्थकों की उपेक्षा की गई है।

मुझे उर्म्मीद है कि छः सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए सभी उपाय किये जायेंगे।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : तेलंगाना और आन्ध्र की समस्याएं मैंने 22 फरवरी को सभा में रखी थीं। मैंने प्रधान मंत्री से मुल्की नियमों संबंधी विधेयक को लागू न करने के लिए कहा था।

मुल्की नियमों के सम्बन्ध में सरकार ने यदि मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया होता तो संभवतया जन-धन की इतनी हानि न होती। अब मुल्की नियम अधिनियम का खण्डन किया जा रहा है। संविधान से अनुच्छेद 371(1) को निकालने का विचार किया जा रहा है।

अनुच्छेद 371(1) की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की सिफारिश की थी। वहां के लोग भी पृथक राज्य चाहते थे। शेष आन्ध्र प्रदेश की भांति तेलंगाना राजनैतिक रूप से संगठित होकर नहीं रहा है। आयोग की सिफारिश के बावजूद तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय किया कि तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह बात स्वीकार की गई थी कि तेलंगाना के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और इसीलिए अनुच्छेद 371(1) विशेषरूप से संविधान में लाया गया।

**[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुये
Shri S.A. Kadar in the Chair]**

इस व्यवस्था के अनुसार तेलंगाना के लिए एक क्षेत्रीय समिति की व्यवस्था की गयी। तेलंगाना के लोगों को बड़े आश्वासन दिये गये तथा तेलंगाना और आन्ध्र के लोगों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। परन्तु आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। समझौते को एक कागज मात्र समझा गया। श्री जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि यदि पांच वर्ष पश्चात तेलंगाना के लोग एक पृथक राज्य की आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें अलग राज्य बनाने की अनुमति दे दी जायेगी। अनुच्छेद 371 में धारा (1) ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि की अवहेलना करके जोड़ा गया है। इस सदन में 22 फरवरी को बोलते हुए मैंने कहा था कि विकास की कमी, क्षेत्र की उपेक्षा, पृथक राज्य की मांग के युक्ति संगत

कारण हो सकते हैं परन्तु पृथकत्व की मांग भावात्मक और मनोवैज्ञानिक है और यदि इसे स्वीकार न किया गया तो मनोवैज्ञानिक रूप से वहां के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके सांस्कृतिक उत्थान में बाधा पड़ेगी। अब उद्देश्य यह है कि तेलंगाना के लोगों को दिये गये आश्वासनों तथा संरक्षणों के अन्तिम अवशेष समाप्त करके तेलंगाना के अलग राज्य बनाने की बात को सदा के लिए ही समाप्त कर दिया जाये।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि इस तथाकथित 6 सूत्री फार्मूले से राज्य की अखण्डता और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की गति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। किन्तु मेरा कहना है कि अनुच्छेद 371 के खण्ड 1 को समाप्त करने और प्रस्तावित तरमीमों से अखण्डता रखने में सहायता नहीं मिलेगी अपितु तेलंगाना की अपनी संस्कृति पूर्णतया समाप्त हो जायेगी। यह तर्क दिया जाता है कि छोटे-छोटे राज्य बनाने से देश की अखण्डता को खतरा हो जायेगा। छोटे राज्य देश की अखण्डता के लिए कभी भी खतरा नहीं हो सकते। वे पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। इससे केन्द्रीय सरकार और सुदृढ़ हो सकेगी। भाषायी राष्ट्रवाद को पनपने देने से पहले एक भाषायी क्षेत्र में एक से अधिक राज्य बनाने के प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हमें वास्तविक समस्या को समझना चाहिए। वास्तविक समस्या रोजगार के अवसर प्रदान करने की नहीं है अपितु तेलंगाना के लोगों की पृथक राज्य बनाने की बलवती इच्छा की है। यह मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक आवश्यकता है। दमनकारी नीति से राष्ट्रीय अखण्डता नहीं रखी जा सकती है। भावात्मक एकता समानता की भावना से लायी जा सकती है और समानता की भावना उपसंस्कृति के पृथक अस्तित्व को मान्यता देकर ही लायी जा सकती है। दमन और विलयन से तेलंगाना के लोगों का अस्तित्व नष्ट हो जायेगा। और इससे वहां के लोगों में क्रोध, रोष तथा असन्तोष की भावना उत्पन्न हो जायेगी जोकि न तो तेलंगाना के लोगों के ही हित में होगी और न ही सम्पूर्ण देश के हित में।

अनुच्छेद 371 से धारा (1) निकालकर संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है यह संशोधन जल्दी में न किया जाये। हैदराबाद में सरकार की स्थापना कर दी गयी है। विधान सभा की बैठक होने दीजिये, सरकार को कार्य करने दीजिये और एक दो वर्ष तक स्थिति का अध्ययन करिये। यदि छः सूत्री फार्मूला भावात्मक एकता लाने में सफल होता है तो संशोधन किया जा सकता है और तब मैं भी उसका समर्थन करूंगा। यदि हम जल्दबाजी में संविधान का संशोधन करेंगे तो पता नहीं दूसरी क्या प्रतिक्रिया हो और क्या परिणाम निकलें। अतः प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि मुल्की नियम विधेयक तथा इस संविधान (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में जल्दबाजी न करें। संविधान में संशोधन करने से पूर्व हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां की घटनाएं क्या मोड़ ले रही हैं। यदि स्थिति ठीक हो तो फिर हमें किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार है।

मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के अधिकांश लोग अपने लिये पृथक राज्य चाहते हैं। वे इस संविधान (संशोधन) विधेयक से संतुष्ट नहीं होंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): यह देश के लिए बहुत ही बुरा दिन है जबकि इस प्रकार का विधेयक सभा के समक्ष पेश किया गया है। दबाव डालने से एकता नहीं लायी जा सकती, किन्तु इस

विधेयक के द्वारा ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यह तय कर दिया जाता है कि बर्तमान विधान मण्डल अधिकांश रूप में 6 सूत्री फार्मूले के पक्ष में है, तो मैं यह अनुरोध करता हूं कि विधान मंडल को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। जहां तक आन्ध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं का सम्बन्ध है, यह विधान मंडल पूर्ण रूप से उनके विपरीत है।

अतः यह हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। यह राष्ट्रीय मान्यता, जिस पर कि राष्ट्र का निर्माण हुआ है, के विरुद्ध है। सरकार स्थानीयवाद को बढ़ावा दे रही है न कि राष्ट्रवाद को। यदि सरकार में आवश्यक योग्यता है तो उसे यह विधान अभी भी वापस ले लेना चाहिए।

यह विधेयक संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टि से सर्वथा असंगत है और उच्चतम न्यायालय अवश्य ही इसे अमान्य घोषित कर देगा। सरकार नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। सरकार प्रत्येक बात में ऐसी उलझन पैदा कर रही है जिससे कि लोगों में देश की एकता की भावना न रहे। सरकार संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध जा रही है, क्योंकि हमारे संविधान का मूल ढांचा नागरिकों को प्राप्त मूलभूत अधिकारों के आधार पर बना है। इस विधेयक के द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है।

मैं इस विधान का विरोध करता हूं क्योंकि प्रथम तो यह देश के हितों के प्रतिकूल है और दूसरे यह आन्ध्र के हितों के विरुद्ध है तथा अन्ततः यह देश के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत हितों के प्रतिकूल है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कुछ सदस्यों ने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विधेयक में उपबन्ध नहीं किया गया है। गृहमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि विकास सम्बन्धी मामले राज्य सरकार द्वारा निपटाये जायेंगे क्योंकि उन्हें इसके लिए शक्तियां प्राप्त हैं, अतः इस विशेष पहलू को विधेयक में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है। अतः 6 सूत्री फार्मूले में यह बात निहित है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास और राज्य की राजधानी के सुनियोजित विकास के लिए नियत विशिष्ट संसाधनों को राज्य की विकास योजना का आवश्यक अंग बनाया जाना चाहिए।

मुझे कुछ वर्षों से आन्ध्र के मामलों से सम्बन्धित रहने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा है और मैंने 1969 में तेलंगाना के आन्दोलन को देखा है। उस समय तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने की जोरदार मांग की जा रही थी और आंध्र प्रदेश में राज्य की एकता के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा था। बाद में हमने यह देखा कि इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग भी राज्य के पृथकीकरण की मांग कर रहे हैं। अन्त में जब तेलंगाना के लोगों ने यह देखा कि आंध्र के लोग उन्हें अपने साथ रखने में सहमत हैं तो हमने आन्ध्र प्रदेश में एक राज्य की स्थापना करने का निर्णय किया।

न्यायपालिका के निर्णय से वहां आन्दोलन भड़क उठे। सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के उपबंधों को रद्द किये जाने पर तेलंगाना में आन्दोलन भड़क उठे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने मुल्की नियमों को वैध करार दिया, जिससे वहां आन्दोलन हो गया। इससे यह समझपाना सरल होगा कि आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्र में गलतफहमी क्यों पैदा हुई। इस गलतफहमी के कारण और भावात्मक दृष्टिकोण के कारण पृथक राज्य बनाने की बात को ही समस्या का समाधान समझा गया, किन्तु अधिकांश नेता विशाल आन्ध्र के प्रचार प्रभाव से मुक्त नहीं थे। अतः राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, स्थिति

सामान्य होने के पश्चात, बातचीत आरम्भ हुई और समझौते में प्रगति होने लगी। तेलंगाना के नेताओं ने समस्या के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया । वस्तुतः तेलंगाना के लोगों के हितों की सुरक्षा में उनकी रुचि थी। उनका विचार था कि वे तेलंगाना के लोगों को उनके सुख सुविधाओं से बंचित रखना नहीं चाहते हैं। उनका विचार था कि राज्य के किसी भी क्षेत्र के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसी भावना के आधार पर हमने यह फार्मूला निकाला है ।

न्यायालयों द्वारा दी गयी मुल्की नियमों की विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं के कारण यह समझना कठिन हो गया कि इन वर्षों में तेलंगाना को क्या लाभ हुआ है। उच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार तेलंगाना में जन्म लेने वाला मुल्की नहीं है अपितु वहां 15 वर्ष तक रहने वाला तथा वहां से छोड़कर न जाने की इच्छा रखने वाला मुल्की है। संभवतः इस व्याख्या से मेरे मित्र भी सहमत नहीं होंगे ।

तेलंगाना के नेताओं ने यह समझा कि उनको समस्या का हल विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की समस्याओं को समझने तथा अखण्ड आन्ध्र में ही निहित है।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : क्षेत्रीय समिति के सभापति श्री चोक्काराव ने इस तथ्य का निरुपण किया कि तेलंगाना के अधिशेष। 110 करोड़ रुपये आन्ध्र ले जाये गये। भार्गव समिति ने कहा है कि 45 करोड़ रुपये ले जाये गये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भार्गव समिति की सिफारिशों को पूर्णतया मान लिया गया है। अतः इस अवस्था में हम इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

श्री वेंकट सुब्बया और श्री रेड्डी तथा अन्य मित्रों ने कहा कि राज्य के रायलाडीया जैसे पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु आप लोगों को शनैः-शनैः पता चलेगा कि आन्ध्र प्रदेश में भी पिछड़े क्षेत्र हैं।

आन्ध्र प्रदेश के मेरे मित्रों ने स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय असंतुलन है। एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा है कि तेलंगाना पिछड़ा क्षेत्र नहीं है और उसे विकास हेतु सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश के लोगों में जिस बात पर रोष उत्पन्न हुआ वह यह है कि मुल्की नियमों के अन्तर्गत तेलंगाना के लोगों को सेवा के मामले में प्राथमिकता दी जाती है।

लोग अपने घरों के निकट रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। विशेषकर निम्न वेतन वाली सेवाओं में समूचे देश में यही हाल है। इस समस्या पर प्रशासनिक व्यवस्था से केवल औपचारिक रूप से विचार किया जा सकता है। जैसा कि सभा को ज्ञात है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 500 रुपये से कम वेतन के पदों पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाती है। हमें आंध्र प्रदेश के इतिहास की वास्तविकताओं पर विचार करना पड़ा और उस ढंग पर विचार करना पड़ा जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में प्राथमिकता देने की प्रथा विकसित हुई है तथा वहां के लोग अब भी चाहते हैं कि यह प्रथा बनी रहे। राज्य के किसी भी भाग में कोई भेदभाव नहीं है और हम आशा करते हैं कि कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होगा। विधेयक में सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्धों का इसी पृष्ठभूमि के आधार पर समावेश किया गया है।

श्री नारायण राव ने इस बात का उल्लेख किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह विद्यमान प्रथा को कानूनी आवरण देना है ।

यदि छः सूत्री फार्मूले का अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि 100 प्रतिशतता आरक्षण नहीं है। यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये भी 80 प्रतिशत आरक्षण होगा और 20 प्रतिशत पदों के लिए कहीं से भी कोई व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। इसी प्रकार राजपत्रित पदों के लिए यह आरक्षण 60 प्रतिशत स्थानीय प्रत्याशियों के लिए और 40 प्रतिशत अन्य स्थानों के प्रत्याशियों के लिए है। केवल एसिस्टेंट सिविल सर्जन, जुनियर इंजीनियर और तहसीलदारों के पदों पर प्राथमिकता दी जायेगी। अतः सभा इस बात को समझे ।

शिक्षा सम्बधी सुविधाओं के सम्बन्ध में नये विश्वविद्यालयों की मांग सर्वत्र बढ़ रही है। आन्ध्र प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय है परन्तु सरकारी कालेजों में प्रवेश के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने संबंधी कुछ प्रतिबंध आज भी विद्यमान हैं। अब यह विचार है कि ये प्रतिबंध समान होने चाहिए। दूसरा विचार हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है।

जहां तक विकास का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास केन्द्रीय सरकार के अनुसार एक आवश्यक बात है, जिसे अवश्य किया जाना है। देश में कहीं भी विकास के मामले में कोई भी विकास बोर्ड पूरा-पूरा संतोष प्रदान नहीं कर सका है ।

हमने चर्चा के दौरान महसूस किया कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र की ओर से अतिरिक्त संसाधन देने होंगे तथा इस समूचे राज्य के लिए एक योजना बोर्ड स्थापित करना होगा और उसके अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास समितियां स्थापित करनी पड़ेगी। इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि तेलगाना और रायलसीमा पिछड़े क्षेत्र हैं अपितु सरकार में भी कई पिछड़े क्षेत्र हैं। जब हम समूचे राज्य को सहायता दे रहे हैं तो इसका कोई कारण नहीं है कि उन्हें विशेष ढंग से सहायता न दी जायें।

श्री जोशी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि यदि आन्ध्र प्रदेश में विभाजन हो गया तो इसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी पड़ सकता है । यह ऐसा समय नहीं है कि हम अपनी शक्तियों को आर्थिक विकास के अतिरिक्त अन्य बातों में लगायें । इसी भावना के साथ हम यह विधेयक लाये हैं ।

इस फार्मूले को जो व्यापक समर्थन मिला है यहां भी और राज्य में भी, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है परन्तु मैं छः सूत्री फार्मूले के भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मुझे यह आशंका है कि इस विधेयक के अधीन की जाने वाली व्यवस्था की प्रतिक्रिया अन्य राज्यों में भी होगी ।

"स्थानीय" (लोकल) शब्द की परिभाषा को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। "स्थानीय" और "मुल्की" में अन्तर करना कठिन है।

सविधान में यह उपबंध है कि एक भारतीय देश के किसी भी भाग में जा सकता है और वह देश के किसी भी भाग में रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा व्यापार कर सकता है। अब इसके स्थान पर एक जिले के लोगों के लिए उसी जिले में रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। छह सूत्री फार्मूले में यह विशेष बात काफी खतरनाक है। मुझे यह डर है कि इससे वही समस्या उत्पन्न हो जायेगी जो पांच सूत्री फार्मूले के अन्तर्गत हुई थी।

"पिछड़े क्षेत्रों" की परिभाषा नहीं की गई है । अतः यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि यह उपबन्ध कैसे कार्य करेगा ।

इस समझौते का स्वागत इसलिये भी किया जा सकता है कि इससे राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो गया है और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई है। इस फार्मूले में ऐसी कई बातें हैं जो न केवल आन्ध्र प्रदेश ही अपितु शेष भारत के लिए भी खतरनाक हैं ।

ऐसी आशंका है कि यह फार्मूला आन्ध्र प्रदेश में नहीं चलेगा क्योंकि अभी भी आन्ध्र प्रदेश के काफी लोग असंतुष्ट हैं। आज जो कुछ व्यवस्था की गई है उसके विरोध में वे किसी सुअवसर की की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Shri Shyam Babu has said that this is a very bad day. I am saying that this is a very bad day for the opposition.

Raja Rameshwar Rao has said that the culture of Telangana is a sub-culture. That is not correct. The culture of Telangana is not separate from that of the whole country. The controversy prevailing there is among the 5 percent people.

The six point formula is in the interest of the country as well as the state. A central University is proposed to be opened there. Its medium of instruction should be Hindi.

We want national integration.

Prof. Madhu Dandavate (Rajapur) : A few years ago, the Government worked out the five point formula and now six point formula has been placed before us. While doing all this the Government do not realise that they are belying the hopes of the people. The Government should try to analyse the basis of the demand for bifurcation. The Government did not pay any heed to the backwardness of Telangana. The people of Telangana thought that they could not progress while living with Andhras and therefore they had demanded a separate State.

I say that the demand for reorganisation of State is not a demand for the division of the country.

So far as the organisation of the State on the linguistic basis is concerned, I am not opposed to it, But the basis of this principle has never been that there could not be more States, speaking one language. Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar are Hindi speaking states. Therefore, there can be more than one States comprising the people speaking one and the same language.

It is said that if Andhra Pradesh is divided, a large number of small states will come up in the country Small states like Manipur Tripura and Nagaland are already there, but nobody talks of the economic viability of those states. In a democracy, the feelings of the people should be respected. Did the Government not realise the feelings of the people of Telangana and Andhra behind the agitation ?

The by-elections were pending but the Government did not have them conducted because they were afraid that the elections might go against the Congress Party.

The opinion poll should be conducted in the state and the pending by-elections should also allowed to be held. The Government should conduct the four by-elections and have the opinion poll there instead of getting this bill passed.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मतदान के आधार पर शत प्रतिशत लोगों की राय का पता नहीं चल पाता ।

Prof. Madhu Dandavate : Since there had been no opinion poll, I oppose this Bill.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : अब जबकि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र की एकता बनाये रखने के लये ऐतिहासिक प्रयत्न कर रही है, तो कुछ माननीय सदस्य निराधार टिप्पणियां कर रहे हैं। ये लोग पृथकतावादी तथा एकता के बीच भेदभाव वाली भावना रखते हैं। हर व्यक्ति के हमारे प्रयत्नों के लिए नैतिक तथा भौतिक समर्थन देना चहिए।

जब एकीकृत राज्य के लिए कोशिश हो रही है तो आश्चर्य इस बात का है कि महाराष्ट्र के मामले में लागू किए गये अनुच्छेद 371 के खंड (2) का सहारा क्यों नहीं लिया गया। वास्तव में अनुच्छेद 371 के खंड 1 को रखते हुए हम खड 2 को बढ़ाकर आन्ध्र प्रदेश को शामिल कर लेते और शैक्षिक अवसरों और रोजगार अवसरों के लिए विकास समितियों का गठन किया जा सकता था। ऐसा करने की बजाय हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसी नई कठिनाइयों में उलझ रहे हैं ।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण हमें नये कानूनी गड्ढों में ले जायेगें। इसे संविधान के विरुद्ध घोषित किया जा सकता है। अभी भी गृह मंत्री इस पर विचार कर सकते हैं और इस प्रकार के उपबंध को समाप्त कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय नेताओं के नैतिक तथा अन्य प्रकार के समर्थन से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्रता से विकास हो सकता है। इस प्रकार संकट को और इन क्षेत्रों के आन्दोलनों को समाप्त किया जा सकता है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : विभिन्न राज्यों में सौहार्द लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 6 सूत्री फार्मूले का एक साहसी निर्णय किया है। यह फार्मूला आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यह समूचे देश के लिए एक आदर्श फार्मूला होना चाहिए क्योंकि तेलंगाना जैसी समस्यायें सम्पूर्ण देश में विशेषत: जहां आदिवासी रहते हैं वहां व्याप्त हैं। उनका शोषण हुआ है। समूचे देश में जहां पर भी शोषण होता है वहां 6 सूत्री फारमूला लागू किया जाना चाहिए।

Shri S. B. Giri (Warangal) : This is the most undemocratic formula and, therefore, I oppose it. In deference to the wishes of the late Pandit Jawahar Lal Nehru, the composite state of Andhra Pradesh was formed on a trial basis. Even the Late Pandit Nehru had said that if this experiment did not work, there would be a separate Telangana State.

The people of Telangana found that there had been no economic development of their region all these years and they have not been able to develop identity of their own. Therefore they demanded a separate state for themselves.

There is wide-spread agitation for a separate State. It will not be possible to suppress the wishes of the people with any number of formule. The six point formula will meet the same fate which the five point formula had met with. The people of Telangana want to lead an undependent political life ultimately, there will emerge a separate state of Telangana as recommended by the States Reorganisation Commission.

गृहमंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित : कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं। संवैधानिक प्रश्नों के निर्णय अध्यक्षपीठ के आदेश द्वारा नहीं लिये जा सकते। इस संशोधन के बारे में अनेक गलतफहमियां हैं। हमें मुल्की नियमों का अर्थ समझना चाहिए। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया संवैधानिक प्रश्न निराधार है।

आंध्र प्रदेश की बुनियादी समस्या को समझा जाना चाहिये। हमें तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों के आन्दोलनों को समझना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों पक्ष पृथक् होना चाहते हैं।

तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में मिलने में हिचक रहे थे। विशाल आंध्र तेलुगु-भाषी लोगों के लिये एक भावात्मक प्रश्न बन गया। इस प्रकार तेलुगु भाषी लोग मद्रास से पृथक् हो गये। ऐसा क्यों किया गया ? तेलंगाना के लोगों के मन में कुछ गलत धारणायें थीं लेकिन आंध्र के नेताओं ने उनसे अच्छा व्यवहार करने का आश्वासन दिया। इसी लिये तेलंगाना के लोग आंध्र में मिले।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, तेलंगाना क्षेत्र के लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उन्हें रोजगार के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं किये जा रहे हैं और न ही शैक्षिक संस्थानों में उनके लड़के-लड़कियों को उचित रूप से दाखिला मिल पाता है। विशेषकर इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेजों में उन्हें दाखिला नहीं मिलता है। इसलिये वे लोग असंतुष्ट हुए थे।

वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण यह है कि न तो वे लोग आर्थिक और सामाजिक विकास से और न ही शैक्षिक तथा रोजगार संबंधी अवसरों से संतुष्ट थे। पांच सूत्री फार्मूले को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता था किंतु आंध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं के कारण ऐसा न हो सका। हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि उनकी भावनाओं पर आघात पहुंचा था इसलिये वे सब यह चाहते थे कि रोष के कारणों को समाप्त किया जाये। यह बात वे निश्चय ही नहीं चाहते थे कि इस एक राज्य के दो राज्य बनाये जायें।

इस विधेयक से दो समस्याओं का समाधान होगा। एक ओर तो रोजगार के अधिक अवसर, शैक्षिक संस्थानों में अधिक सीटों का आश्वासन दिया गया है और दूसरी ओर इस विधेयक से रोष के कारण भी समाप्त हो जायेंगे। इसलिये असंतोष के आधारभूत कारण काफी सीमा तक समाप्त हो जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमें इस समय इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिये और हमें यह छः सूत्री फार्मूला छः महीने अथवा एक वर्ष के लिये लागू करना चाहिये । किंतु हम इस फार्मूले का कैसे कार्यान्वियन कर सकते हैं जबकि यह कानूनी तथा संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता पर आधारित है ।

समय गुजरने के साथ-साथ दोनों क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं । ऐसा अचानक नहीं हुआ बल्कि काफी समय के बाद अर्थात् इस छः सूत्री फार्मूले के बाद हुआ है ।

भारतीय साम्यवादी दल के माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है । उनकी शिकायत केवल यही है कि इसका सारा क्षेत्र हम लेने का प्रयास कर रहे हैं ।

मैं यहां सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के अविभाजन के सिद्धांत का दृढ़ता से समर्थन किया है । श्री मिश्रा ने इस विधेयक का विरोध किया था किन्तु उनके दल ने क्या किया ? उनकी पार्टी के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश की एकता का समर्थन किया था और आंध्र प्रदेश के विभाजन और अविभाजन के प्रश्न पर उनकी पार्टी के सदस्यों में भारी मत-भेद हो गया था । पता नहीं वह किस सैक्शन में है । किन्तु इतना अवश्य है कि उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस राज्य की एकता का समर्थन किया है ।

जहां तक जोशी जी की बात है, वह अपना राजनीतिक लाभ होने की हर समय चर्चा करते रहते हैं । लेकिन आपको एक राष्ट्रीय तराजू भी रखना चाहिये । यदि आप समझते हैं कि इस विधेयक से वहां शांति होगी तथा स्थिति में सुधार होगा तो इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिये । तथा इस बारे में दलगत भावनाओं को त्याग देना चाहिये ।

श्री एच० एम० पटेल के भाषण का मूल आशय यही था कि वह इस विधेयक का समर्थन करते हैं तथा यदि इस विधेयक में निहित व्यवस्था को सफलता से लागू किया गया तो उन्हें प्रसन्नता होगी ।

इस विधेयक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आंध्र प्रदेश की जनता से संबंध है तथा श्री एस० वी० गिरि को छोड़ कर आंध्र प्रदेश के सभी सदस्यों ने चाहे वे आंध्र के हैं अथवा तेलंगाना के, इस विधेयक की सराहना ही नहीं की वरन् दृढ़ता से इसका समर्थन किया है । सरकार इसके लिये उनकी आभारी है ।

श्री गिरि ने अदालत के झगड़े का उल्लेख किया है । वास्तव में अदालत के झगड़े इसलिये हुये कि मुल्की नियमों की परिभाषा के अनुसार काम करने में अनेक कठिनाइयां आईं और जो एन० जी० ओ० में उनको अपने भविष्य का पता नही था । पदोन्नति आदि के बारे में उनको कोई निश्चित मार्ग नहीं दिखाई देता था जिसमें वे बहुत परेशान थे । विद्यार्थियों के मन में भी अनिश्चय की भावना थी । यदि कोई कहता कि विभाजन से उन्हें लाभ होगा तो वे उसके साथ हो जाते और कोई कहता कि उन्हें इसमें हानि होगी तो वे उसके साथ हो जाते । अतः इस विधेयक के द्वारा उस अनिश्चितता की स्थिति को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया गया है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा में एकमत से स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों विधेयकों पर चर्चा तो साथ-साथ हुई है किन्तु मतदान के लिये इन्हें अलग-अलग रखा जाएगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० वी० गिरि के दो संशोधन हैं तथा इन पर मतदान के लिये सामान्य बहुमत आना ही पर्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 2 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान का आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

--लोबी खाली कर दी जाये ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 299	Noes 14

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion was carried by majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

खण्ड 2

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

I would like to speak on all of my 18 amendments to save time. I am one with the Home Minister that national unity and national interest should be the only criterion to tudge the merits of this Bill. But the point is that the objective the hon minister has in the mind would not be fulfilled by this Bill. It would rather divide Andhra Pradesh into twenty parts and will destroy its unity.

The main defect in our constitution is lack of flexiborility. This defect should be removed. At present, a state can be created by getting an ordinary Bill passed but there is no povision for giving autonomy to a backward region within a State.

Under Article 16(3), Parliament can make any law prescribing in regard to a class or classes of employment any requirement as to residence with a state or a Union Territory prior to employment or appointment. But in view of the supreme court judgement, reservation cannot be made on the basis of a region in a state. The Government should have brought forward a Bill to amend this provision of the constitution in order to provide for reservation on the basis of a region in a State. But Government did not bring any such Bill. The States Reorganisation Commission appointed by the Government had indicated in their Report that it would be much better to create a separate state of Telangana which should be converted into a part of *Vishal* Andhra, if so desired by the people of Telangana in ten years. It had also been indicated in the Report that "the real fear of the people of Telangana is that if they join Andhra, they will be unequally placed in relation to the people of Andhra and in this partnership, the major partner will deny all the advantages immediately while Telangana itself may be converted into a colony by the enterprising coastal Andhra."

At the time of appointment of States Reorganisation Commission, per capita income of Telangana was higher in comparison with that of Andhra, But now Telangana has become more backward.

We are not interested in the division of any state, but it is the foremost duty of the Government to remove regional inbalances and it can be done only when a provision regarding the regional autonomy is made in the constitution.

I have demanded in my amendments that there should be a provision under which two or three regional Assemblies can exist within a state. Hon. Minister should accept them. I request that the Government should reconsider this six point formula because of the fact that it would not serve any purpose.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया

The amendment No. 10 was put

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 8	Noes 312

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : विभाजन का परिणाम है :

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 312	Noes 9

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The Motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री उमाशंकर दीक्षित: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,

"Thrity-third" (तेतीसवां) **के स्थान पर "Thirty-Second"** (बत्तीसवां) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(संख्या 6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,

"Thirty-third" (तेतीसवां) **के स्थान पर "Thirty-second"** (बत्तीसवां) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(संख्या 7)

श्री मधु लिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 प्रस्तुत करता हूं । –

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,

"Thirty-Third" (तेतीसवां) **के स्थान पर**

"Thirty-Second" (बत्तीसवां) **प्रतिस्थापित किया** जाये ।

(संख्या 6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,

"Thirty-Third" (तेतीसवां) **के स्थान पर**

"Thirty-Second" (बत्तीसवां) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(संख्या 7)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 से 27 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 11 to 27 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम है :

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 314	Noes 5

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 as amended was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 28 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 312	Noes 4

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"Thirty-Third" (तेतीसवां) **के स्थान पर**

"Thirty-Second" (बत्तीसवां) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(संख्या 5)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"Thirty-third" (तेतीसवां) **के स्थान पर**

"Thirty-Second" (बत्तीसवां) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(संख्या 5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम है :

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 313	Noes 6

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

खण्ड एक, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

श्री पी० जी० मावलंकर : जिन माननीय सदस्यों ने इस विशेष विधेयक का विरोध किया है उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि इस देश को वे एक राष्ट्र के रूप में देखें । क्या देश की एकता सरकार द्वारा अपने निर्णयों को देश की जनता के ऊपर थोंपने से कायम रखी जा सकती है ? उन्हें इस अन्धकार में नहीं रहना चाहिये कि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है । मतदान के आधार पर उन्हें केवल 43 प्रतिशत मत मिले हैं । **(व्यवधान)** दुर्भाग्य से विपक्षी दल बंटे हुये हैं जिससे देश की आधे से अधिक वोटें बंट गई ।

यह विधेयक असंवैधानिक है । **(व्यवधान)** महोदय ! उनसे कहिये कि शोर न करें । जिस बात की जनता बहुत दिनों से मांग कर रही थी उसको पूरा नहीं किया जा रहा है । राज्य पुनर्गठन ायोग ने इस मांग पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया था तथा यह सिफारिश की थी कि जब जनता ृथक तेलंगाना राज्य की मांग कर रही है तथा समझती है कि ऐसा करने से उस क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है तो सरकार को उनकी यह मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये ।

माननीय मंत्री की यह आशंका निर्मूल है कि छोटे-छोटे राज्य बनाने से भारत अनेक भागों में विभक्त हो जाएगा ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि उन्होंने नहीं कहा तो मुझे खेद है तथा मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं ।

यदि शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व की भावना कर दे तो छोटे-छोटे राज्य बनाए जाने में कोई बुराई नहीं है । छोटे राज्यों में स्थानीय जनता के हाथों में वहां का प्रशासन रहेगा तथा उनमें पारस्परिक एकता बढ़ेगी । महात्मा गांधी विकेन्द्रीकरण का पक्ष लेते थे तो वह राष्ट्र को विभक्त

नहीं करना चाहते थे । उनका विचार था कि एक केन्द्र से पूरे देश का शासन नहीं किया जा सकता ।

सरकार को जनमत प्राप्त किये बिना इस बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाहिये । यह विधेयक असंवैधानिक है तथा 6 सूत्रीय फारमूला व्यवहार्य नहीं है । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes 311	Noes 8

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में दूसरे विधेयक, मुल्की नियम (निरसन) विधेयक पर मतदान होगा । श्री एस० वी० गिरि द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 2 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 3 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि मुल्की नियमों का निरसन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार विचार किया जाएगा ।

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री बी०एन०रेड्डी (निरयालगूडा) : मैं अपना संशोधन संख्या एक प्रस्तुत करता हूं । इस विधेयक में पुराने मुल्की नियमों का तत्व विद्यमान हैं तथा प्रत्येक जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी दिये जाने की व्यवस्था से दो के स्थान पर अब 20 टुकड़े हो जायेंगे । अतः सरकारी सेवाओं में रोजगार के बारे में कोई प्रजातांत्रिक सिद्धांत अपनाया जाना चाहिये और इस संबंध में आंध्र और तेलंगाना के लिये दो और एक का अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula amd the Title were added to the Bill.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 दिसम्बर, 1973/28 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 19th December, 1973/28th Agrahayana, 1895 (Saka)

MGIPRRND—Sec. VI—52 LSS/73—30-4-74—490